



मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

अनिवार्य सैद्धान्तिक विषय (गौण)

मॉड्यूल - 1

विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन (Development Concept and Implementation)



दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334



मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्

(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

मॉड्यूल – 1 विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेशक
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल
श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल
डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्, भोपाल

लेखक मण्डल :

डॉ. सुषमा पेण्डारकर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक
डॉ. माधवीलता दुबे, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल
निकिता खन्ना, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश

सम्पादक मण्डल :

प्रो. वीरेन्द्र कुमार व्यास, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
प्रो. अमरजीत सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट –07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल –0755–2660203

वेबसाइट : www.cmcldp.org, ई-मेल: cmcldpcourse@gmail.com

लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल : <http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/>

लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

दिनांक:- 16-06-2022
पत्र क्रमांक - 641/22

संदेश

प्राचीन काल से हम मानते आए हैं कि विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने शिक्षा को समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 निर्मित एवं अंगीकृत की है।

मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। इस क्रम में मध्यप्रदेश सरकार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद जनभागीदारी आधारित विकास के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयत्नशील है। राज्य सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के संदेश के साथ विकास का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) संचालित कर रही है। इसके तहत समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का निर्माण और संचालन प्रारंभी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य समाज में वंचित और उपेक्षित समुदाय को शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित समूह तैयार करना है और सामाजिक कल्याण और लोगों की सहायता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।

कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगों के बीच सेतु का काम करते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए अनुकूल है जो समाज के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आगामी माह जुलाई 2022 से सत्र 2022-23 में पाठ्यक्रम अतर्गत बी.एस.डब्ल्यू.एवं एम.एस. डब्ल्यू की कक्षाएं प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में स्थित अध्ययन केंद्रों पर आरम्भ होने जा रही हैं।

मुझे आशा है कि यह कोर्स बी.एस.डब्ल्यू.(बैचलर ऑफ सोशल वर्क) एम.एस. डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) प्रदेश के 313 विकास खण्डों में अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संचालित होगा और सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं को सफलता प्राप्त होगी।

हार्दिक शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)



संदेश

प्रो. भरत मिश्रा

कुलपति

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय, चित्रकूट

सुप्रसिद्ध समाज सेवी भारतरत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के दूरदर्शी प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में पुण्य सलिला माँ मंदाकिनी के सुरम्य तट पर महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 को एक पृथक अधिनियम 9, 1991 के द्वारा देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में हुई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है—‘विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्’ अर्थात् ग्राम विश्व का लघु रूप है। सर्वांगीण ग्राम्य विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विगत तीन दशकों से विश्वविद्यालय अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा का विनियोग कर रहा है। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय ने अपनी उल्लेखनीय सेवायें प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस कार्य का शुभारम्भ शैक्षणिक सत्र 2015–16 से किया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख पच्चीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की उपलब्धियाँ सहज ही गौरव की अनुभूति कराने वाली हैं।

‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ के युगान्तरकारी प्रावधानों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करने का शंखनाद कर दिया है। हमारा प्रदेश इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रावधानों को इस पाठ्यक्रम से अर्थपूर्ण रूप में जोड़कर इन्हें सत्र 2022–23 से पुनः संशोधित-परिवर्धित रूप में प्रारम्भ करने जा रहा है। पाठ्यक्रम यद्यपि दूरवर्ती पद्धति से संचालित है, किन्तु नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व-अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को ‘लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.एस.)’ और ‘स्मार्ट फोन’ पर एक्सेस करने वाले एप्प के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य गांव-गांव में विकास की क्षमता और समझ रखने वाले परिवर्तन दूतों को तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के केन्द्र में भी है और ‘संगच्छत्वम् सम्वदत्वम्’ की अवधारणा वाले मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के क्रिया-कलापों के केन्द्र में भी है। समान अवधारणा और कार्यक्रमों से ग्राम्य जीवन को पुष्पित-पल्लवित करने वाले इन संस्थानों का मणि-कांचन संयोग प्रदेश के विकास परिदृश्य के लिए अनुकूल और अनुकरणीय होगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनाएँ!

प्रो. भरत मिश्रा

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस-पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हों और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

अनिवार्य सैद्धान्तिक विषयों (गौण) की कड़ी में यह पहला प्रश्नपत्र है। शीर्षक है—**विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन**। इस मॉड्यूल में विकास से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी दी गयी है। मॉड्यूल में विकास के आयाम, सूचकांक, विकास की समस्याएँ एवं चुनौतियों, सतत विकास एवं विकास की प्रक्रिया को संचालित करने के विविध तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री को रूचिकर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विकास की सफल गाथाओं को भी शामिल किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको विकास के जटिल समझे जाने वाले अवधारणात्मक आयामों पर गहरी जानकारी प्राप्त होगी। विकास विषयक जानकारी को आप अपने आसपास के परिवेश शासकीय और गैर-शासकीय संरचनाओं तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार कार्यान्वित कर सकते हैं। इसकी व्यावहारिक जानकारी भी दी गई है।

विश्वास है कि जानकारी एवं प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। चलिए! शुभकामनाओं के साथ पठन पाठन की इस रचनात्मक प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

मॉड्यूल-1 विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन (Concept of Development and Implementation)

इकाई-1 : विकास की अवधारणा

- 1.1 उद्विकास – अर्थ और विशेषताएं
- 1.2 सामाजिक उद्विकास
- 1.3 प्रगति- अर्थ और परिभाषा
- 1.4 प्रगति की दशाएं
- 1.5 प्रगति और विकास

इकाई-2 : विकास के आयाम एवं संकेतक

- 2.1 आर्थिक वृद्धि एवं विकास
- 2.2 सामाजिक विकास के आयाम
- 2.3 विकास के अन्य आयाम
- 2.4 सामाजिक-आर्थिक नियोजन एवं विकास
- 2.5 विकास के संकेतक

इकाई-3 : सतत विकास

- 3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 3.2 सतत विकास : विश्व यात्रा
- 3.3 सतत विकास की विशेषताएं
- 3.4 सतत विकास लक्ष्य
- 3.5 सतत विकास लक्ष्यों प्राप्त करने की संस्थागत तैयारी

इकाई-4 : विकास के मुद्दे एवं चुनौतियां

- 4.1 सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतियां
- 4.2 आर्थिक मुद्दे एवं चुनौतियां
- 4.3 पर्यावरणीय मुद्दे एवं चुनौतियां
- 4.4 सांस्कृतिक-वैचारिक मुद्दे एवं चुनौतियां
- 4.5 अन्य मुद्दे एवं चुनौतियां

इकाई-5 : विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

- 5.1 विजन : सतत विकास लक्ष्य
- 5.2 ग्राम विकास योजना
- 5.3 विकास योजनाओं में जनभागीदारी
- 5.4 विकास के क्षेत्र
- 5.5 विकास के प्रादर्श

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवतक्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से शिक्षार्थी में विकास की अवधारणात्मक समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास होगा जो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करेगा और उस अनुरूप विकास योजनाएं संचालित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेगा।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से शिक्षार्थी में विकास से सम्बन्धित अन्य अवधारणाओं की समझ विकसित होगी और वह विभिन्न मिलते जुलते शब्दों में अन्तर कर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होगा।
- सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में समुदाय के सभी लोगों को जोड़ना आवश्यक है। विशेष रूप से स्थानीय समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इस लिए इसके अध्ययन से विद्यार्थी में विकास कार्यो से लोगों को जोड़ने का कौशल विकसित होगा।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से शिक्षार्थी में विकास के अवरोधों को समझने की क्षमता विकसित होगी। विकास को भिन्न-भिन्न सामाजिक-आर्थिक आयामों पर कैसे नापा जा सकता है इसका भी कौशल विकसित होगा।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में विकास के सिद्धान्तों एवं तकनीकियों का प्रयोग करना सीख जाएगा जिससे वह समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए शासकीय योजनाओं के लाभ के माध्यम से परिवर्तन लाकर समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकेगा।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता

- समाज कार्य के इस पाठ्यक्रम में 'विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन' एक आधारभूत मॉड्यूल है। विकास के वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता समस्याओं के समाधान में प्रत्येक स्तर और स्थान पर महसूस की जाती है। सतत विकास लक्ष्य में भी सामुदायिक सहयोग से विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कही गयी है। विकास एक वैज्ञानिक और गतिशील अवधारणा है। इसके समस्त आयामों से परिचित होकर शिक्षार्थी स्वयं सक्रिय हो और समुदाय को सक्रिय कर सके, ऐसी अपेक्षा है। अतः इस मॉड्यूल की संबद्धता लगभग सभी सतत विकास के लक्ष्यों के साथ है।

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

- पंचायत राज विभाग। जन अभियान परिषद/आजीविका मिशन/स्वास्थ्य मिशन।
- समाज कल्याण विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग।
- मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग। स्वैच्छिक संगठन एवं औद्योगिक संगठन।
- शैक्षणिक संस्थाएं। बालनिर्देशन एवं परिवार परामर्श केन्द्र।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाएँ
- शासकीय विभागों की गतिविधियाँ एवं योजनाओं को समुदाय स्तर पर सामूहिक सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित कराने में सहयोग।

इंटरनेट/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

इस मॉड्यूल के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आपको स्थानीय स्तर/सम्बन्धित जिले के शासकीय विभाग या उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मूल रूप से पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास विभाग में। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र में आप इसका व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगे।

विषय प्रवेश— विकास : एक संवाद

विकास कभी न तो स्थिर होता है, न ही स्थायी। जैविक वस्तुओं का ही विकास होता है, कृत्रिम वस्तुओं का नहीं। कृत्रिम को केवल बनाये रखा (Maintain) जा सकता है। विकास यदि विगत की तुलना में वर्तमान में बेहतर है (गुणवत्ता में) तो भविष्य में भी संभावनायें अच्छी बनती हैं। विकास यदि संख्या में अधिक है, गुणवत्ता की कमी है तो वह टिक नहीं पायेगा। उसे सतत् नहीं बनाया जा सकता है। अतः विकास का उद्देश्य वर्तमान में संसाधनों/क्षमताओं का करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।

इस प्रकार विकास का शाब्दिक अर्थ है—आवरणों/अवरोधों से मुक्ति।

- जैसे एक बीज का अंकुर बनना और धीरे-धीरे अंकुर से पेड़ का आकार लेना।
- जैसे एक कली का प्रस्फुटित होकर पुष्प का रूप धारण करना।
- जैसे एक रज से भ्रूण और भ्रूण से जीवन अपना आकार लेता है।

वैसे ही हर वस्तु में जो छुपी हुयी संभावनायें हैं, उन्हें पूर्ण आकार लेने की प्रक्रिया ही विकास है। इस विकास प्रक्रिया को समझना ही प्रस्तुत पाठ्यक्रम का लक्ष्य है। आइये इस विकास प्रक्रिया को समझें—

- क्या हमने कभी यह सोचा कि विकास की विविधता के स्थान पर विकास का एकाकीपन क्यों पैदा हो रहा है?
- पहले परिवार में व्यक्तियों के समूह के साथ-साथ तुलसी का बिरवा, पालतू चिड़िया/पशु, वृक्ष-लतायें, बाग-बगीचे भी परिवार की परिधि में ही आते थे। लेकिन अब क्यों यह सब कुछ बदलता जा रहा है?
- व्यक्तिगत रूप से सब चाहते हैं कि हमारा विकास हो, परिवार के रूप में हम विकास के आकांक्षी होते हैं। प्रदेश की सरकारें विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, देश को विकास की नवीन ऊँचाइयाँ देने के लिए नई-नई योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं। फिर भी अपनी भलाई की उन सारी बातों को हम पूरी तरह ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

उपरोक्त सभी बातों के लिए भी अपने देश के अनेक सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया है। आइये इनकी एक झलक देखें—

मेरा गाँव मेरा पुण्यतीर्थ— अण्णा हजारे

ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर। एक पेड़ के नीचे शहर में पढ़ रही दो बहनें प्रेरणा और भारती गाँव-घर के हाल-चाल पर चर्चा कर रही हैं। विचारमग्न प्रेरणा एक गीत गुनगुनाने लगती है—

औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है।
उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है।।

भारती : दीदी गाना तो अच्छा है। क्या आज कोई ऐसा है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए मरता है। आज तो जहाँ देखो वहाँ लोग अपने लिए ही जी रहे हैं।

प्रेरणा : नहीं दीदी! ऐसा नहीं है। तुमने अण्णा हजारे का नाम तो सुना होगा। आज उनकी कहानी भी सुन लो।

भारती : हाँ-हाँ! क्यों नहीं दीदी! सुनाओ ना! उनका नाम तो रेडियो, टेलीविजन पर मैंने कई बार सुना है, देखा है। आज उनके बारे में अधिक गहराई से जान सकूँगी।

प्रेरणा : पहले अण्णा हजारे भारतीय सेना में थे। अपने गाँव रालेगण सिद्धि आए। चारों तरफ दुर्दशा देखी। गाँव के युवकों की दिशाहीन टोली देखी। शराब का जलवा जगह-जगह झगड़ा-फसाद देखा। अण्णा ने ठाना कि वे गाँव की दुर्दशा बदलेंगे। सरकारी पैसे की राह नहीं देखी। निजी पेंशन के पैसे लगा दिये, गाँव की भलाई में। बदलाव की एक कड़ी शुरू हुई। अण्णा ने यादव बाबा मंदिर में नवयुवकों को एकत्र किया और सामाजिक सरोकार के पाँच मुद्दे दिए। वह थे—

- नसबंदी
- नशाबंदी
- चराई बंदी
- कुल्हाड़ी बंदी
- जुआ बंदी

मुद्दों पर अमल हुआ। गाँव के हालात बदलने लगे। बारिश का पानी दिशाहीन होकर बह जाता था। उसे जमा करके सहेजने के इंतजाम हुए। “सुजलाम् सुफलाम्” का संकल्प पूरा हुआ। जल के अच्छे प्रबंधन का लाभ मिला। रालेगण सिद्धि में फसलें लहलहाने लगीं।

भारती : दीदी! आजकल तो जितने अधिक पैसे उतनी अधिक बुराइयाँ। रालेगण सिद्धि में इन बुराइयों ने डेरा क्यों नहीं जमाया?

प्रेरणा: जमाती कैसे? अण्णा जी ने बदलाव के सभी आयामों पर लोगों को जोड़कर काम किया। नशाबंदी से गाँव का माहौल बदला, तो यादव बाबा के मंदिर में पाठशालायें लगने से गाँव में पढ़ाई-लिखाई का काम भी होने लगा। झगड़ा-फसाद छूटता चला गया। अपनेपन का माहौल बना। सहज माहौल से लोगों के जीवन में सृजन साकार हुआ। इस तरह अण्णा जी ने गाँव के प्रत्येक ताने-बाने को भी जोड़ा। गाँव की बेहतरी के काम में सबका मन भाया। गाँव की महिलाओं को आत्म सम्मान से जीने की राह दिखाई। नई पीढ़ी को शिक्षा का सूरज दिखाया, और इस तरह अण्णा जी के

- पुरुषार्थ से रालेगण सिद्धि में जो बदलाव आया, वह आज आदर्श गाँव के रूप में दुनियाँ के लिए एक मिसाल है।
- भारती :** वाह दीदी! अण्णा जी के बारे में सुनकर यह विश्वास हो गया कि **जहाँ चाह है वहाँ राह है**। ठान लें तो हम भी अपने गाँव की तस्वीर को बदल सकते हैं।
- प्रेरणा :** हाँ-हाँ! क्यों नहीं।
- भारती :** दीदी! एक बात मेरे मन में आती है। रालेगण सिद्धि में तो लोगों के पास जमीन थी। खेती-बाड़ी थी। परन्तु ऐसे गाँव, जहाँ ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन ही नहीं है। वहाँ विकास कैसे होगा? बदलाव कैसे आएगा?
- प्रेरणा :** वहाँ भी बदलाव आएगा। तमिलनाडू के एक गाँव में ऐसी ही समस्या थी परन्तु वहाँ के सर्व सम्मानित सामुदायिक नेता इलंगो ने जो किया, वह इस समस्या के समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। उसे सुनो—
- भारती :** हाँ दीदी! जल्दी बताओ।

मेरा हथियार रोजगार—इलंगो

- प्रेरणा :** मद्रास का नाम तो तुमने सुना होगा।
- भारती :** हाँ दीदी! लेकिन अब उसे चेन्नई कहते हैं।
- प्रेरणा :** हाँ-हाँ मान गई। वहाँ कूत्तम्बाक्कम नाम का एक गाँव है। चार सौ परिवारों की बस्ती है। 20 साल पहले गाँव की हालत खराब थी। शराब बनाना मुख्य व्यवसाय था। आर्थिक स्थिति खराब थी।
- भारती :** तो दीदी! क्या कूत्तम्बाक्कम भी रालेगण सिद्धि जैसा ही था।
- प्रेरणा :** हाँ, लेकिन वहाँ लोगों के पास उपजाऊ जमीन न के बराबर थी।
- भारती :** तो क्या कूत्तम्बाक्कम को भी कोई अण्णा हजारे जैसा मिला?
- प्रेरणा :** हाँ बहन! इलंगो के रूप में मिला।
- भारती :** दीदी विस्तार से बताओ न।
- प्रेरणा :** इलंगो पढ़ा-लिखा नवयुवक था। उसके दिल में गाँव का दर्द था। कारैक्कुडि में स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला सेक्री (CECRI: Central Electro Chemical Research Institute- Under CSIR)में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे। गाँव की दयनीय दशा ने उन्हें झकझोर दिया था। सभी से इलंगो ने गाँव की दशा बदलने का संकल्प लिया। अपने सरकारी पद को त्याग दिया। गाँव के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ वे अकेले ही चल पड़े।

मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर।

लोग साथ आते गये और कारवाँ बनता गया।।

भारती : दीदी! फिर उन्होंने क्या किया?

प्रेरणा : सबसे पहले तो उसने गाँव की शराब की भट्टियों को तोड़ दिया। अब रोजी-रोटी की समस्या आ गई। “समत्वपुरम” नामक एक शासकीय योजना का लाभ लेकर गाँव के मकानों को फिर से सुव्यवस्थित रूप में बनाना शुरू किया। इससे लोगों को रोजगार मिला और गाँव की गाड़ी चल पड़ी। पर कितने दिन! काम खत्म होने के पहले नये रोजगार के लिए पहल जरूरी थी। उन्होंने गाँव की मूलभूत जरूरतों की सूची बनाई। उससे संबंधित छोटे-छोटे उद्योग-धंधे जैसे तेल पेराई, गेहूँ पिसाई जैसी गतिविधियाँ शुरू कीं। लोगों को साथ लेकर जनविरोधी कार्यों को रोकने की पहल की। धीरे-धीरे रचनात्मक कार्य बढ़े। रोजगार के सुअवसर प्राप्त हुये। कूतमबाक्कम पूरे भारत में एक आदर्श, आत्मनिर्भर और आधुनिक गाँव बना।

भारती : दीदी! मेरा मन कहता है कि एक दिन अपना चंदनखेड़ा भी ऐसा ही एक आदर्श गाँव बन सकेगा।

प्रेरणा : चंदनखेड़ा ही क्यों? मध्य प्रदेश और देश का कोई भी गाँव आदर्श गाँव बन सकता है। जरूरत है जागरूकता की। साझा प्रयासों की। भविष्य की नई राह गढ़ने की। सरकार का मुँह ताकने के बजाय खुद उठ खड़े होने की। बोलो क्या तुम तैयार हो?

भारती : हाँ-दीदी, क्यों नहीं? पर, जहाँ प्राकृतिक आपदा विकास का रास्ता बार-बार रोककर खड़ी हो जाये, वहाँ का क्या होगा?

प्रेरणा : जब भारतीय समाज संगठित हो जाता है और उचित नेतृत्व मिल जाता है, तो सब सम्भव है। आओ अब तुम्हें पानी वाले बाबा की कथा सुनाती हूँ। उन्होंने सब को साथ लेकर राजस्थान के उन इलाकों में पानी की समस्या का हल किया। जहाँ लोग पानी के अभाव में गाँव छोड़कर बाहर जाने लगे थे।

भारती : दीदी! पूरी बात बताओ।

जल है तो कल है : राजेन्द्र सिंह

प्रेरणा : भारती! यह तो तुमने सुना ही होगा कि—

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।।

मतलब, पानी बगैर कुछ भी नहीं हो सकता।

भारती : तो फिर पानी वाले बाबा कौन हैं, उन्होंने इसके लिए क्या किया?

प्रेरणा : चमत्कार! वह भी लोगों के साथ मिलकर। पानी वाले बाबा का नाम राजेन्द्र सिंह है। वे लोगों को साथ लेकर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ताकत से काम करने वाले एक दूरदर्शी नवयुवक हैं— अपने कामों के लिए उन्हें सरकार से और देश के बाहर से अनेक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई हैं जिसमें विश्व प्रसिद्ध मेगसेसे पुरस्कार प्रमुख है।

यह विकासगाथा राजस्थान के अलवर जिले की है। वहाँ पहले से ही बारिश कम थी। जो पानी बरसता भी, वह नदी—नालों से बहकर समुद्र में पहुँच जाता। राजस्थान में पानी की कमी के कारण प्राचीन काल से ही पानी को बचाकर रखने की तकनीक समाज ने विकसित की थी। कुएँ, बावड़ी, ताल—तलैया और जोहड़ों में बारिश का पानी संभालकर रखा जाता था। समय बदला और बदलते समय के साथ—साथ पानी को संजोकर रखने वाली संरचनाएँ भी धीरे—धीरे लुप्त होती गईं। भूमिगत जल निरंतर नीचे गिरता जा रहा था। अनेक नदियाँ सूख गई थीं। खेती—बाड़ी सब खराब। चारों ओर निराशा। पानी आए तो कैसे?

भारती : तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकला?

प्रेरणा : एक अच्छे सामुदायिक नेता की तरह राजेन्द्र सिंह ने इस समस्या को गहराई से समझा। लोगों का दर्द महसूस किया। सोचा कि पहले पानी को थाती के रूप में संभालकर रखा जाता था तो अब क्यों नहीं। क्या पहले जैसी संरचनाएँ फिर नहीं बनाई जा सकतीं? काम की योजना बनी। पूरी ताकत से पानी को बटोरकर रखने का काम। पुराने कुएँ तालाबों की मरम्मत हुई। छोटे—छोटे लगभग आठ हजार बाँध बने। बारिश की एक—एक बूंद व्यर्थ न जाए, इसकी व्यवस्था की गई। देखते ही देखते सैकड़ों जल—संरक्षण संरचनाएँ बनकर तैयार होने लगीं। जिनमें साल के ज्यादा दिनों तक पानी रहता है। इससे धरती के अंदर का जलस्तर भी बढ़ने लगा। पर चमत्कार तो तब हुआ जब यहाँ की पाँच ऐसी नदियाँ जो लुप्त हो गई थीं, उनमें फिर से जलधारा प्रवाहित होने लगी। मेहनत रंग लाई। आज तरुण भारत संघ (राजेन्द्र सिंह की अगुआई वाली संस्था) के प्रयास से अलवर का यह सूखा क्षेत्र अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए आज प्रसिद्ध है।

भारती : दीदी! जिन गाँवों की कहानी आपने सुनाई उनमें तो अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग थे। ग्रामीणों का दुख—दर्द समझकर, सहभागी योजना बनाकर, लक्ष्य को प्राप्त की क्षमता रखने वाले लोग, पर ऐसे लोग हर गाँव के नसीब में थोड़े ही हैं? जहाँ नेतृत्व न हो, क्या उन गाँवों में भी बदलाव की कोई तरकीब है? हाँ, क्यों नहीं, सुनो—

कुडुंबश्री : केरल

प्रेरणा : केरल में कुडुंबश्री एक ऐसा ही अभियान है जिसने वहाँ के बहुत से गावों की तकदीर बदल दी है। वहाँ के ग्रामीण आस-पास रहने वाले लोगों का एक समूह बना लेते हैं। इसे पड़ोसियों का समूह (Neighbourhood Community) कहते हैं। ये समूह आजकल स्थानीय योजनाओं के लिए एक बुनियादी इकाई बन गये हैं। पड़ोसी समूह में किसी एक कारोबार में रूचि रखनेवाले लोग अपने बीच में एकस्वयं सहायता समूह (SHG: Self Help Group) बना लेते हैं और सेवात्मक (Services) या उत्पादक गतिविधियों में लग जाते हैं। कभी कभी दो तीन पड़ोसी समूह एक बड़ा समूह बना लेते हैं। यह प्रयोग बड़ी तेजी से आर्थिक-सामाजिक स्वावलंबन ला रहा है। पड़ोसी समूहों के माध्यम से अनेक उद्योगों और सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे- नारियल के तेल की पेराई, घरेलू सामान बनाना, खिलौने बनाना, यातायात सेवाएँ देना और सुपर मार्केट चलाने जैसी अनेक गतिविधियाँ। यहाँ व्यक्ति नहीं, बल्कि समूह ही प्रधान होता है और अपने सपने पूरे करता है।

भारती : दीदी! क्या सभी गाँवों में समस्याएं होती हैं? बिना समस्याओं के भी कोई गाँव है क्या?

प्रेरणा : नहीं तो! समस्याएँ न हों तो जीवन में विकास की भूमिका ही नहीं बन पाती हैं। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल कर वातावरण बनाना, यही तो जीवन का अर्थ है। कहा भी है –

वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या,

जब पथ में बिखरे शूल न हों।

नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,

जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।।

समस्या यह है कि लोग परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं बैठा पाते हैं। जबकि परिवर्तन प्रकृति का दूसरा नाम है। कभी लोगों को लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। कभी कोई न कोई सामुदायिक समस्या खड़ी हो जाती है। परिस्थितियों के विपरीत होने से जीवन कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियों में अपने भीतर का नेता उभरकर सामने आता है। परिस्थितियों की समीक्षा करता है। अपने संसाधनों को तौलता है। लोगों से मिलकर साझा लक्ष्य बनाता है और साथ लेकर समस्या के हल के लिए प्रयत्न करता है।

- भारती :** तो क्या सारे प्रयास सफल होते हैं?
- प्रेरणा :** पूरे मनोयोग से, सबको साथ लेकर आत्मबुद्धि से बनाई गई नीतियों पर चलकर खड़ा किया गया अभियान सफल होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
- भारती :** दीदी! समाचार पत्रों में कुछ देशों को विकसित, कुछ को अविकसित और कुछ को विकासशील क्यों कहते हैं? इस तरह की तुलना का क्या मतलब है? समझाओ न!
- प्रेरणा:** संसार के बहुत से देशों ने मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन बनाया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) कहते हैं। इसी का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)। इसने कुछ मानक बनाए हैं, जो यह बताते हैं कि किस देश में विकास की क्या स्थिति है? विकास को मापने के लिए जो पैमाने बनाए हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-स्तर, लैंगिक स्थिति, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर इत्यादि प्रमुख है। विभिन्न देशों में इन मानकों के अनुसार जो स्थिति बनती है। उसी के आधार पर यह तय होता है कि विकास के क्षेत्र में कोई देश किस स्तर पर पहुँच सका है।
- भारती :** अच्छा! यह तो बताओ कि हमारे देश की विकास के पैमानों पर क्या स्थिति है?
- प्रेरणा :** हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है। बहुआयामी विकास भी हो रहा है। फिर भी बहुत से मानकों में हम विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं।
- भारती :** दीदी! अभी हमारा प्रदेश कहाँ तक पहुँच सका है?
- प्रेरणा :** हमारे प्रदेश में भी बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में विकास के आधार पर हमें पांच बार **राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार** से सम्मानित किया जा चुका है। फिर भी विकास के अनेक मानकों में अपना प्रदेश पीछे है। पूर्व में हमारे राज्य को बीमारू या अविकसित राज्य कहा जाता था परन्तु अब विकास के सभी सूचकांकों पर हमारी स्थिति बेहतर प्रमाणित हुई है। अभी भी विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
- भारती :** मैं समझ गई दीदी, कि विकास गाँव के लिए जरूरी है। परन्तु मैं मध्य प्रदेश के विकास के अन्य मुद्दों को भी गहराई से समझना चाहती हूँ।
- प्रेरणा :** यह तो बड़ी अच्छी बात है। पर क्या आज ही सब समझ लोगी या बाद के लिए भी कुछ छोड़ोगी?
- भारती :** दीदी! जब अपने गाँव, अपने प्रदेश के विकास की बात हो रही है तो कोई चुप कैसे बैठ सकता है। मैं भी जल्दी-जल्दी सब बातें जानकर अपने गाँव और प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करिए।

इकाई— 1 : विकास की अवधारणा(Concept of Development)

उद्देश्य :-

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- विकास की अवधारणा क्या है? विकास को हम कैसे समझ सकते हैं?
- विकास से मिलती-जुलती अन्य अवधारणाएं कौन-कौन सी हैं और ये किस प्रकार भिन्न हैं?
- उद्विकास क्या है? इसकी विशेषताएं और स्वरूप कौन-कौन से हैं?
- प्रगति किसे कहते हैं? आर्थिक वृद्धि और विकास से यह किस प्रकार भिन्न है?

परिचय(Introduction)

विकास एक व्यापक अवधारणा है। जिसमें समस्त प्रकार के परिवर्तन सन्निहित हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। इस प्रकार विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। जिससे कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। विकास आधुनिक युग में विकसित अवधारणा है जो सापेक्षिक है। देशकाल एवं परिस्थिति के अनुरूप अपनी उपयोगिता एवं महत्व को स्पष्ट करती है। योगेन्द्र सिंह के अनुसार “समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं। अतः विकास की धारणा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनैतिक तथा भौगोलिक दशाओं के आधार पर प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है।”

समकालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा में अन्तरनिहित अवधारणाओं यथा उद्विकास एवं प्रगति, आर्थिक वृद्धि एवं विकास तथा सतत् विकास महत्वपूर्ण है। ये समस्त अवधारणाएं मिलकर ही विकास की अवधारणा को पूर्णता प्रदान करती हैं।

उद्विकास एवं प्रगति(Evolution and Progress)

उद्विकास एवं प्रगति सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं जो सदैव उर्ध्व दिशा की ओर होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की सर्वव्यापी अवधारणा में उद्विकास एवं प्रगति की अवधारणा किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तन की दिशा एवं दशा को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्येक समाज में अंतर्निहित गुणों के आधार पर परिवर्तन अनिवार्यतः होता है इस परिवर्तन को

निश्चित एवं वांछित आधार पर नया स्वरूप दिया जा सकता है । इस परिप्रेक्ष्य में उद्विकास एवं प्रगति को परिवर्तन के अलग-अलग प्रतिरूप के रूप में समझना आवश्यक है ।

उद्विकास (Evolution) :

उद्विकास मूलतः प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। विकासवादी सिद्धांत के जनक डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जीवों की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में उद्विकासिय अवधारणा दी एवं सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर जीवों में होने वाले विकास को स्पष्ट किया। शाब्दिक अर्थ में उद्विकास अंग्रेजी शब्द Evolution शब्द का हिन्दी रूपांतरण है। Evolution शब्द लैटिन भाषा के Evolvere शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बाहर की ओर फैलना। इस शाब्दिक अर्थ में उद्विकास का अर्थ ऐसा परिवर्तन जो बाहर की ओर फैलता है एवं एक सरल अवस्था से जटिल अवस्था में आता है, सम्मिलित है किन्तु प्रत्येक प्रकार का फैलाव उद्विकास नहीं होता। इस शाब्दिक अर्थ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। वैज्ञानिक अर्थात् तार्किक दृष्टिकोण से उद्विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सरल एवं सादी वस्तु अथवा सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूपधारण कर लेता है। वस्तु अथवा जीव में होने वाला क्रमिक परिवर्तन उनमें नीहित आंतरिक गुणों के कारण होता है, उदाहरण के तौर पर एक बीज का वृक्ष का रूप धारण करना उद्विकास है । एक वृक्ष में नीहित समस्त विशेषताएँ जड़, तना, डालियाँ, पत्तियाँ फूल इत्यादि प्रारम्भिक अवस्था में बीज के रूप में होते हैं। बीज में वृक्ष की समस्त विभिन्न विशेषताएँ समान सम्बद्धता के रूप में होते हैं जो प्रदर्शित नहीं होते बल्कि आंतरिक गुणों के रूप में विद्यमान होते हैं । बीज क्रमशः प्रत्येक अवस्था में अपने निर्धारित विशेषताओं के रूप में पल्लवित होता है अर्थात् अपनी सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर क्रमबद्ध रूप में विकसित होता है । उर्ध्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बीज के समस्त गुण निश्चित एवं परस्पर संबंधित विभिन्न विशेषताओं में निर्मित होते जाते हैं अर्थात् वृक्ष के रूप में समस्त अंग पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते हैं। डार्विन के अनुसार प्रत्येक वस्तु एवं जीवित सावयव परिवर्तन के क्रमिक अवस्था में अनिश्चित असम्बद्ध एक रूपता से निश्चित सम्बद्ध अनेकरूपता में बदल जाता है अर्थात् वस्तु अथवा जीव के गुण, संरचना एवं कार्य एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तित होते हैं तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास को एक सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है।

उद्विकास = निरन्तर परिवर्तन + निश्चित दिशा + गुणात्मक अंतर + ढांचे व कार्य में भिन्नता

हबर्ट स्पेंसर के अनुसार – “उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असम्बद्ध समानता से निश्चित और सम्बद्ध भिन्नता में बदल जाता है”

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार – “जब परिवर्तन में निरन्तरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक निश्चित दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है”

उद्विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Evolution)

1. उद्विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है ।
2. उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन है ।
3. उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की प्रक्रिया है ।
4. उद्विकास एक निश्चित दिशा एवं निश्चित क्रम में होने वाला परिवर्तन है ।
5. उद्विकास में परिवर्तन वस्तु अथवा जीव के आंतरिक गुणों के द्वारा होता है ।
6. उद्विकास सरल से जटिल व समानता से भिन्नता की ओर परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है ।
7. उद्विकास में अवस्थाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती ।
8. उद्विकास मूल्य रहित प्रक्रिया है ।
9. उद्विकास में अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन के नियम शामिल होते हैं ।

सामाजिक उद्विकास(Social Evolution)

डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय समाजशास्त्री हबर्ट स्पेंसर को जाता है। Principles of Sociology नामक पुस्तक में हबर्ट स्पेंसर ने समाज व सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार मानवीय समाज भी डार्विन के प्राकृतिक प्रवरण (Natural Selection) की प्रक्रिया के सिद्धांत की भांति उद्विकासीय प्रक्रिया से गुजरते हैं । हबर्ट स्पेंसर ने मानव समाज की एक जीवित, निरंतर बढ़ते हुए सावयव (जीव) के रूप में व्याख्या की जो धीरे-धीरे सरल से जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। अपनी जटिल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसाधनों के लिए अत्यधिक

प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है जिसे स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तर जीविता (Survival of the fittest) का नाम दिया ऐसे समाज जो अपने परिवेश के अनुरूप ढल कर संतुलन बनाने में सफल रहते हैं। वे समाज लम्बी अवधि तक चलते रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे समाज जो अपने परिवेश के अनुरूप अनुकूलन करने या प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं उनमें विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समाज कठिनाइयों और समस्याओं से घिर जाते हैं। **स्पेंसर की उद्विकासीय योजना को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है।**

हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार – प्रारम्भ में कोई भी समाज अस्पष्ट होता है धीरे-धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता जाता है।" जैसे-जैसे समाज जटिल अवस्था की ओर बढ़ता है वैसे-वैसे विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाती है उनमें प्रकार्यात्मक विभेदीकरण नहीं पाया जाता क्योंकि प्रत्येक संगठन एक ही प्रकार का कार्य करता है व अन्य कार्यों के लिए उसे दूसरे संगठनों पर निर्भर होना पड़ता है ।

हरबर्ट स्पेंसर के अलावा लुईस मॉर्गन ने उद्विकासीय आधार पर समाज में परिवर्तन को समझाया है ।

सामाजिक उद्विकास की विशेषताएँ(Characteristics of Social Evolution)

1. सामाजिक उद्विकास परिवर्तन का एक स्वरूप है ।
2. सामाजिक उद्विकास वांछित नहीं होता ।
3. सामाजिक उद्विकास की दिशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।
4. सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया समाज में कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है ।
5. सामाजिक उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है ।
6. सामाजिक उद्विकास में निरंतर परिवर्तन शामिल है ।
7. सामाजिक उद्विकास में परिवर्तन समाज के आंतरिक गुणों के कारण होता है ।

सामाजिक उद्विकास के स्तर (Stage of Social Evolution)—मॉर्गन (Morgan) ने मानव समाज के उद्विकासीय विकास के स्तर बताए हैं । इनमें प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम एवं उच्च स्तरों में बाँटा गया है ।

(1) जंगली अवस्था (Savage stage)—

- (अ) जंगली अवस्था का निम्न स्तर – इस अवस्था में मानव भोजन एवं आवास के लिए घुमन्तु जीवन व्यतीत करता था एवं परस्पर संबंधों में स्वच्छन्दता थी ।
- (ब) जंगली अवस्था का मध्यस्तर— इसमें मानव ने सामूहिक जीवन आरम्भ किया एवं छोटे छोटे झुण्ड बनाकर रहने लगा ।
- (स) जंगली अवस्था का उच्चस्तर – इस अवस्था में मानव ने तीर एवं धनुष का आविष्कार किया। इस स्तर पर पारिवारिक जीवन आरम्भ हुआ, सामूहिक संघर्ष आरम्भ हुआ एवं पत्थर के हथियार एवं औजार का निर्माण किया गया ।
- (2) बर्बर अवस्था : बर्बर अवस्था का निम्न स्तर :- इस अवस्था में मानव जीवन पर्याप्त स्थिर व झुण्ड के रूप में रहा। संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ। दूसरे समूहों से संघर्ष हुआ जो स्त्री, हथियार एवं बर्तन प्राप्त करने के लिए था।
- बर्बर अवस्था का मध्यस्तर – इस अवस्था में मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य आरम्भ किया एवं स्थिर निवास स्थान बनाकर कृषि करने लगे ।
- व्यक्तिगत सम्पत्ति की धारणा पनपी एवं सामाजिक स्थिति का निर्धारण सम्पत्ति के आधार पर होने लगा यौन संबंधों में निष्चितता के कारण परिवार का स्वरूप भी स्पष्ट हुआ ।
- बर्बर अवस्था का उच्च स्तर – इस अवस्था में लोहे के औजार बनाना स्त्री एवं पुरुषों में श्रम विभाजन का पनपना तथा छोटे गणराज्यों की स्थापना भी हुई । धातुओं के प्रयोग के कारण इस अवस्था को धातुयुग भी कहते हैं ।
- (3) सभ्यता की अवस्था—
- (अ) सभ्यता की निम्न अवस्था—यह अवस्था लेखन कार्य से आरम्भ हुई। भाषा का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने के कारण संस्कृति का संचरण आसान होगा या पारिवारिक जीवन में स्थिरता, नगरों की बसाहट, नगरीय सभ्यता का उदय, व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार कला व शिल्पकला का विस्तार प्रमुख विशेषताएँ रहीं ।
- (ब) सभ्यता अवस्था का मध्यमस्तर— इस युग में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों में व्यवस्था आई, श्रमविभाजन एवं विषेधीकरण बढ़ा, राज्य के कार्य क्षेत्रों का तथा सरकार व कानून का विस्तार हुआ तथा मानव जीवन में सुरक्षा बढ़ी ।

(स) सभ्यता का उच्च स्तर— मॉर्गन के अनुसार इस स्तर का प्रारम्भ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानते हैं। जब औद्योगिकरण के कारण आधुनिक एवं जटील नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। संपत्ति का संचय, श्रम विभाजन एवं विषेष्टीकरण का विस्तार हुआ। पूंजीवाद व्यवस्था का जन्म हुआ वर्ग संघर्ष ने जन्म लिया। साम्यवादी विचारधारा भी पनपी जिसने सम्पत्ति के समान वितरण यह जोर दिया। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था व्यापक रूप से निर्मित हुई जिसमें राज्य को कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया गया कला, धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान प्रगति हुई।

आर्थिक जीवन का उद्विकास(Evolution of Economic Life)

- (1) शिकार करने एवं भोजन एकत्रित करने का स्तर (Hunting and food gathering stage)— यह जीवन सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अनिश्चित था क्योंकि मानव भोज्य सामग्री का संग्रह शिकार करके व वनोपज संपत्ति एकत्र करके करता था
- (2) चारागाह स्तर : पशुपालन की इस अवस्था मानव में पशुओं को मारने के स्थान पर उसका उपयोग जीवन यापन के साधन के रूप में करने लगा पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, खाल, बाल, हड्डीयों का प्रयोग किया जाने लगा इस अवस्था में मानव जीवन में पर्याप्त स्थिरता आ गई ।
- (3) कृषि स्तर (Agriculture Stage) : कृषि कार्य का आरम्भ हुआ तथा मानव जीवन में स्थिरता यानि आवास के लिए झोपड़े बनाना एवं गाँव बनाकर रहन साथ ही भूमि को सम्पत्ति माना गया एवं वस्तुविनिमय की प्रथा का प्रचलन हुआ ।
- (4) प्रौद्योगिक स्तर (Technological Stage) : इस स्तर पर मानव ने मशीनों का आविष्कार किया बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ा जिसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
 - (अ) योग्यतम की जीत(Survival of the Fittest) : यानि अस्तित्व के लिए संघर्ष और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो योग्य होते हैं।
 - (ब) प्राकृतिक चुनाव (Natural Selection):अर्थात् जीवित रहने के लिए पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना । परिवर्तित पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने पर कभी-कभी जीव में शारीरिक उत्परिवर्तन (Mutation) आ जाते हैं। उत्परिवर्तन में शारीरिक

बनावट में बदलाव जिससे पर्यावरण के साथ अनुकूलन होता है । उत्परिवर्तन की यही विशेषता वंशानुक्रमण के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो जीवों में भिन्नता आ जाती है। अतः जीवों का विकास समरूपता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर होता है।

सामाजिक उद्विकास का महत्व (Importance of Evolution)— सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तन को समझने में सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है,

1. सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में समाज के अंतर्निहित गुणों के आधार पर होने वाले परिवर्तन की विशेषता के आधार पर समाज की प्रकृति को वास्तविक रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक समाज में संरचना एवं व्यवस्था के प्रतिरूपों में भिन्नता पायी जाती है। इस भिन्नता के निर्धारक तत्वों के विषय में जानकर उद्विकासीय अनिवार्य परिवर्तन के साथ-साथ उचित दिशा का निर्धारण करके विकास एवं प्रगति की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। सामाजिक भिन्नता में धर्म, जाति, प्रजाति, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति अथवा अधिकार विषेधाधिकार आदि स्पष्टीकरण में सहयोगी होते हैं।
2. उद्विकासीय परिवर्तन कारणों की व्याख्या करने में सहयोगी है क्योंकि उद्विकास की अवधारणा में परिवर्तन के पिछली अवस्था के स्थायी तत्व भी सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में सामुदायिक प्रयासों का विभेदीकृत सामुदायिक संस्थाओं की ओर विकसित होना एवं विभिन्न समितियों में सम्मिलित होना शामिल है अतः समाज में होने वाले संस्थागत परिवर्तन, प्रथाओं के स्थापित्व का स्वरूप एवं विभिन्न समितियों का कार्यात्मक स्वरूप को सामाजिक उद्विकासीय प्रक्रिया के द्वारा वास्तविक रूप में समझा जा सकता है।

प्रगति(Progress) :

प्रगति, सामाजिक परिवर्तन की व्यापक अवधारणा है। परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाता है। प्रगति में सामाजिक कल्याण एवं सामूहिक हित की भावना शामिल होती है।

सामाजिक प्रगति की अवधारणा में विकास की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं दिशा दर्ज नहीं की जाती बल्कि यह घटना सामाजिक विकास का परिणाम होती है। जिसमें तकनीकी ज्ञान एवं विज्ञान में वृद्धि तथा जटिल सामाजिक संगठन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति और उसके मापदण्ड सामाजिक जीवन के संपूर्ण रूपों की स्थापना को दर्शाते हैं। सामाजिक प्रगति में निहित परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है।

प्रगति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Progress) :

प्रगति अंग्रेजी शब्द का हिन्दी रूपांतरण है। Progress शब्द लेटिन भाषा Progreior शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ है To step forward यानि आगे बढ़ना अर्थात् वांछित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना प्रगति कहलाती है।

- लेस्टर वार्ड के अनुसार— “प्रगति मानवीय सुख में वृद्धि करती है।”
- हॉबहाउस— “प्रगति का तात्पर्य सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों की वृद्धि होना है जिन्हें वे अपने में आत्मसात कर सकें तथा उनके सामाजिक मूल्यों को विवके पूर्ण बना सकें।
- गुरविच एवं मूर—“प्रगति स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित मूल्यों की ओर बढ़ना है।
- लूम्ले के अनुसार— “प्रगति केवल उसी परिवर्तन को कहा जा सकता है जो हमने पहले ही निर्धारित कर लिया है या जो हमारी इच्छित दिशा में हो”
- ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार— “उत्तमता के लिए होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं।”

प्रगति की विशेषताएं (Characteristics of Progress) –

- प्रगति वांछनीय एवं मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन है।
- प्रगति सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है।
- प्रगति परिवर्तनशील अवधारणा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार “इस प्रक्रिया में अंतिम मूल्यों का निर्णय व्यक्ति और समूह के विचारों और अनुभवों के अनुसार बदलता रहता

है।" अतः मूल्यों पर आधारित होने के कारण प्रगति की अवधारणा में भी परिवर्तन होते रहते हैं।

- प्रगति स्वचलित प्रक्रिया नहीं है:— प्रगति स्वतः नहीं होती बल्कि समाज के द्वारा लक्ष्य निर्धारित करके सचेत व नियोजित प्रयास किए जाते हैं ।
- प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है ।
- प्रगति की अवधारणा तुलनात्मक है क्योंकि यह समय एवं स्थान के अनुसार बदलती है। प्रगति के निश्चित मापदण्डों के आधार पर प्रगति की तुलना की जा सकती है।
- प्रगति में नियोजित परिवर्तन होता है अर्थात् निर्धारित लक्ष्यों को नियोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- प्रगति मूल्यांकनात्मक होती है। पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परिवर्तन के परिणाम किस प्रकार के हैं इसका मूल्यांकन किया जाता है अर्थात् मूल्य आधारित परिवर्तन ही प्रगति है।
- प्रगति सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात् प्रत्येक देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाता है। उदा. के लिए एक ही समाज में जो पहले प्रगति का सूचक था आज वह पिछड़ेपन का प्रतीक हो सकता है।

प्रगति के मापदण्ड (Measurement of Progress) :प्रत्येक समाज में प्रगति के मूल्यों में अन्तर पाया जाता है जो देशकाल एवं वातावरण के द्वारा निश्चित एवं निर्धारित होते हैं अलग-अलग समाजों में मापदण्ड का आधार व मूल्यों की प्राथमिकताएँ भिन्न हो सकती हैं। अतः कोई समाज कितना प्रगतिशील है या निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हुई है अथवा नहीं। इसका मापन करने के लिए विद्वानों ने कुछ मापदण्ड निर्धारित किए हैं।

बोगार्डस के अनुसार प्रगति के 14 मापदण्ड है जो निम्नानुसार है : —

- प्राकृतिक संसाधनों का जनहित में प्रयोग ।
- अधिकाधिक व्यक्तियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना ।
- स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं स्वच्छता में वृद्धि ।

- मनोरंजन के उपयुक्त एवं पर्याप्त साधन ।
- पारिवारिक संगठन में वृद्धि ।
- रचनात्मक कार्यों के लिए व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना ।
- व्यापार एवं उद्योग में जनता के अधिकारों की वृद्धि ।
- दुर्घटना, बीमारी, बेकारी, मृत्यु, बुढ़ापा के विरुद्ध सामाजिक बीमा की व्यवस्था करना ।
- समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन स्तर में विकास ।
- सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक सहयोग की मात्रा में वृद्धि ।
- विविध कलाओं का अधिकाधिक प्रसार ।
- धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन का विकास ।
- व्यावसायिक, बौद्धिक एवं कल्याणकारी शिक्षा का विस्तार ।
- सामुदायिक और सहयोगी जीवन में वृद्धि ।

प्रगति की दशाएँ(Conditions of Progress)–

1. **स्वतंत्रता एवं समानता** – स्वतंत्रता प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देती है जिसमें लोगों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मविश्वास एवं सम्मान की मनोवृत्ति विकसित होती है इसी प्रकार अवसरों की समानता व्यक्तियों में विश्वास को जन्म देती ।
2. **शांति एवं सुरक्षा** – समाज में आंतरिक व्यक्तियों में अनुकूल वातावरण निर्मित हो जिससे समाजिक समस्याओं में कमी आएगी व शांति एवं आंतरिक सुरक्षा निर्मित होगी । इसके अतिरिक्त बाह्य आक्रमणों से नागरिकों को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है । असुरक्षित राष्ट्र प्रगति की दिशा में परिवर्तित नहीं हो पाते ।
3. **सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण** – देश में व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण की सार्वजनिक व्यवस्था करना आवश्यक है । इसके अभाव में किसी भी स्तर की प्रगति सम्भव नहीं है ।
4. **भौतिक एवं प्रकृति संसाधनों की प्रचुरता** – देश में भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता प्रगति में सहायक होती है । भौतिक साधनों में खनिज पदार्थों की प्रचुरता तथा उसमें देश

का पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। भौतिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाना प्रगति के लिए आवश्यक है।

5. **आदर्श जनसंख्या** – किसी भी समाज की जनसंख्या में जब जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी, प्रत्यापित आयु में वृद्धि, जनता का अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आदि परिस्थितियाँ प्रगति के लिए अनिवार्य हैं।
6. **शिक्षा का प्रचार व प्रसार**— शिक्षा की आवश्यकता एवं अनिवार्यता का प्रचार करना, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है साथ ही शिक्षा के द्वारा विकसित ज्ञान प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
7. **न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था** – समाज में व्यक्तियों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास) की पूर्ति की व्यवस्था हो इसके अभाव में असुरक्षा की भावना निर्मित होती है। जो प्रगति के मार्ग में बाधक है।
8. **प्रौद्योगिकी प्रगति एवं नवीन आविष्कार** – देश में प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक आविष्कार की उन्नति, प्रगति का मुख्य आधार है। प्रौद्योगिकी उन्नति एवं बढ़ते आविष्कारों से व्यक्तियों में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा ज्ञान के क्षेत्र विकसित हैं एवं नवीन संचार सुविधाओं का लाभ होता है। निष्चय ही किसी भी देश की प्रगति की गति प्रौद्योगिकी व आविष्कारों पर आधारित होती है।
9. **राजनीतिक स्थिरता** – सामाजिक प्रगति के लिए स्थिर सरकार का होना आवश्यक है राजनीतिक अस्थिरता समाज में भय, आशंका व निराशा तथा अनिश्चितता का वातावरण निर्मित करती है जो किसी भी क्षेत्र में प्रगति में बाधक है।
10. **योग्य नेतृत्व** – समाज में समाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक नेता देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। प्रगति में योग्य मार्ग दर्शन, लक्ष्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होता है अर्थात् समाजिक हितों प्रधानता देने वाले प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित कुशल नेतृत्व प्रगति में सहायक होते हैं।
11. **नैतिक चरित्र** – समाज में प्रत्येक व्यक्तियों का नैतिक विकास उनके नैतिक चरित्र का द्योतक है। नैतिक चरित्र राष्ट्रीय चरित्र को अभिव्यक्त करता है समाज में भ्रष्ट, अन्यायी

एवं अनैतिक प्रवृत्ति समाज के कल्याणकारी कार्य में बाधक होती है। जिससे उस समाज की प्रगति प्रभावित होती है।

12. **कार्य में विष्वास** – समाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि लोगों में भाग्यवादिता व नियतिवाद के स्थान पर स्वयं की शक्ति और कार्य में विष्वास निर्मित हो। किसी भी क्षेत्र में जनता की कार्यक्षमता कर्मठता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

उद्विकास एवं प्रगति में अन्तर (Difference between Evolution and Progress)

:उद्विकास एवं प्रगति दो भिन्न अवधारणाएँ हैं एवं सामाजिक परिवर्तन के भिन्न पहलू हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसमें निम्नांकित अन्तर स्पष्ट होता है—

1. उद्विकास एक वैज्ञानिक अवधारणा है जबकि प्रगति मूल्य आधारित अवधारणा है।
2. उद्विकास की प्रक्रिया निश्चित होती है किन्तु प्रगति निश्चित नहीं होती।
3. उद्विकास स्वचलित प्रक्रिया है किन्तु प्रगति में सचेत प्रयास आवश्यक होते हैं।
4. उद्विकास आंतरिक गुणों के विकास की प्रक्रिया है जबकि प्रगति का आन्तरिक एवं बाह्य कारक प्रभावित करते हैं क्योंकि प्रगति में निश्चित उपयोगी एवं निर्धारित लक्ष्य की और बढ़ना आवश्यक होता है।
5. उद्विकास किसी भी प्रकार की वृद्धि के अर्थ में है किन्तु प्रगति में उन्हीं सामाजिक जीवन के उन्हीं विशेषताओं में वृद्धि सम्मिलित है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है।
6. उद्विकास में निरंतरता आवश्यक तत्व है किन्तु प्रगति अवरुद्ध हो सकती है।
7. उद्विकास का क्षेत्र विस्तृत है जबकि प्रगति का क्षेत्र तुलनात्मक रूप में सीमित है।
8. उद्विकास में परिवर्तन अनिवार्य होता है किन्तु प्रगति समाज के व्यक्तियों की इच्छाओं पर आधारित है।
9. उद्विकास की धारणा प्रत्येक काल एवं समाज में समान है किन्तु प्रगति की अवधारणा में देशकाल एवं परिस्थिति का प्रभाव होता है।

सारांश (Summary)

- सामाजिक उद्विकास एवं प्रगति की अवधारणा में निहित तथ्यों के आधार पर समाज के विकास की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। प्रत्येक समाज में विकास की दिशा में होने वाले परिवर्तन के लिए निर्धारक कारक के रूप में उस समाज की आन्तरिक गुणात्मक विशेषताएँ महत्वपूर्ण होती हैं जो विकास में प्रभावशाली होती हैं। सतत विकास की दिशा में विकास की जिस व्यापक अवधारणा को सम्मिलित किया गया है उस दिशा में उद्विकास की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को समाज विशेष के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है क्योंकि सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन समान रूप से नहीं होते। इसी प्रकार प्रगति की मूल्य आधारित अवधारणा से समाज में मूल्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। विकास की निरन्तरता की दिशा में सार्वभौमिक रूप से मान्य व अपरिवर्तनशील मूल्य जैसे मानव एवं पर्यावरण के बीच सम्बन्ध, हिंसा में कमी, वैश्विक कल्याणकारी कार्यों को महत्व देना, तथा मनुष्य के सम्मान को महत्व देना आदि को समाज के प्रगति के मापदंड के रूप में स्वीकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

विकास की चर्चा करते समय हम अनेक शब्दों को लगभग सामानार्थी शब्द के रूप में उपयोग कर लेते हैं जबकि इनमें मूलभूत अंतर है। यहां विकास के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों को स्पष्ट करने प्रयास किया गया है –

- **उद्विकास(Evolution)** : उद्विकास मूलतः प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। उद्विकास को सूत्र रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है – उद्विकास = निरन्तर परिवर्तन + निश्चित दिशा + गुणात्मक अंतर + ढांचे व कार्य में भिन्नता
- **परिवर्तन(Change)**: वर्तमान दशा में किसी भी प्रकार का बदलाव चाहे वह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक परिवर्तन कहलाता है।
- **प्रगति (Progress)**: प्रगति सामाजिक परिवर्तन की व्यापक अवधारणा है। निमकॉफ के अनुसार उत्तमता के लिए होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में वांछित और सकारात्मक परिवर्तन प्रगति है।
- **अभिवृद्धि(Growth)**: अभिवृद्धि का तात्पर्य किसी संरचना का अथवा संरचना के किसी घटक का बढ़ना है। यह आनुपातिक भी हो सकता है और गैर-आनुपातिक भी।

- **विकास(Development):**संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी सम्बन्धित है। विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि से ही नहीं है बल्कि उसमे सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित हैं।

स्व-मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न(Long answer type questions)**
 1. उद्विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइयें।
 2. उद्विकास की विशेषताएं लिखिए।
 3. सामाजिक उद्विकास क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
 4. सामाजिक उद्विकास के स्तर/अवस्थाओं को समझाइये।
 5. प्रगति को परिभाषित कर इसकी विशेषताएं लिखिए।
 6. प्रगति की दशाओं को स्पष्ट करते हुए उद्विकास और प्रगति में अंतर कीजिए।
- **लघु उत्तरीय प्रश्न(Short answer type questions)**
 1. योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को समझाइये।
 2. सामाजिक उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्यता स्तर को समझाइये।
 3. मार्गन के परिवार उद्विकास के क्रम को लिखिए।
 4. प्रगति की दशाओं को स्पष्ट कीजिए।
 5. उद्विकास और प्रगति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न(Very short/ Objective type questions)**
 1. उद्विकास शब्द को समझाइये।
 2. उद्विकास को सूत्र रूप में कैसे समझा सकते हैं?
 3. डार्विन का सिद्धांत क्या हैं?
 4. आर्थिक उद्विकास को समझाइये।
 5. प्रगति के शाब्दिक अर्थ को समझाइये।

प्रदत्त कार्य(Assignment)

यह इकाई मूलतः विकास की सैद्धांतिक अवधारणा को पुष्ट करने के लिए हैं जिससे आप विकास और उसके विविध पक्षों को समझ सकें। न सिर्फ समझ सकें बल्कि आपमें उन मानकों को अपने आसपास के क्षेत्र में स्थापित करने की दृष्टि स्थापित हो सकें। इस दृष्टि से इस ईकाई में प्रदत्त कार्य सैद्धांतिक बातों पर आधारित व्यावहारिक कार्य के रूप में हैं।

1. आपके अपने क्षेत्र में विकास की कौन-सी योजना सबसे प्रभावशाली रूप में लागू हुई है। आपकी दृष्टि में इसके प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? सूची बनाकर स्पष्ट कीजिए।
2. आपके अपने क्षेत्र में विकास की कौन-सी योजना ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है लेकिन वह लागू नहीं की जा सकी है। आपकी दृष्टि में इसके प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं? सूची बनाकर स्पष्ट कीजिए।
3. आप अपने गांव में बीते एक दशक में आये बदलावों की सूची बनाइये। जिसमें सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, पर्यावरण के बदलाव और गांव की सुविधाओं में हुए बदलावों की पृथक-पृथक सूची हो।

संदर्भ(References)

मुद्रित संदर्भ :

- हरिकृष्ण रावत : समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार : – रावत पब्लिकेशन 2011
- के. एल. शर्मा : भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन
- वी.सी.सिन्हा, पुष्पा सिन्हा : आर्थिक संवृद्धि एवं विकास
- डी.एस.बघेल : परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र
- जी.आर.मदन : विकास का समाजशास्त्र
- L.T.Hob House : Social evolution and Political theory

वेब संदर्भ :

- <https://www.youtube.com/watch?v=Sa6SXjfk6YI>
- <https://www.nayadost.in/2021/04/saamaajik-udvikaas-ka-siddhaant-in-hindi.html>
- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/66947/1/Unit-1.pdf>
- http://www.uprtou.ac.in/other_pdf/MASY-105-H-272-final Compressed.pdf

इकाई-2 : विकास केसंकेतक और आयाम (Indicators & Dimensions of Development)

उद्देश्य :-

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- आर्थिक वृद्धि और विकास में क्या साम्य हैं और क्या अंतर हैं?
- सामाजिक विकास के विविध आयाम कौन-कौन से हैं?
- सामाजिक आर्थिक नियोजन क्या हैं? विकास से यह किस तरह सम्बन्धित हैं?
- विकास के मापन के लिये विविध प्रकार के संकेतक कौन-कौन से हैं? इनके आधार पर विकास को किस प्रकार मापा जाता है?

आर्थिक वृद्धि और विकास(Economic Growth & Development)

आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य किसी समयावधि में किसी अर्थ व्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में तथा भौतिक उत्पादन में कुल वृद्धि से है। सामान्य अर्थ में यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो यह उस देश की आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि का संबंध मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक वृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है जो मात्रात्मक परिवर्तन से जुड़ी है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाली उत्पादन क्षमता और वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है अर्थात् किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सरल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ ही उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा में वृद्धि करना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। इस वृद्धि का निरंतर एवं दीर्घकाल तक जारी रहना आवश्यक है क्योंकि आकस्मिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि नहीं कहलाएगी। आर्थिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में एक समान स्तर पर वृद्धि हो। यह सम्भव है कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में अधिक वृद्धि हो और कुछ वस्तुओं में कम वृद्धि हो। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मूल रूप में आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य दीर्घावधि में कुल उत्पादन में वस्तुओं की मात्रा में होने वाली कुल वृद्धि है साथ ही इसमें जनसंख्या के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना आवश्यक है इस परिप्रेक्ष्य में प्रो.वरेरी ने आर्थिक वृद्धि के तीन रूप बताए हैं :

1. **प्रगतिशील आर्थिक वृद्धि**— यानि देश की जनसंख्या की अपेक्षा कुल आय में अधिक वृद्धि होना।
2. **अधोगामी आर्थिक वृद्धि**— देश में जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा कुल आय में कम वृद्धि होना और
3. **स्थिर आर्थिक वृद्धि**— जनसंख्या और कुल आय में वृद्धि एक ही दाम में बढ़ती हो।

परिभाषा :मायर के अनुसार— “आर्थिक वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।”**सालवत्री** के अनुसार : “आर्थिक वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप दीर्घकाल तक उस देश के प्रति व्यक्ति वास्तविक सफल राष्ट्रीय उत्पाद या आय में वृद्धि होती है।”

आर्थिक वृद्धि की विशेषताएँ(Characteristics of Economic Growth) :

1. आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय अथवा उत्पादन में वृद्धि से ही होता है इसलिए यह एक संकुचित धारणा है।
2. आर्थिक वृद्धि मापनीय होती है। प्रतिव्यक्ति आम में वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि मापनीय एवं तुलनात्मक होती है।
3. आर्थिक वृद्धि दीर्घकाल में होने वाला क्रमिक और स्थिर परिवर्तन है जो बचत एवं जनसंख्या की दर में सामान्य वृद्धि के द्वारा आता है। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि स्वतः प्रक्रिया है।
4. आर्थिक वृद्धि में प्रतिव्यक्ति आय एवं उत्पादन में होने वाली वृद्धि का वितरण किस प्रकार से होगा? इस संदर्भ में ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए वितरण को महत्व नहीं दिया जाता है।
5. आर्थिक वृद्धि में उत्पादन से संचालित विधियों एवं संस्थाओं में प्रभावशीलता सम्मिलित नहीं होती। इसलिए सामाजिक संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की अवहेलना की जाती है।
6. श्रीमति उर्सुल्ला हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित एवं उन्नत देशों में लागू होता है जहां अधिकांश साधन पहले से ही ज्ञात एवं विकसित होते हैं।

7. आर्थिक वृद्धि परम्परागत एवं नियमित घटनाओं का परिणाम होती है इसलिए इससे व्यक्तियों की विचारधारा में परिवर्तन नहीं हो पाता।
8. आर्थिक वृद्धि का संबंध समाज की संस्थागत एवं संरचनात्मक व्यवस्था तथा तकनीकी परिवर्तन से नहीं होता।

आर्थिक विकास (Economic Development)— 1960 के दशक तक आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि का पर्यायवाची माना जाता था किन्तु अब आर्थिक विकास की अवधारणा पृथक रूप में समझी जाती है। आर्थिक विकास विस्तृत अवधारणा है जिसका आषय अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन से है अर्थात् आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के वितरण में वांछित परिवर्तन तथा तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन ही आर्थिक विकास है। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का हिस्सा तब तक नहीं बनती जब तक गरीबी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, बेरोजगारी में परिवर्तन नहीं होते। आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ परिवर्तन से है जो गुणात्मक सुधार के रूप में होता है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि से व्यापक है। आर्थिक विकास किसी देश के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। इसका प्रमुख लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा और बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त करना होता है।

परिभाषा (Definition) : आर्थिक विकास को दो दृष्टिकोणों के आधार पर समझा जा सकता है :

- (1) **परम्परागत दृष्टिकोण :** इस दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा राष्ट्रीय आय या प्रतिव्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के रूप में की जाती है। मेयर एवं बाल्डविन— “आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।”

विलियमसन तथा बट्रिक— के अनुसार “आर्थिक विकास अथवा प्रगति से उस क्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं।”

- (2) **आधुनिक दृष्टिकोण** — आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा सामाजिक कल्याण के रूप में की जाती है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास

उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जनसमुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। 1970 के दशक के बाद अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक कल्याण या लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिभाषित किया।

कोलीन क्लार्क – के अनुसार “आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि से है।”

डी. ब्राईट— के अनुसार “आर्थिक विकास बहुमुखी प्रवृत्ति का द्योतक है जिसमें केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि सम्मिलित नहीं होती बल्कि सामाजिक आदतों, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आर्थिक आराम और वास्तव में उन सभी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में वृद्धि सम्मिलित है जो एक पूर्ण एवं सूखी जीवन का निर्माण करती है।”

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक विकास मनुष्य भी केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन से भी है।”

आर्थिक विकास की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सारगर्भित परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है –

“आर्थिक विकास एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश में समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग होता है, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता का जीवनस्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है।

आर्थिक विकास की विशेषताएँ(Characteristics of Economic Development) :

- **सतत् प्रक्रिया** – आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था में संस्थागत रूप से एवं संरचनात्मक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन की पूर्ति एवं वस्तुओं की मांग की संरचना में परिवर्तन होता है।

- **उत्पादन साधन की पूर्ति में परिवर्तन** – इसके अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि अतिरिक्त संसाधनों की खोज, पूंजी का संचयन, उत्पादन की नई विधियों का प्रयोग, कौशल वृद्धि एवं अन्य संस्थागत परिवर्तन होता है ।
- **मांग की संरचना में परिवर्तन** – इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, आय स्तर तथा वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्त की रुचियों में परिवर्तन अन्य संस्थागत संगठनात्मक परिवर्तन होता है । जैसे-जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे-वैसे मांग एवं पूर्ति के स्वरूप में परिवर्तन होते जाते हैं ।
- **प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि** – प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर लगाया जाता है :

$$\text{प्रति व्यक्ति} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

केवल राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास नहीं है बल्कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि दर की तुलना में यदि कम होगी तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी ।

- **दीर्घकालीन सतत् वृद्धि**– आर्थिक विकास में शुद्ध आय में सतत् वृद्धि होती है ।
- **निर्धनता एवं असमानता पर रोक**– आर्थिक विकास में निर्धनता एवं आय के असमान वितरण पर रोक लगता ।
- सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत परिवर्तन का समावेशित होना ।
- आर्थिक विकास का संबंध जन सामान्य के उच्च जीवन स्तर से होता है ।
- **तकनीक एवं शोध से संबंधित**– आर्थिक विकास प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम के द्वारा उत्पादन में सुधार लाने की तकनीकि तथा शोध के रूप में जीवनस्तर में वैज्ञानिक सोच का विकसित करता है ।

आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अन्तर (Difference between Economic Growth & Economic Development)– आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग पर्यायवाची अर्थ में किया जाता है किन्तु प्रो. शुम्पीटर ने 1911 में द थ्योरी ऑफ इकानॉमिक डेवलपमेंट

नामक पुस्तक में आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अन्तर स्पष्ट किये। इसके अलावा श्रीमती उर्सुल्ला हिक्स, किण्डलवरजर, मायर, डी.ब्राइट आदि ने आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अन्तर बताया है जो निम्नानुसार है –

- आर्थिक वृद्धि का अर्थ राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद व प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि है जबकि आर्थिक विकास में किसी देश की आर्थिक संरचना की मजबूती व सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन होता है।
- आर्थिक वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और आर्थिक विकास व्यापक अवधारणा है।
- आर्थिक वृद्धि मूलतः उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है जबकि आर्थिक विकास का संबंध देश के सर्वांगीण विकास से होता है।
- आर्थिक वृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है।
- आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देशों से माना जाता है। यह विकसित देशों की प्रगति का सूचक है जबकि आर्थिक विकास को विकासशील देशों के संदर्भ में समझा जाता है।
- आर्थिक वृद्धि में किसी एक इकाई के विकास को सम्मिलित किया जाता है जबकि विकास में संपूर्ण राष्ट्र का विकास शामिल होता है।
- आर्थिक वृद्धि मापनीय होती है किन्तु आर्थिक विकास में सम्मिलित कारक जैसे शिक्षा, साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक तत्वों की उपलब्धता आती है।
- आर्थिक वृद्धि में लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते जबकि आर्थिक विकास में लक्ष्य निर्धारित होते हैं।
- आर्थिक वृद्धि क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर रहती है ओ आर्थिक विकास में आकस्मिक एवं क्रमिक परिवर्तन होता है।
- आर्थिक वृद्धि में नवीनता का सूचक नहीं होता बल्कि आर्थिक विकास में प्रचलित तत्वों में नयी शक्तियों एवं नवीन मूल्यों का निर्माण किया जाता है।
- आर्थिक वृद्धि स्थैतिक संतुलन की स्थिति है जिसमें देश में होने वाली उन्नति की गति धीमी होती है।

विकास की धारणा सामाजिक विकास के रूप में इस तथ्य पर आधारित है कि बिना आर्थिक विकास के समाज अपने उद्देश्यों की सही तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता। अतः समाज के विकास में आर्थिक वृद्धि व आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है।

सामाजिक विकास के आयाम(Dimensions of Social Development)

“सामाजिक विकास, विकास की बहुमुखी प्रवृत्ति का द्योतक है। जिसमें मौद्रिक आय में वृद्धि के अलावा सामाजिक आदतों, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, अधिक आराम व वास्तव में उन समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में वृद्धि सम्मिलित होती है जो एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करती है।” विकास ऐसे परिवर्तनों को लक्षित करता है जो प्रगति की ओर उन्मुख रहते हैं। (डी.ब्राईट)

विकास एक मिश्रित अवधारणा है। जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर सकारात्मक दिशा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि के तत्व सम्मिलित हैं। विकास में कमजोर वर्गों, स्त्रियों, बीमारों, वृद्धजनों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण सम्मिलित किया जाता है अर्थात् विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है। सामाजिक विकास शब्द में अनेक दशाओं जैसे श्रम विभाजन, संस्थाओं और समितियों की संख्या में वृद्धि तथा संचार साधनों में वृद्धि सम्मिलित है। इस शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक वृद्धि से न होकर संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए किया जाता है।

सामाजिक विकास की परिभाषा (Definition of Social Development)— एल.टी.हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक Social Development में सामाजिक विकास की अवधारणा, विकास की दशाओं तथा विभिन्न प्रकार के विकासों आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इनके अनुसार “विकास का अभिप्राय नए प्रकार्यों के उदय होने के परिणाम स्वरूप सामान्य कार्य क्षमता में वृद्धि अथवा पुराने प्रकार्यों की एक दूसरे के साथ समायोजन के कारण सामान्य उपलब्धि में वृद्धि से है।” हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के चार मापदण्ड स्पष्ट किए —

- संगठन
- संगठन के कार्यक्षमता में वृद्धि ।
- स्वतंत्रता में वृद्धि ।

- पारस्परिकता में वृद्धि ।

हेच के अनुसार—“सामाजिक विकास का अभिप्राय जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास, आंतरिक चेतना का विकास, तथा समाज के सदस्यों द्वारा किन्हीं आधारभूत नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करना है।”

जे.ए. पान्सीओ ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास संकुचित अर्थ में परिवर्तन है यह वृद्धि से संबंधित है जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। विकास का संबंध सांस्कृतिक संख्याओं में वृद्धि से है न कि इसके आविष्कार से।”

व्ही.एस.डिसूजा के अनुसार— “सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है।”

सामाजिक विकास की अवधारण में दो बातें महत्वपूर्ण हैं— ऐसे साधन जो एक सरल समाज को जटिल समाज में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे साधन जो अधिकतम सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार “विकास मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित है।

सामाजिक विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Social Development)

1. सामाजिक विकास का विषय क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ।
2. सामाजिक विकास से निश्चित दिशा का बोध होता है ।
3. सामाजिक विकास की अवधारणा सार्वभौमिक है ।
4. सामाजिक विकास में निरंतरता का गुण पाया जाता है ।
5. सामाजिक विकास का केन्द्र आर्थिक है जो प्रौद्योगिकीय विकास पर निर्भर है ।
6. सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों का प्रसार होता है ।
7. सामाजिक विकास में सरल सामाजिक अवस्था जटिल सामाजिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ।

8. सामाजिक विकास से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है ।
9. सामाजिक विकास में बाह्य प्रयासों की प्रधानता होती है ।
10. सामाजिक विकास से मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है ।
11. सामाजिक विकास में मानवीय शक्तियों का समग्र विकास होता है ।
12. सामाजिक विकास में प्राकृतिक शक्तियों पर मानवीय नियंत्रण बढ़ता है ।
13. सामाजिक विकास की अवधारणा परिवर्तनशील अवधारणा है ।

सामाजिक विकास के कारक(Factors of Social Development)— सामाजिक विचारकों में जैसे मिरडल, हॉबहाउस, ऑगबर्न, गुन्नार आदि ने सामाजिक विकास के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला है जो किसी भी समाज के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं।

- ❖ **सामंजस्य** :सामाजिक विकास के लिए समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। अन्यथा सामाजिक विकास की गति प्रभावित होगी।
- ❖ **ज्ञान का संचय** : किसी भी समाज में तार्किकता एवं वैज्ञानिक ज्ञान का विकास अविष्कारों को जन्म देता है जिससे नवाचारों के द्वारा भौतिक साधनों में वृद्धि होती है। जो सामाजिक विकास में वृद्धि करता है।
- ❖ **अविष्कार** :प्रत्यक्ष रूप से अविष्कार उस समाज के व्यक्तियों की योग्यता साधन तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों से संबंधित है। जैसे जैसे तेजी से अविष्कार हो रहे हैं वैसे वैसे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन हो रहें हैं। अविष्कार से जनित प्रौद्योगिकी व्यक्तियों में ज्ञान एवं कुशलता को बढ़ाता है साथ ही अविष्कारों का विस्तार सामाजिक संबंधों में श्रमविभाजन अर्थात् पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है जो विकास को निर्धारित करते हैं।
- ❖ **औद्योगिकरण (Industrialization)**:विकास की दृष्टि औद्योगिकरण पर आधारित है। औद्योगिकरण के बिना सामाजिक विकास संभव नहीं है। विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि औद्योगिकरण से ही हो पायी है। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने का कोई भी प्रयास बहुमुखी होना चाहिए जो अधिक या कम मात्रा में देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रत्येक तत्व को, उसके प्रशासन को और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करें।

- ❖ **प्रसार** :सामाजिक विकास की प्रक्रिया अविष्कारों के प्रसार पर निर्भर है। विभिन्न आविष्कारों के प्रसार के कारण ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन तथा विकास हो रहा है।
- ❖ **नगरीकरण(Urbanization)**:नगरीकरण आर्थिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। नगरीकरण से सामाज के प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा रहन सहन का स्तर भी उच्च हो रहा है जो समाजिक विकास में सहायक है। नगरीकरण की प्रक्रिया नगर क्षेत्रों में विकास से संबंधित समस्त अनुकूल परिस्थितियों को यथा व्यवसायों की बहुलता, शिक्षा व प्रशिक्षण की बहुतायत उपलब्धता, आधुनिक सोच का परिवेष, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान विस्तार के विभिन्न क्षेत्र को निर्मित करती है। जिससे विकास की सकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है।
- ❖ **आर्थिक स्थिति (Economic Status)** :आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास घनिष्ट रूप से संबंधित हैं। सुदृढ़ आर्थिक दृष्टिकोण वाले समाज में सामाजिक विकास की निरंतरता बनी रहती है।
- ❖ **सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)**: सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक विकास सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। व्यावसायिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है एवं विकास की दर में भी वृद्धि हो रही है। स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिशीलता से अनेक समूहों का संपर्क बढ़ता है जिसमें व्यक्तियों में कार्यात्मक एवं वैचारिक आदान प्रदान होता है जो एक नए वैकल्पिक मार्ग को निर्मित करते हैं जिससे व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है।
- ❖ **शिक्षा** :कोई समाज विकास के किस स्तर पर है यह वहां के लोगों के शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। शिक्षा सामाजिक आर्थिक प्रगति की सूचक है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे बौद्धिक भावात्मक, शारीरिक सामाजिक आदि का समुचित विकास करना है। अतः शिक्षा को सामाजिक विकास की प्रक्रिया के सशक्त साधन के रूप में जाना जाता है।
- ❖ **सांस्कृतिक संपर्क**: किसी भी समाज की संस्कृति अन्य संस्कृति के संपर्क में आने पर विकास की ओर अग्रसर होती है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों से सम्पर्क बढ़ने पर नवीन ज्ञान का लार्भाजन होता है एवं आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन एवं संशोधन भी होता है।

आधुनिक समाज में विकास की दर का तीव्र होने का कारण सभी देशों का एक दूसरे के संपर्क में आना एवं ज्ञान व आविष्कार का लाभ लेना है।

- ❖ **राजनीतिक व्यवस्था** : सामाजिक विकास एवं राजनीतिक व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक विकास में बाधक होती है। जहाँ राजनीतिक व्यवस्था न्याय व समानता पर आधारित एवं शोषण के विरुद्ध है वहाँ सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है।

सामाजिक विकास के आयाम(Dimensions of Social Development) : सामाजिक विकास में आर्थिक विकास प्राथमिक एवं अनिवार्य आवश्यकता को स्पष्ट करता रहा है किन्तु कई समाजों में तीव्र आर्थिक विकास एवं उससे निर्मित अनेक सामाजिक समस्याओं ने सामाजिक विकास से संबंधित नवीन दृष्टिकोणों को जन्म दिया जिसमें विकास के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों को प्रमुख माना गया। समाज वैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को उत्कृष्ट बनाना होना चाहिए।

सामाजिक सांस्कृतिक आयाम(Dimensions of Social Cultural Development) :

1. **बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करना**— जैसे भोजन, वस्त्र और आवस की मूलभूत आवश्यकताओं को नियोजित आधार पर पूर्ण करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति लाभांविता हो सके अर्थात् समाज के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके ।
2. **अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता**— जैसे— बिजली, पानी, सड़क, परिवहन और संचार व मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएँ नियोजित आधार पर उपलब्ध कराना ।
3. **स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ**— जैसे— किसी भी समाज का संतुलित विकास व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है । स्वास्थ्य के मापदण्ड में प्रत्याषित आयु में वृद्धि, पोषक आहार उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएँ आदि सम्मिलित हैं ।
4. **आर्थिक आयाम (Dimensions of Economic Development)**— समाज में आर्थिक गतिविधियों के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जिससे रहनसहन एवं जीवन स्तर उच्च हो सके समानता तथा आय का समान वितरण स्थापित होना, कार्य कुशलताओं में वृद्धि करना तथा बहुविध उद्योग व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र से संबंधित रोजगार में वृद्धि करना जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो सके।

आर्थिक परिवर्तन, आत्म निर्भरता की प्राप्ति तथा उत्पादन के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जा सके ।

5. **व्यक्ति के विकास से संबंधित सुविधाएँ** जैसे – शिक्षा, व्यवसायिक सृजनात्मक क्षमता का विकास, नैतिक शिक्षा इस परिपेक्ष्य में महत्वपूर्ण है । सामाजिक जीवन का व्यक्तिपरक आयाम सामाजिक अच्छाई से घनिष्ठ रूप से संबंधित है ।
6. **सामाजिक समन्वय स्थापित करना** यानि आर्थिक क्रियाकलापों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना तथा परस्पर स्नेह संबंध, पारिवारिक स्थायित्व, सामाजिक हित की प्रधानता आदि सामाजिक नैतिकता से जुड़े कार्यों व व्यवहारों ने व्यक्ति, समूह व संस्थागत क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है ।

मनोवैज्ञानिक आयाम(Dimension of psychological development) : सामाजिक विकास के समग्र दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक आयाम महत्वपूर्ण है । समाज में स्वस्थ मानसिक स्थिति, सामाजिक संतुष्टि, स्वस्थ जनमत, सामाजिक अभिप्रेरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित सकारात्मक सामूहिक मनोवृत्ति का निर्माण करना प्रमुख है ।

राजनीतिक आयाम (Dimension of Political Development) : राजनीतिक स्थिरता एवं विकास की इच्छा शक्ति सामाजिक विकास का आधार है । समाज में कुशल एवं योग्य नेतृत्व के द्वारा सामाजिक विकास के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है । कार्य करने के नए अवसरों को स्वीकार करने की प्रेरणा देना एवं सकारात्मक परिवेश को निर्मित करना सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण होता है ।

इस प्रकार सामाजिक विकास के द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति नियोजित आधार पर की जाती है ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति लाभांशित हो सके ।

सामाजिक-आर्थिक नियोजन एवं विकास (Socio- Economic Planning & Development)

नियोजन एक संगठित प्रयास है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेक पूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एवं आवष्यक कार्योंके विषय में चिन्तन करना नियोजन कहलाता है। आज जिस आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण में हम हैं उसमें नियोजन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लक्ष्य का निर्धारण एवं उस तक पहुँचने का मार्ग निर्धारित किए बिना समाज में संगठन, आवष्यकताएँ, व इनमें समन्वय तथा नियंत्रण का कोई महत्व नहीं रह जाता। नियोजन की प्रक्रिया मानव सम्यता के प्रारम्भ से ही मौजूद है क्योंकि मानव स्वभावतः ही आगे क्या करना है इसके विषय में कल्पना करता रहा है। आज इसका परिमार्जित स्वरूप हमारे समक्ष है।

अर्थ व परिभाषा (Meaning & Definition)— नियोजन शब्द का प्रयोग सामान्यतः कई परिस्थितियों में होता है जैसे – दैनिक कार्यक्रमों का नियोजन, एक परिवार के आय व्यय का नियोजन, किसी वस्तु के निर्माण का नियोजन इत्यादि लेकिन कुछ निश्चित लक्ष्यों के निर्धारण में जब नियोजन होता है तब यह शब्द सामाजिक आर्थिक नियोजन के अर्थ में प्रयुक्त होता है अर्थात् सामाजिक नियोजन में ही आर्थिक नियोजन सम्मिलित है ।

- **जार्ज आर टेरी** के शब्दों में— “नियोजन भविष्य में देखने की विधि अथवा कला है । इसमें भविष्य की आवष्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके।”
- **प्रो. हैरिस** के अनुसार— “प्राधिकारी द्वारा निश्चित लक्ष्यों के साधनों का सामान्य बँटवारा ही नियोजन है, न कि मूल्य एवं आय नियोजन के प्रतिउत्तर स्वरूप साधनों का बँटवारा।”
- **गुन्नार मिर्डल** के अनुसार— “नियोजन का अभिप्राय एक देश की सरकार द्वारा किए गए उन प्रबुद्ध प्रयासों से है जो सामान्यतः सामूहिक संस्थाओं के सहयोग सहित जन नीतियों को कुछ इस प्रकार अधिक औचित्य पूर्ण तरीके से समन्वित करते हैं कि

उत्पन्न राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित भविष्य के विकास के लिए वांछित लक्ष्यों की पूर्ति पूर्णरूपेण तथा शीघ्र की जा सके।”

**सामाजिक-आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ
(Characteristics of Socio-Economic Planning) :**

1. सामाजिक आर्थिक नियोजन में केन्द्रीय सत्ता प्रमुख होती है जो विभिन्न क्रियाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आदि में समन्वय, नियंत्रण एवं लक्ष्य निर्धारित करती है।
2. समाज आर्थिक नियोजन एक संगठित पद्यति है। इसमें सामूहिक प्रयास प्रमुख होते हैं।
3. संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना यानि आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले भौतिक साधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना जिससे उनकी हानि ना हो और वे लम्बी अवधि तक बने रह सकें।
4. सामाजिक आर्थिक नियोजन निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होता है। नियोजन के उद्देश्यों को आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
5. सामाजिक आर्थिक नियोजन में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय को निश्चित किया जाता है।
6. सामाजिक आर्थिक नियोजन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है ताकि उचित तरीके से तथा समय पर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
7. आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले भौतिक साधनों का उनकी प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना तथा उनके प्रयोग में प्रयुक्त तकनीकी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।
8. सामाजिक आर्थिक नियोजन में जनता का सहयोग होता है।
9. सामाजिक आर्थिक नियोजन से समाज का सर्वांगीण विकास होता है। अर्थात् समाज में व्यक्तियों की सामान्य एवं विषिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Planning) : समाज की उन्नति के लिए एवं समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए नियोजन में तीन प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित होते हैं –

त्रिलोकी सिंह के अनुसार “नियोजन के उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक दोनों हैं और दोनों ही अन्तर-संबंधित हैं। नियोजन अपने आर्थिक क्षेत्र में उद्योग तथा कृषि के मध्य की उच्चदर एवं अधिक संतुलन लाता है, संपूर्ण श्रम शक्ति के लिए उचित आय स्तर के आधार पर उत्तम प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों और रोजगार के अवसरों की खोज करता है। सामाजिक नियोजन के साथ तुलना करने पर हम पाएंगे कि – आर्थिक नियोजन के लक्ष्य तथा तरीके अधिक संकुचित रूप से परिभाषित किए गए हैं और वे अधिक मापने योग्य होते हैं। दूसरी ओर सामाजिक नियोजन के लक्ष्य अधिक व्यापक होते हैं, प्रमुखतः जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए समान अवसरों और प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्ण जीवन के अवसर प्रदान करना, और ये केवल प्रयत्न एवं संघर्ष पूर्ण अवधि के बाद ही यथार्थ हो सकते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियोजन में कार्य के चार प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित होते हैं : (अ) मौलिक सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और आवास का विकास, (ब) समान कल्याण जिसमें न्यूनतम सुविधाएं और ग्रामीण तथा नगर कल्याण आते हैं (स) समुदाय के निर्बल और भेद्य (Vulnerable) वर्गों का कल्याण और (द) सामाजिक सुरक्षा। अर्थात् नियोजन व्यापक अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है।

नियोजन के माध्यम से समाज यानि व्यापक अर्थ में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समाज हित का निष्चय करके राज्य के द्वारा इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए दूरगामी आर्थिक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के कार्यक्रम यानि आर्थिक नियोजन करके समाज हित को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के आधार पर नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं।

भारतीय नियोजन आयोग के अनुसार “आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों के अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है।”

उद्देश्य के सारतत्त्व के रूप—

- राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति में नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरक्षा व शांति बनाए रखना नियोजन का प्रमुख लक्ष्य होता है क्योंकि इसके अभाव में आर्थिक विकास व वृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास करना जिससे पिछड़े व अविकसित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्र प्रमुख है।

- नियोजन का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना होता है। यद्यपि आधुनिक युग में कोई भी देश आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता फिर भी आर्थिक नियोजन के द्वारा यथासंभव दूसरों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
- नियोजन के द्वारा देश के संसाधनों एवं जन समुदाय का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन, आय तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
- नियोजन में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन एवं अधिक उत्पादन करना शामिल है।
- नियोजन का प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में आय तथा सम्पत्ति के असमान वितरण को कम करना होता है।
- नियोजन के उद्देश्यों में मुख्य रूप से सामान्य जन के जीवन स्तर में सुधार लाना सम्मिलित है ताकि सभी लोग सुविधा जनक और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।
- नियोजन के द्वारा अवसरों की समानता देना ताकि सभी व्यक्तियों को शिक्षण कार्य तथा अपनी कुशलता का प्रयोग करने का समान अवसर मिल सके।
- नियोजन के द्वारा सामाजिक उत्थान के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा असमाजिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण प्रमुख है।

सामाजिक आर्थिक नियोजन के प्रकार (Types of Socio Economic Planning) :

योजनाओं को निर्मित करने व क्रियान्वयन के अधिकारों की दृष्टि से नियोजन के दो प्रमुख प्रकार हैं :

- अलोकतांत्रिक नियोजन
- लोकतांत्रिक नियोजन

अलोकतांत्रिक नियोजन में नियोजन के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं यदि नियोजन जन समुदाय के लिए है तो उसे साम्यवादी नियोजन कहा जायेगा और यदि कुछ समूहों के लिए है तो उसे फासिस्ट नियोजन कहा जायेगा।

- **साम्यवादी नियोजन:** साम्यवादी नियोजन में अर्थव्यवस्था पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होती है। व्यक्तिगत इच्छाओं एवं स्वतंत्र बाजार व्यवस्था की अवहेलना होती है। यूरोप

के अनेक राष्ट्रों ने साम्यवादी उपागम को अपनाया किन्तु वे असफल रहे। चीन में आज भी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में है। जो पूर्णतः नियोजित तरीके से समाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में प्रमुख स्थान रखता है।

- **फासिस्ट नियोजन:** फासिस्ट अर्थात् तानाशाही नियोजन में रोजगार उत्पादन को बढ़ावा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा आदि कार्यक्रम के साथ-साथ सैनिक कार्यों के निर्माण एवं सेना में वृद्धि शामिल है। इसमें चार वर्षीय योजना को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और उसे युद्ध के लिये तैयार करना था। फासिस्टवादी नियोजन के अतंगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को महत्व नहीं दिया जाता।
- **लोकतांत्रिक नियोजन:** लोकतांत्रिक नियोजन इस मान्यता पर आधारित है कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्रता समानता और न्याय पर आधारित होती है। अतः लोकतांत्रिक नियोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा एवं विकास से जोड़ने का प्रयास प्राथमिक लक्ष्य होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस दृष्टि को सामने रखा गया और अब सबका साथ सबका विकास की रणनीति अपनाई जा रही है।

नियोजन की प्रक्रिया(Prosses of Plannig) :

तर्क संगत नियोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है।

1. **समस्या को परिभाषित करना** – सामाजिक नियोजन करने के पूर्व संबंधित समस्या के समाधान से होने वाले लाभ भावी व अवसरों को समझने के लिए तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये समस्या को परिभाषित करना आवश्यक होता है।
2. **उद्देश्यों का निर्धारण करना**— उद्देश्यों के निर्धारण में नियोजन में प्रयुक्त होने वाले साधन निश्चित एवं समझने योग्य हो सकें इसके लिये उद्देश्यों के द्वारा इच्छित परिणामों को एवं इससे संबंधित किये जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इनका निर्धारण होने के बाद संबंधित विभागों एवं कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाती है।

3. **नियोजन के आधारों एवं मान्यताओं को समझना**— इस संदर्भ में योजनाओं के क्रियान्वयन का वातावरण निर्मित किया जाता है। जिससे नियोजन से संबंधित मान्यताएं स्पष्ट हो सकें।
4. **सूचनाओं का संकलन एवं विप्लेषण**— नियोजन से संबंधित आवश्यक जानकारियां आन्तरिक एवं बाह्य हो सकती हैं। इनमें आवश्यक संकलित सूचनाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत एवं विप्लेषित किया जाता है।
5. **वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना**— इसके अन्तर्गत नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्भावित मार्गों का निर्धारण सम्मिलित है।
6. **विकल्पों का मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करना**— नियोजन के सम्भावित विकल्पों का चयन करने के पश्चात मूल्यांकन के आधार पर सही एवं उचित विकल्प का चयन किया जाता है।
7. **योजना तैयार करना**— योजनाएं विकास से संबंधित होती हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बनायी जाती हैं। उनका निर्माण किया जाना आवश्यक होता है।
8. **सहायक योजनाओं का निर्माण करना**— उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप प्रमुख योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सहायक योजनाएं भी बनायी जाती हैं जो परस्पर संबंधित होती हैं। ऐसी योजनाओं का निर्माण करना प्रमुख होता है।
9. **क्रियाओं का समान निर्धारण करना**— योजनाओं के निर्माण के पश्चात क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न छोटी बड़ी क्रियाओं का आवश्यकता अनुरूप निर्धारण किया जाता है।
10. **बजट का निर्माण करना**— नियोजन के अंतर्गत क्रियान्वयन एवं व्यवस्था से संबंधित आय व्यय के संतुलित बजट का निर्माण करना प्रमुख होता है ताकि नियोजन में बाधा उत्पन्न ना हो।
11. **योजना का क्रियान्वयन करना**— उपरोक्त प्रक्रिया के पूर्णतः निर्धारण करने के पश्चात निर्मित योजना का क्रियान्वयन अवधि को ध्यान में रखते हुये एवं क्रियान्वयन में सम्मिलित व्यक्तियों को सौंपे गए कार्य के संदर्भ में योजना का वास्तविक क्रियान्वयन किया जाता है।

**सामाजिक आर्थिक नियोजन की आवश्यकता व महत्व
(Need & Importance of Socio-economic Planning) :**

लुईस के अनुसार "नियोजन पर विचार विनिमय में मुख्य बात यह नहीं है कि नियोजन होना चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि इसका कौन सा रूप होना चाहिए। नियोजन का महत्व निम्नांकित आधार पर स्पष्ट होता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से नियोजन की आवश्यकता : –

- सामाजिक आर्थिक नियोजन जनसाधारण के हितों को पूर्ण करने में सहयोगी उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।
- सामाजिक आर्थिक नियोजन आय के उचित वितरण एवं सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
- सामाजिक आर्थिक नियोजन नियोक्ता एवं श्रमिकों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।
- सामाजिक आर्थिक नियोजन के द्वारा बाजार में व्यापारिक क्षेत्र में अनावश्यक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए आवश्यक है।
- सामाजिक आर्थिक नियोजन के द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए अवसरों को निर्मित किया जाता है।
- सामाजिक आर्थिक नियोजन से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के हित में विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।

सारतत्व यह है कि उन सभी उद्देश्यों जिन्हें राज्य ने स्वीकार किए हैं कि उपलब्धि आवश्यक है। नियोजन का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्र की क्रियाओं का इस प्रकार समन्वय करना है जिससे अपव्यय से बचा जा सके, व्यक्तियों में कार्यकुशलता बढ़े और अधिकतम मानवीय सुख की प्राप्ति हो सके।

सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक-आर्थिक नियोजन की आवश्यकता-समाज में व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही सामान्य एवं विषिष्ट आवश्यकता के पूर्ण होने के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। सामाजिक-आर्थिक-नियोजन के द्वारा शिक्षा, रोजगार

एवं कार्यक्षमता को विकसित करने के समान अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे विकास में सहयोग मिलता है।

सामाजिक-आर्थिक नियोजन एवं विकास (Socio-economic Planning & Development)

:सामाजिक आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण विकास की आवश्यकता प्राथमिकता, स्वरूप एवं प्रभावों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक नियोजन का निर्धारण विकास की प्रकृति पर आधारित है। विकास का सोपक्षिक स्वरूप सामाजिक नियोजन के लक्ष्यों का निर्धारण करते है। प्रत्येक देश, काल व परिस्थिति के अनुसार विकास की आवश्यकता व प्राथमिकता परिवर्तित होती हैं। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के प्रतिरूप भी परिवर्तित होते हैं। अनेक एवं विविध क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक परिस्थितियाँ मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता निर्मित करती हैं जिसकी पूर्णता सामाजिक आर्थिक नियोजन के द्वारा ही संभव है। सामाजिक विकास का व्यापक एवं अर्न्त संबंधित स्वरूप नियोजन पर आश्रित है। अतः सामाजिक आर्थिक नियोजन विकास के लिए अनिवार्य है। सामाजिक आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन जो समाजहित में किया जाता है का कार्य क्षेत्र व्यक्ति, समूह व समुदाय अर्थात् संपूर्ण समाज होता है। सामाजिक आर्थिक नियोजन यानि सामाजिक नियोजन के राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के द्वारा समाज प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े विकास कार्य को अबाध गति से पूर्णता प्राप्त हो सकती है।

विकास को केवल भौतिक पदार्थों की उपलब्धि को बढ़ाने वाली प्रक्रिया मानना उचित नहीं है। इसके साथ यह आश्वासन देना भी आवश्यक है कि व्यापक उद्देश्यों जैसे पूर्ण रोजगार असमानताओं का उन्मूलन, अधिकतम उत्पादन, सामाजिक न्याय आदि जो सामाजिक नियोजन के भी निश्चित लक्ष्य माने गए है, का अधिक से अधिक क्षेत्रों में लागू किया गया है अर्थात् विकास एक नियोजन के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखता है।

सामाजिकआर्थिकनियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण एवं उसका उचित क्रियान्वयन विकास के मार्ग को प्रषस्त करता हैं। किन्तु नियोजन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध जैसे निर्धनता,अशिक्षा, राज्य के नियंत्रण में कभी, अवसरों में कमी आदि परिस्थितियाँ विकास के मार्ग में बाधायेँ निर्मित करती हैं जिससे विकास की गति प्रभावित होती है। प्रौद्योगिकीय विकास की गति विकास की गति को प्रभावित करती है। किन्तु पर्याप्त नियोजन के अभाव में यह अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है। साथ ही

सापेक्षिक महत्व के आधार पर विकास की प्रकृति, अवधि एवं क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिये भारत में पंचवर्षीय योजनाएं समेकित विकास के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित होती हैं जो नियोजित पद्यति से निर्धारित एवं क्रियान्वित होती हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् मूल्यांकन के आधार पर उपलब्धियों का अर्थात् विकास का निर्धारण किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है अर्थात् समावेशी विकास उपयुक्त सामाजिक आर्थिक नियोजन पर आधारित है।

जैसा कि बताया जा चुका है कि विकास के कई आयाम हैं। सामाजिक एवंआर्थिक विकास के आयाम को प्रथम और द्वितीय ईकाई में प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे ईकाई तीन में विकास के एक नये आयाम की बात की जा रही है, जिसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पूर्व सामाजिक आर्थिक आधारों पर विकसित किए गये और प्रयोग में लाये गये विकास के संकेतकों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

विकास के संकेतक (Indicators of Development)

विकास को कैसे नापें यह एक विचारणीय प्रश्न रहा है। इस पर निरंतर चर्चा और निर्णय होते रहे हैं। पहले आर्थिक विकास को आधार माना गया फिर मानव विकास को और अब लोगों की खुशहाली ही सबसे बड़ा आधार हैं। विकास को एक मापन के रूप में प्रचलित तीन प्रमुख दृष्टिकोण निम्नवत हैं –

1. जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद)
2. एच.डी.आई. (मानव विकास सूचकांक)
3. जी.एच.आई. (वैश्विक खुशहाली सूचकांक)

जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद)

जी.डी.पी. किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है तथा साथ ही किसी विशिष्ट देश के लोगों के जीवन स्तर पर निर्दिष्ट करती है। तात्पर्य यह है कि किसी देश की जी.डी.पी. अच्छी होने का मतलब उस देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना है।

जी.डी.पी. की अवधारणा सबसे पहले अमेरिकन अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेल्स ने 1935 में प्रस्तुत किया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। यह विचार 1950 में समूची दुनिया में अपना लिया गया।

सकल घरेलू उत्पाद की गणना के आधार निम्नानुसार है –

1. निजी उपयोग लोगों द्वारा अपने घर के उपयोग के लिये व्यय खाद्य वस्तुएं वस्त्र आदि सामग्री एवं सेवाएं
2. सकल निवेश उद्योगों द्वारा अपने उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिये किये गये व्यय
3. सरकार की ओर से लिया गया समस्त प्रकार का खर्च अस्पताल, शालाओं एवं अन्य संसाधनों के लिए व्यय।
4. निर्यात एवं आयात निर्यात से आयात को घटाकर प्राप्त की गई राशि)

पूरे विश्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल आर्थिक आधार पर विकास की गणना निरर्थक है। विश्व में विकास की सही तस्वीर को जाँचने-मापने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अनेक प्रयास हुए हैं। उनके द्वारा **मानव विकास सूचकांक** विकसित (HDI: Human Development Index) किया गया।

यह संकेतक पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हक की पहल से हुआ और इसके निर्माण में भारत के **अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन** की पूरी भागीदारी की। उस समय विकास अर्थशास्त्र (Development Economic) का उद्देश्य राष्ट्रीय आय की गणना मात्र था। जबकि लोक केन्द्रित नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिये— इस उद्देश्य से **HDI** का निर्माण हुआ।

इस संकेतक के तीन मुख्य बिन्दु और उनको मापने के लिए उपयोगी कारक इस प्रकार हैं :

- दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन— जन्म के समय संभावित आयु
- शिक्षा संकेतक— औसत शिक्षण काल एवं सम्भावित शिक्षण काल दोनों के मिश्रण से।
- अच्छे जीवन के लिये उपयुक्त आय— सकल राष्ट्रीय आय (प्रतिव्यक्ति) के आधार पर।

वास्तव में किसी भी संकेतक में कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल अंश होते ही हैं और अर्थशास्त्रियों का प्रयत्न रहा है कि पूरे विश्व से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसको बेहतर बनाते रहें। इसी क्रम में एचडीआई(HDI)को सुधार कर आईएचडीआई (IHDI)का निर्माण किया गया। विकास के मापन के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्यसेन के नेतृत्व में गठित असमता समाहित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index) का प्रचलन सन् 1990 में शुरू हुआ। पहली रिपोर्ट सन् 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित हुई। यह प्रथा अब तक जारी है और हर साल का प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली(Gross National Happiness)

संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास विभाग द्वारा लागू किए गए मानव विकास संकेतकों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि मानव विकास संकेतकों में उच्च स्थान में दर्शाये गए कई देशों में हिंसा, आत्महत्या, वैवाहिक अलगाव इत्यादि की समस्याएँ अधिक हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव विकास सूचकांको से विकास का सही रूप सामने नहीं आ रहा है। इस प्रकार के सूचकांको के विकल्प रूप में ऐसे पैमाने होने चाहिए जो मानव जीवन के साथ-ही-साथ राष्ट्र की खुशहाली को प्रगट कर सकें।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network) द्वारा प्रतिवर्ष "विश्व खुशहाली रिपोर्ट" का प्रकाशन किया जाता है। जुलाई 2011में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि संघ के सदस्य राष्ट्र अपनी जनता की खुशहाली को मापने का कदम उठाएँ और उसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियों में उचित परिवर्तन लायें।

भूटान दुनियाँ का पहला देश बना, जिसने सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प में खुशहाली के सूचकांक(Happiness Index)को आधार मानकर अपने देश के लिए विकास चिन्तन करने का निर्णय लिया। इस कदम के द्वारा भूटान ने पूरे विश्व का ध्यान खुशहाली सूचकांक की ओर आकर्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अप्रैल 2012 में खुशहाली को विकास का आधार मानने पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में भूटान के प्रधानमन्त्री को अध्यक्ष बनाया गया।

कुछ महीने के बाद ओ.ई.सी.डी. (Organization for Economic Cooperation in Development) द्वारा खुशहाली को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक प्रपत्र प्रकाशित किया गया। सितंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा "विश्व खुशहाली रिपोर्ट" का दूसरा अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें 2010-12 के अंतराल में गैलप (Gallup) नाम के संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण को आधार माना गया।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness) संकेतक और उसकी गणना करने का तरीका

निम्न छः कारकों के आधार पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की गणना होती है—

1. प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita)
 2. स्वस्थ आयुष्काल (Healthy Life Expectancy)
 3. आश्रय देने के लिए कोई हो (Having some one to count on)
 4. अपने जीवन संबंधी निर्णय का अधिकार (Perceived freedom to make life choices)
 5. भ्रष्टाचार से मुक्ति (Freedom from corruption)
 6. उदारता (Compassion)
- बिन्दु 1 में पूँजी और आय को स्थान दिया गया है। (जैसे सभी गणना में हैं)
 - संकेतकों का दूसरा पैमाना अवश्य ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर जोर देता है।
 - पैमाने 3,4,5,6 सर्वेक्षण में प्रकट सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निर्भय जीवन के अभिमतों के आधार पर खुशहाली में व्यक्तिगत इच्छाओं की एवं लक्ष्यों की पूर्ति संबंधित राष्ट्र के वातावरण को प्रकट करते हैं।

150 देशों में सर्वेक्षण होता है। प्रश्नों पर लोगों के विचार दर्ज किये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विचार देता है। व्यक्ति अपने मत की गणना 0 से 10 अंक देकर प्रकट करता है। अंत में सांख्यिकी से औसत राय निकाली जाती है। आर्थिक, सामाजिक एवं खुशहाली की गणना एक साथ की जाती है। वर्तमान में उक्त संकेतक से भी ज्यादा संवेदनशील संकेतक उभर चुका है।

विकास को मापने का यह एक नवीन पैमाना है, जो समाज के विकास को आर्थिक विकास से न जोड़कर सीधे मापने के तरीके अपनाता है। इसमें 54 संकेतकों के माध्यम से

सामाजिक एवं पर्यावरण से सम्बन्धित परिस्थितियों की गणना की जाती है। यह **सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव** नाम की स्वैच्छिक संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इस पैमाने के विकास में विश्वस्तर के चिंतक जैसे— अमर्त्यसेन, डगलस नॉर्थ एवं जोसफ के विचारों को आधार माना गया है।

सामाजिक एवं पर्यावरण से संबंधित कारकों द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन सा देश अपनी जनता के लिए इन तीन आयामों पर—

- बुनियादी जरूरतें पूरी करने में
- खुशहाली के लिए बुनियादी सुविधायें देने में एवं
- आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने में

योगदान करने की स्थिति में हैं? योगदान की समीक्षा के लिए प्रायः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाता है—

- निजी सुरक्षा (Personal Safety)
- पर्यावरण प्रणाली का स्थायित्व (Ecosystem Sustainability)
- स्वस्थ एवं सुखकर आवास(Healthy & Comfortable Shelter)
- स्वच्छता(Cleanliness)
- समावेश(Inclusion)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता(Personal Freedom)
- चुनाव एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता |(Freedom of Choice and Decison)

चिन्हित कारकों से पता चलता है कि मानव विकास संबंधी संकेतकों के निर्धारण में जनता को मिलनेवाली बुनियादी भौतिक सुविधाओं, सामाजिक पर्यावरण एवं सतत विकास संबंधी कारकों पर विशेष जोर रहता है।

हमने विकास के मापन के लिए अनेक संकेतकों की चर्चा पूर्व में की। चूँकि सामाजिक प्रगति संकेतक में सबसे अधिक आयामों का समावेश है, इसलिए उसे अन्य संकेतकों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है।

वैश्विक स्तर पर मापन

आइये! विकास को मापने का वैश्विक पैमाना क्या होता है। समझें।

सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिव्यक्ति) जब प्रकाशित हुआ तो पूरे विश्व के देशों को चार वर्गों में बाँटने की प्रथा शुरू हुई—

- विकसित देश(Developed Nations)
- विकासशील देश(Developing Nations)
- कम विकसित देश (Less Developed Nations)
- अतिकम विकसित देश (Least Developed Nations)

सकल राष्ट्रीय खुशहाली संकेतक के आधार पर विश्व के देशों को निम्नवत रूपों में बांटा गया—

- अत्यन्त खुशहाली की स्थिति
- खुशहाली की स्थिति
- सामान्य स्थिति
- दयनीय स्थिति
- अत्यंत दयनीय स्थिति

विश्व के हर देश की जिम्मेदारी को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा रियो—डि जेनेरियो (Rio de Janeiro) में 1992 में एक विश्व सम्मेलन(Earth Summit)हुआ। इसमें यह माना गया कि वातावरण के प्रदूषण (environmental pollution),संसाधनों के हनन(resource depletion),ओजोन परत (ozone hole),भू—तापीकरण(Global warming)इत्यादि समस्यायें पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है। इसका कारण विकसित होने की प्रतिस्पर्धा में धनी देशों में होने वाली उपभोक्ताजीवन शैली ही है। इसके लिए गरीब देश उतना जिम्मेवार नहीं हैं— उपभोक्ता यद्यपि इसका असरउनपर ज्यादापड़ने वाला है।

उक्त विश्लेषण के आधार परयह निर्णय हुआ कि विश्व में पर्यावरण के बिगड़ने की रफ्तार को रोककर उसको सतत विकास के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी विश्व के धनी (यानि जी.डी.पी. संकेतकों के अनुसार “विकसित”) देशों के ऊपर होगी। उसके लिये उपयुक्त धन को उपलब्ध

कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। “एजेण्डा-20” के नाम पर एक दस्तावेज बना जिसके निर्माण में विश्व के जाने माने भारतीय वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने अहम भूमिका निभाई थी। यह माना गया कि एजेण्डा 20 के आधार पर कई परियोजनायें चलाई जायेंगी। ऊर्जा, प्रदूषण, आदि से संबंधित नियमों को सभी देश लागू करेंगे। अविकसित देशों को सतत विकास के रास्ते में अपने देश के भविष्य कीयात्रा को आयोजित करने के लिये उनको सशक्त बनाने के लिये विभिन्न संस्थायें, परियोजनायें, और नवाचार चलाये जायेंगे ताकि पूरा विश्व विनाश की दिशा से मुड़कर सतत् विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

अमरीका जैसे कुछ धनी देश अपनी आर्थिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। उनका मानना था कि यदि प्रदूषणवाले समझौता पर हस्ताक्षर करें तो उनके अनेक कारखाने बंद हो जायेंगे और व्यापार और विश्वस्तरीय वाणिज्य में उनके वर्चस्व के लिए चुनौतीबन जायेगा। अतः अमरीका जैसे कुछ देशों ने प्रदूषण को रोकने के कुछ कदमों पर भागीदारी नहीं की और संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किये। विकसित देशों के इस प्रकार के व्यवहार का क्या प्रभाव होगा?— इसका अनुमान लगाना तो बड़ा आसान है लेकिन एजेण्डा 20 का सपना वास्तविकता में परिणित नहीं हो पाया। इसके बीच में धनी देशों ने एक सृजनात्मक रास्ता निकाला।

"Carbon Footprint" नामक एक संकेतक निकाला गया जो भू-तापमान के मापन के द्वारा वायुमण्डल प्रदूषण के स्तर को मापता है। जैसे मिथेन, कार्बन-डाई-आक्साइड जैसी वायु को वायुमण्डल में छोड़ देने के कार्य। इसको कम कैसे करें? वृक्षों को लगाएं ताकि वे इन दूषित वायु को हजम कर सकें— नहीं तो उद्योगों को कम किया जायेगा उनकी विधियों को सतत् विकास के तहत पुनर्गठित किया जाये। मुख्यतः क्लोरो फ्लोरो कार्बन(CFC : Chlorofluorocarbon)को उत्सर्जित करने वाले कुछ आधुनिक उद्योगों पर रोक लगाना होगा या नये शोध के आधार पर पुनर्गठित करना होगा।

अब धनी देश जो खुद अपने उद्योगों को पुनर्गठित करना नहीं चाहते, विकासोन्मुखी देशों से बोलने लगे हैं :“कार्बन वायु को उत्सर्जित करनेवाली प्रक्रियाओं को हम कम नहीं कर पायेंगे। आप इन वायु के प्रभाव को कम करने वाले कार्य करें और "Carbon footprint"को नीचे लायें। इस कार्य के लिए हम आपको कुछ मुआवजा दे देंगे।” इस विषय पर हुए क्योटो समझौता (Kyoto Protocol-11 Dec 1997 to be effective from 16 Feb 2005 till 31 Dec

2012: signed by 55 Countries)काफी चर्चित है और रियो सम्मेलन का एक बहुत छोटे प्रभाव के रूप में माना जा सकता है।

सारांश (Summary)

पहली इकाई में उद्विकास और प्रगति के रूप में मूलरूप से प्राणिशास्त्रीय और जैविक दृष्टिकोण से विकास को अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। इस ईकाई में विकास के आर्थिक सामाजिक रूप को अधिक स्पष्टता के साथ समझाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि पहले केवल आर्थिक वृद्धि को ही विकास मान लिया जाता था। लेकिन आज विकास के बहुआयामी (Multi Dimensional), गत्यात्मक (Dynamic) और गुणात्मक (Qualitative) अवधारणा हैं। इस ईकाई में विकास के आर्थिक सामाजिक आयामों को आपने अधिक स्पष्टता से समझा होगा। संसाधनों को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने की व्यवस्था जिसे नियोजन कहा गया। उसके बारे में भी आपकी जानकारी अधिक स्पष्ट हुई होगी। विकास को आज कई पैमानों पर नापा जा रहा है। जिसमें खुशहाली भी एक संकेतक है। इस ईकाई में विकास को मापने के विभिन्न संकेतकों को भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास (Economic Growth & Economic Development)** : आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के वितरण में वांछित परिवर्तन तथा तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन ही आर्थिक विकास है।
- **विकास के मापक या संकेतक (Indicators of Development)**: विकास को पहले सीमित आर्थिक संसाधनों के आधार पर ही मापा जाता था। बाद में इसमें मानवीय और पर्यावरणीय घटक भी जोड़े गये। वर्तमान में यह जीवन की गुणवत्ता, मानवाधिकार और खुशहाली से भी जुड़े हैं। विकास के संकेतक अर्थात् वे मानदंड जिनके आधार पर विकास को नापा जाता है।

स्व-मूल्यांकन(Self-Assessment)

- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न(Long answer type questions)

1. आर्थिक वृद्धि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
2. समाजिक विकास को परिभाषित करते हुए इसकी विविध आयामों की चर्चा कीजिए।
3. आर्थिक नियोजन क्या है? इसकी विशेषता लिखिए।
4. विकास के प्रमुख संकेतक कौन-कौन से हैं? विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

- लघु उत्तरीय प्रश्न(Short answer type questions)

1. आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं लिखिए
2. आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. सामाजिक विकास के प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए।
4. आर्थिक नियोजन का अर्थ लिखकर परिभाषित कीजिए।
5. नियोजन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिये।

- अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न(Very short/ Objective type questions)

1. योजना आयोग का नया नाम क्या है?
2. भारत की विकास दर क्या है?
3. भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है?
4. बजट किसे कहते हैं?
5. खुशहाली सूचकांक किस देश के द्वारा दिया गया है?

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. आपने जान लिया कि विकास के अलग-अलग पहलू कौन-कौन से हैं। अब आप अपने आसपास क्षेत्र के सर्वेक्षण के आधार पर 10-10 बिन्दुओं की ऐसी सूची तैयार कीजिए कि जिससे पता चलता हो कि ये आर्थिक वृद्धि के उदाहरण हैं, नियोजन के उदाहरण हैं, प्रगति के उदाहरण हैं।
2. इस इकाई में आपने यह जान लिया है कि विकास को मापने के भिन्न-भिन्न पैमाने कौन से हैं। इन पैमानों के आधार पर अपने क्षेत्र के विकास का एक ऐसा प्रतिवेदन तैयार कीजिए, जिसमें भिन्न-भिन्न संकेतकों के आधार पर विकास का विवरण हो।

3. यदि आपको अपने क्षेत्र के विकास नापने का दायित्व सौंपा जाये तो आप कौन से मानक चुनेंगे। इनकी सूची बनाइए और इन्हे चुने जाने का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए।

संदर्भ(References)

मुद्रित संदर्भ :

- हरिकृष्ण रावत : – समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार : – रावत पब्लिकेशन 2011
- K.L.Sharma : - भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन
- बी.सी.सिन्हा, पुष्पा सिन्हा : – आर्थिक संवृद्धि एवं विकास
- डी.एस.बघेल : – परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र
- जी.आर.मदन : – विकास का समाजशास्त्र
- L.T.Hob House : - Social evolution and Political theory

वेब संदर्भ :

- https://www.youtube.com/watch?v=vFD_WjxGIR8
- <https://ncert.nic.in/textbook/pdf/lhgy104.pdf>
- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/68129/1/Unit-11.pdf>
- <https://www.samajkaryshiksha.com/2019/04/planning.html>

इकाई-3 : सतत विकास(Sustainable Development)

उद्देश्य :-

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- सतत विकास की अवधारणा क्या है? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?
- समसामयिक संदर्भों में सतत विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है?
- सतत विकास की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं?
- सतत विकास के विविध आयाम कौन-कौन से हैं?
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सतत विकास लक्ष्य(SDG)क्या है?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि(Historical Background)

दुनिया में औद्योगिक क्रांति (यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ और फिर दुनिया में औद्योगीकरण के माध्यम से विस्तार) आने के बाद मानव समाज में जीवनयापन की परिस्थितियों को परिवर्तित करने की क्षमता का तीव्र गति से विकास होने लगा। लेकिन तीव्र गति से होने वाले औद्योगीकरण के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के उपयोग में भी अपार वृद्धि हुई। मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग, असीमित दोहन से ऊर्जा संसाधनों की विलुप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न होने लगा। यह पर्यावरणीय संकट की स्थिति थी। दूसरी तरफ दो विश्व युद्धों के पश्चात् वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार की मांग पैदा हुई। एक ऐसे समाज के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति देश आर्थिक स्थिति जैसे भेदभाव मूलक विचारों को त्यागकर मानव को समुचित विकास, संरक्षण और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। यही कारण है कि विकास की प्रक्रिया में समानता और न्याय के विचारों को केन्द्र में रखा गया। पहले पश्चिमी देशों में सामाजिक, आर्थिक विकास की गति तेजी से आगे बढ़ी। फिर विकासशील देशों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन सभी

जगह विकास के साथ मानव अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

इस तरह विकास की प्रक्रिया में समावेशी विकास की पहल पर विचार किया जाने लगा। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिये बुनियादी सुविधाओं यानि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिये आजीविका के साधनों की व्यवस्था करना शामिल है। परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास से सतत् विकास की विश्व यात्रा कैसे आगे बढ़ी हम उन प्रमुख बिन्दुओं के बारे में संक्षेप में यहां चर्चा करेंगे।

सतत् विकास : विश्व यात्रा (Sustainable Development : World Journey)

सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक **रॉकल कार्सन** की पुस्तक **द साइलेंट स्प्रिंग** में व जीव विज्ञानी **पॉल इरलिच** की पुस्तक **पापुलेशन बम**, जो वर्ष 1968 में लिखी गई, से हुआ। इन पुस्तकों में विकास और पर्यावरण की चुनौतियों के संबंध में चर्चा की गई। वर्ष 1972 में मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (अमेरिका) के युवा वैज्ञानिकों के एक समूह क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट **लिमिट्स टू ग्रोथ** प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने दुनिया के समक्ष वर्तमान विकास की दर के साथ-साथ पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि जैसे गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पहली बार विश्व समुदाय ने पहली बार विश्व समुदाय में पर्यावरण संकट के मुद्दे पर गंभीर चिंतन किया गया। इस क्रम में 1983 में संयुक्त राष्ट्र में **World Commission on Environment Development (WCED)** को इस संबंध में सतत् विकास की कार्य आयोजना बनाने का कार्य सौंपा। परिणामस्वरूप 1987 में **ब्रटलैंड आयोग** की रिपोर्ट **हमारा साझा भविष्य (Our Common Future, 1987)** में प्रकाशित हुई। जिसमें सतत् विकास सिद्धांत का दर्शन प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात ग्रामीण विकास विशेषज्ञ डॉ. टी. करुणाकरण ने इस संबंध में लिखा है कि इस दर्शन का मूल आधार भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं

की पूर्ति से समझौता किये बगैर वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करना है। अर्थात् सतत् विकास और पर्यावरण के अंतर्सम्बन्ध को बताते हुए इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि मनुष्य पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अंततः मनुष्य की ही हार है। विकास का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के लाभों का समाज के सभी वर्गों में समान वितरण, मानव जाति की भलाई, स्वास्थ्य की रक्षा करना, गरीबी मिटाना है। यदि सतत् विकास को सफल होना है तो उसके लिये आवश्यक है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकारों के दृष्टिकोण में सुधार हो। सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो द जेनेरियो में **पृथ्वी शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 1992 में ही सतत् विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास आयोग** का गठन किया गया। इस दौरान वैश्विक स्तर पर समानांतर यह विचार मी पल्लवित हो रहा था कि विकास कितना और कैसा हो ? सन् 1990 में यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रस्तुत किया जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर विकास के पैमाने तैयार करने पर आधारित था। आगे मानव विकास के पूरक संकेतक के रूप में खुशहाली विकास पैमाने की अवधारणा विकसित हुई जिसकी चर्चा आगे की जायेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 से 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य तय किए।

विश्व विकास प्रतिवेदन 1992(World Development Report) में बताया गया कि पर्यावरण के प्रदूषण से प्रभावित होने तथा परिस्थितिकीय व्यवस्थाओं में क्षरण के कारण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः किसी भी व्यापक योजना में पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। सतत् विकास की धारणा अपेक्षाकृत नवीन है। सतत् विकास के आषय में विकास ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ मानव समाज की तात्कालीक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बल्कि स्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करना सम्मिलित है अर्थात् निरन्तर विकास ही सतत् विकास है।

सतत् विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Sustainable Development)– सतत विकास (Sustainable Development) में सस्टेनेबल शब्द लैटिन भाषा के शब्द **सब्टेनिर (Subtenir)** से बना है जिसका अर्थ है –**पकड़ना (To Hold Up)** अथवा नीचे से सहयोग करना (To Support From Below)। सतत् विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके व टिकाउ बना रह सके। सतत् विकास की मूल अवधारणा यह है कि इस बात को नीति के रूप में समझ लिया जाए कि विकास की उपलब्धियाँ भविष्य में दीर्घअवधि तक बनी रहे तथा प्राकृतिक पर्यावरण परिसम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण सम्पदा को दीर्घअवधि तक संरक्षित रखा जाए और हम इस योग्य हो कि भावी पीढ़ियों के लिए उतना ही सम्पदा, कल्याण के सम्भावित अवसर छोड़ सके जो आज उपभोग कर रहे हैं।

सतत् विकास की अवधारणा अंतः पीढ़ी (Intra generation) और अंतर पीढ़ी (Inter generation) दोनों से संबंधित है सतत् विकास वर्तमान एवं भावी दो पीढ़ियों को अपनी सम्भाव्य क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने में समर्थ बनाती है। ब्रुण्डलैंड आयोग (Brundland Commission) के अनुसार “विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएँ भावी पीढ़ी की क्षमता व योग्यताओं से समझौता किए बिना पूरी की जाती है।” राबर्ट रेपीटो (Robbert Repetto) “सतत् विकास से आषय विकास की उस रणनीति से है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक साधनों की सम्पदा (Wealth) तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घ कालीन वृद्धि करने के लिए प्रबन्ध करती है।”

एलेन के अनुसार सतत विकास एक साधारण विचार है। हमें विभिन्न जातियों (Species) एवं परिस्थितिकीय व्यवस्थाओं का उन स्तरों पर तथा ढंगों में उपयोग किया जाना चाहिए जिससे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित समय के लिए उन्हें पुनः जीवित किया जा सके है।

विश्व विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार “सतत् विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है।” संक्षेप में सतत् विकास एक ऐसी

प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं किन्तु भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना।

सतत् विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Sustainable Development)

प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है –

1. प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग यानि पर्यावरण का ऐसा उपयोग करना जिससे आय, रोजगार में वृद्धि, निर्धनता का उन्मूलन तथा जीवन स्तर में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके ।
2. समानता पर आधारित अवधारणा में समानता तथा सामाजिक न्याय को प्रमुखता प्राप्त है। इस संकल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर देने का प्रयास किया जाता है ।
3. व्यक्तियों के विकास को प्रमुखता सतत् विकास की अवधारणा में व्यक्तियों के विकास को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है जो वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के विकास के संदर्भ में अर्थपूर्ण होते हैं।
4. व्यक्ति के रोजगार तथा पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक एकीकरण तथा पर्यावरण के पुनः जीवन तथा नवीनीकरण को प्रमुख मानकर गरीबी उन्मुलन की दिशा में रोजगार बढ़ाकर कार्य को महत्व दिया जाता है।
5. मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ-साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो सतत विकास के मूल आधार हैं।
6. सतत् विकास प्रकृति एवं वातावरण के संरक्षण के अनुकूल होता है।
7. सतत् विकास के पर्यावरणीय घटक, जल, वायु, भूमि की गुणात्मकता को अक्षुण्ण रखना सतत् विकास के प्रयासों में शामिल है। ताकि वे भावी पीढ़ी की सामूहिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर सकें।

8. सतत् विकास में मानवीय पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) भौतिक पूंजी (मशीनें एवं यंत्र आदि) तथा प्राकृतिक पूंजी (प्राकृतिक साधन शुद्ध वायु, स्वच्छ जल आदि) के संरक्षण पर जोर दिया जाता है।
9. आर्थिक विकास की दर को प्राकृतिक साधनों के फलस्वरूप वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित एवं बनाए रखा जाता है।
10. सतत् विकास में उन कार्यों का समर्थन किया जाता है जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाता है जिससे भावी पीढ़ी की क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

सतत् विकास के उद्देश्य(Objectives of Sustainable Development) :

सतत् विकास की व्यापक अवधारणा में परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, सभी वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, समान सहभागिता तथा आत्मनिर्भरता की भावना का समावेश है World commission on environment and Development (W.C.E.D)ने सतत् विकास के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए ।

1. सतत् विकास से आर्थिक वृद्धि को सक्रिय रखना ।
2. सतत् विकास में वृद्धि की सार्थकता में वृद्धि, इसमें उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों में समान वितरण की व्यवस्था में वृद्धि सम्मिलित है ।
3. सतत् विकास में समाज के सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल तथा स्वास्थ्य वर्धक पर्यावरण की आवश्यकता की पूर्ति करना।
4. सतत् विकास में जनसंख्या का आदर्श स्वरूप विकसित करना।
5. सतत् विकास में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
6. सतत् विकास से प्रौद्योगिकी विकास की दिशा का निर्धारण करना जिससे आसान स्थिति में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीकों पर नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

7. सतत् विकास में पर्यावरण एवं आर्थिक विकास के बीच समायोजन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया भौतिक पर्यावरण के दोहन पर आधारित है। इस दिशा में भौगोलिक पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में समायोजन आवश्यक है।

सतत् विकास की शर्तें (Conditions for Sustainable Development) :

1. सतत् विकास की प्रथम एवं अनिवार्य शर्त है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ।
2. पर्यावरणीय संसाधनों का समन्वित एवं संतुलित उपयोग करना ।
3. प्रदूषण रहित विकास करना ।
4. जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना ।
5. भावी पीढ़ी की अवहेलना नकरना ।
6. विकास नीतियों का निर्धारण करना ।
7. उत्थान अथवा स्फूर्ति की अवस्था का निर्धारण करना ।
8. विकासशील देशों के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु मानवीय पूंजी एवं प्रौद्योगिकीय विकास में बहुतायत से विनिवेश करना आवश्यक हो ।
9. विकासशील देशों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का क्रम बद्ध रूप से समाधान करना
10. विकासशील देशों में विकास के लक्ष्यों एवं तरीकों में तालमेल व सामंजस्य बनाना ।
11. राजनीतिक स्थिरता होना ।
12. प्रजातांत्रिक एवं कल्याण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था होना ।
13. शिक्षा व्यवस्था का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक होना ।
14. स्थानीय स्तर पर प्राद्योगिकीय का विकास एवं उपयोग हो ।
15. सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था आवश्यक हो ।

16. अविकसित एवं विकासशील देशों में गरीबी, मानवपतन, परिस्थितिकीय असंतुलन के दुष्प्रकार को पहचानना तथा समाधान का प्रयास करना।
17. कम विकसित राष्ट्रों के स्तर में सुधार के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा सहायता एवं सहयोग देने की प्रतिबद्धता होना।

उपरोक्त शर्तों से संबंधित सतत विकास को कुछ मूल्यों से संबंधित माना गया। इस संदर्भ में फाल्क के अनुसार यह मूल्य निम्नवत हैं :

- मानवता एवं भूमि में एकता।
- हिंसा में कमी होना
- पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना।
- न्यूनतम विष्व कल्याण के मानक की संतुष्टि करना।
- मानव सम्मान की प्रमुखता।
- विविधता एवं अनेकता के अस्तित्व को स्वीकार करना।
- सहभागिता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करना।
- मानव अधिकार संरक्षण एवं सामाजिक न्याय की स्थापना।
- संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना।

सतत विकास के आयाम (Dimensions for Sustainable Development)—सतत विकास के प्रमुख चार आयाम निर्धारित किए गए यथा परिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। प्रथम तीन प्रमुख आयामों को ब्रुंडलैण्ड आयोग की रिपोर्ट “साझा भविष्य” में उल्लेखित किया गया है एवं चौथा आयाम संस्कृति को शोधकर्ताओं एवं शोध संस्थानों के द्वारा 17 अगस्त 2010 में मैक्सिको में आयोजित युनाइटेड सिरीज एण्ड लोकल गव्हर्नमेंट की तीसरी वर्ल्ड कांग्रेस में स्वीकार किया गया।

(1) **परिस्थितिकीय आयाम (Ecological Dimension)**— परिस्थितिकीय अक्षुण्णता को बनाए रखना सतत विकास की नींव है। यह विकास की निरन्तरता को निश्चित करती हैं।

दीर्घकालीन सामुदायिक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में विकास एवं मानव कल्याण में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए परिस्थितिकी का निरन्तर बने रहना आवश्यक है। मानवीय क्रियाकलाप इसके संदर्भ में नियंत्रित होना आवश्यक है। जिससे (a) जैव भू-रासायनिक चक्र बाधित न हो (b) बाढ़, सुखा, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सामर्थ्य उत्पन्न हो। ऐसा तभी संभव होगा जब जनसंख्या एवं परिस्थितिकी में संतुलन स्थापित रहे। अतः सामुदायिक, स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण जैव ईंधन के स्थान पर नवीन ऊर्जा का अधिकांश उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की अनुषंसा की गयी। जो वस्तुतः सौर ऊर्जा के दक्षता पूर्ण उपयोग के लिए थी। प्रौद्योगिकी के द्वारा सतत् विकास को कम मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के प्रभाव से आर्थिक कार्यों में दक्षता हासिल की जा सकती है जिससे लाभप्रद रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे एवं मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

(2) **आर्थिक आयाम (Economic Dimantion)**— सतत विकास का यह द्वितीय महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक समृद्धि से आरम्भ होकर आर्थिक व्यवस्था में समायोजन की स्थिति को स्पष्ट करता है आर्थिक आयाम में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है जिसका मूल आधार सामान्य लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसमें आर्थिक संदर्भों में लाभ का समान वितरण प्रमुख है। आर्थिक विकास एवं इससे निर्मित परिस्थितिकीय असंतुलन से अनेक समस्याएँ निर्मित होती हैं जो सतत् विकास में बाधक सिद्ध होती है। सतत विकास में केवल उत्पादकता में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं हैं बल्कि इसका सभी वर्गों में समान वितरण की व्यवस्था करना प्रमुख है।

(3) **सामाजिक आयाम (Social Dimantion)**— सामाजिक आयाम के अंतर्गत सामाजिक संस्थाएँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएँ, समानता, सामाजिक नीति, सामाजिक सामंजस्य एवं सामाजिक इच्छाएँ शामिल हैं। सामाजिक आयाम सामुदायिक स्तर पर मानव जीवन की गुणवत्ता में उन्नति से संबंधित है। यह गुणवत्ता सिर्फ आय वृद्धि अथवा सम्पत्ति अर्जन पर ही निर्भर नहीं रहती बल्कि यह एक ऐसा आदर्श है जो व्यक्तिगत, सामुदायिक,

सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बढ़ती हुई स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। इस स्वतंत्रता को महबूत उलहक ने “चयन का विस्तार” का नाम दिया। इसके तीन प्रमुख आयाम हैं अस्तित्व, सुरक्षा और तीसरा है गरिमा। इसे एस 3 भी कहा जाता है। जीवित रहने के लिए आवश्यक दशाओं के लिए एक निश्चित सीमा तक आय एवं संसाधनों में स्वामित्व अनिवार्य होता है किन्तु यही पर्याप्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है जो दो प्रकार से अभिष्ट होती है। प्रथम असमाजिक, अपराधिक एवं प्रतिकूल पर्यावरण से सुरक्षा तथा द्वितीय इच्छित रोजगार एवं जीवन पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता। इससे भी महत्वपूर्ण तीसरा आयाम है गरिमा का अर्थात् व्यक्ति को अपने सामाजिक प्रस्थिति पर गर्व होना चाहिए। इन तीनों तत्वों से ही व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर गुणवत्ता निश्चित की जाती है। किसी भी समाज में सामाजिक गुणवत्ता सामूहिक चेतना के द्वारा लाई जा सकती है जो समाज में समरसता उत्पन्न करती है।

- (4) **सांस्कृतिक आयाम (Cultural Dimantion)**— सतत विकास के चौथे सषक्त स्तम्भ के रूप में सांस्कृतिक आयाम को माना गया है। सांस्कृतिक आयाम में सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक नीति, सांस्कृतिक नैतिकता, मूल्य आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। विचारकों के द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया कि प्रथम तीन आयाम यथा परिस्थितिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आयाम समकालीन सामाजिक जटिलताओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आज लगभग सभी राष्ट्र संस्कृति के आयाम को महत्व दे रहे हैं। पर्यावरण एवं विकास के संबंध में ब्रुडलैंड की रिपोर्ट आवश्यकताओं की प्राप्ति के उद्देश्य में संस्कृति का बड़ा भाग परिभाषित नहीं था किन्तु आज सतत् विकास की अवधारणा में संस्कृति महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो रही है। संस्कृति एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य के प्रति निष्ठा, शिष्टाचार एवं तादाम्य का प्रारूप प्रदान करती है। सांस्कृति आयाम विशेषतः नए वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से सतत् विकास के लिए सम्मिलित सतत् चालक के मूल्य को विकसित करती है।

सतत् विकास का महत्व (Emportance of Sustainable Development) :

1. सतत् विकास की अवधारणा प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण पर जोर देती है जिससे भविष्य में इन संसाधनों की कमी न हो एवं आगामी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहे तथा संसाधनों के प्रति समझ विकसित हो ।
2. सतत् विकास में आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार गरीबी उन्मुलन, सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है जिससे जीवन की गुणवत्ता में विकास होता है ।
3. सतत् विकास में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन तकनीकि को अपनाया जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निर्मित नहीं होती ।
4. सतत् विकास की अवधारणा में वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के आर्थिक कल्याण को महत्व दिया जाता है जो मानवीय अस्तित्व तथा पर्यावरण के बीच सकारात्मक संबंधों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ की पहुँच से संबंधित होता है ।

सतत् विकास लक्ष्य निर्धारण—

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 से 2015 तक विकास के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) के तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किये। जो निम्नानुसार थे —

1. चरम निर्धनता एवं भूख का निवारण ।
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की स्थिति प्राप्त करना ।
3. लिंग भेदभाव को दूर करना ।
4. बाल मृत्यु दर हटाना ।
5. मातृत्व स्वास्थ्य सुधार ।
6. एचआईवी एड्स, मलेरिया व अन्य रोगों का निवारण ।
7. पर्यावरण में सततता ।
8. विकास हेतु वैश्विक भागीदारी ।

यह लक्ष्य 2015 तक के लिये निर्धारित किये गये थे। इन लक्ष्यों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2015 में जारी की। इस रिपोर्ट के आधार पर “अपनी दुनिया में बदलाव: सतत् विकास के लिये 2030 का एजेंडा” तय किया गया। उल्लेखनीय है कि ब्रटलैण्ड आयोग ने सर्वप्रथम निरंतरता के साथ विकास की प्रक्रिया को टिकाऊ या सतत् विकास के रूप में समझाने का प्रयत्न किया। सतत् विकास, विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economical Viable), सामाजिक रूप से स्वीकार्य (Socially Acceptable) और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित हो (Environmentally Sound)। गरीबी में कमी, समाज में असमानता को कम करना, पर्यावरण सुरक्षा एक दूसरे से सह संबंधित हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यापक जनभागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रमुखता दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने Sustainability को समानता के बुनियादी आधार – निष्पक्षता, सामाजिक न्याय तथा बेहतर जीवन स्तर तक पहुँच से जोड़कर सतत् विकास लक्ष्य तय किये। संयुक्त राष्ट्र का यह भी मंतव्य है कि वह सब कुछ जिसकी हमें अपने अस्तित्व को कायम रखने अथवा सामाजिक विकास के लिये आवश्यक है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से सम्बन्धित होता है। अतः Sustainability तभी कायम रह सकती है। जब मानव और पर्यावरण के साथ तादात्म्य हो। दोनों का अस्तित्व एक साथ बना रहे तभी वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने की संभाव्यता पूर्ण हो सकती है। इस विनाय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत् विकास लक्ष्य को “अपनी दुनिया में बदलाव: सतत् विकास के लिये 2030 का एजेंडा” को अंगीकार किया। इसमें 2030 तक यानि पंद्रह सालों में गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने, असमानता के संघर्ष को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये 17 लक्ष्य, 169 उद्देश्य निर्धारित किये।

नवीन समग्र विकास एजेण्डा 2030 के मूल में समग्र विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम शामिल है। यह एजेण्डा इस मायने में विशिष्ट है कि इसमें अविकसित, विकासशील और विकसित सभी देशों द्वारा कार्यवाही की मांग की गई है। सदस्य देशों का संकल्प है कि ऐसे में जबकि वे सामूहिक यात्रा पर निकाल रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।

Five P People इस एजेंडा का आधार है। People(जनता), Planet (ग्रह), Prosperity(समृद्धि), Peace (शांति) और Partnership (साझेदारी) इस एजेंडे की व्यापक संभावना को दिशा प्रदान करते हैं।

नवीन समग्र विकास एजेंडा 2030 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सतत् विकास लक्ष्य तय किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:—

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति।
2. भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर, पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देना।
9. लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत् आद्योगिकरण को बढ़ावा।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
14. स्थायी सतत् विकास के लिए, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि रक्षण रिवर्स और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।

16. सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही संस्थागत प्रयास करना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सकें।
17. सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी का पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थागत तैयारी

(Institutional Preparation for Achieving Sustainable Development Goals)

सतत् विकास लक्ष्य के अर्थ हम पूर्व अध्ययनों में भलीभांति परिचित हो चुके हैं। पुनः संक्षेप में इसका आशय दुहराना आवश्यक होगा कि सतत् विकास वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके इस विचार पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (2015 के पश्चात् 2030 तक) का उद्देश्य भी समाज में समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है। इस उद्देश्य की तैयारी किये बगैर लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इस संदर्भ में, संस्थागत तैयारी को जानना आवश्यक है। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
- स्वैच्छिक/गैर शासकीय प्रयास
- देश के भीतर शासकीय प्रयास

सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत अध्याय में हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाओं के अलावा गैर शासकीय प्रयासों और देश के भीतर किये जा रहे संस्थागत प्रयासों का क्रमशः उल्लेख कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

FAO (Food and Agricultural Organisation)—एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करना है। विकासशील

देशों को बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को रोम में हुई थी। वर्तमान में दुनिया के 190 से अधिक राष्ट्र इसके सदस्य हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 1965 में अपने संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की कि मानव समाज की भूख से मुक्ति सुनिश्चित करना उसके बुनियादी उद्देश्यों में से एक है। यह संगठन भुखमरी समाप्ति के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।

CFS (विश्व खाद्य सुरक्षा समिति)—खाद्य का उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुँच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा विषयक नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मंच प्रदान करता है। भारत उक्त दोनों समितियों का सदस्य है। वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में इनकी मदद प्राप्त कर रहा है। FAO वैश्विक भुखमरी की स्थिति पर आई.एफ. डी. (International Fund for Agricultural Development) एवं WFP (World Food Programme) के साथ संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर पर आधारित होती है।

यू.एन.डी.पी— संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम—इसकी स्थापना 1965 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। यह प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। उल्लेखनीय है 21 मार्च 2017 को प्रकाशित रिपोर्ट में 188 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। 2016 में 130 में स्थान पाया था अर्थात् भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है।

विश्व बैंक (World Bank)—संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को विकास कार्यों एवं पुनः निर्माण कार्यों में मदद करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। विश्व बैंक की दो प्रमुख सहायक संस्थाएं हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) और 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) 1945 में विश्व बैंक की

स्थापना पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक) की (IBRD) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ की गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक-दूसरे की पूरक संस्थाएँ हैं। सामान्य रूप से बैंक द्वारा ऋण दीर्घकालीन परिस्थितियों को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। भारत के आर्थिक विकास में विश्व बैंक ने देश की परिवहन की संचार व्यवस्था, सिंचाई, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, चुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास सड़क निर्माण, जलापूर्ति, विद्युतशक्ति, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार लेने में मदद की है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund)—संयुक्त प्रमुख लक्ष्य बगैर किसी भेदभाव के (धर्म, जाति, प्रजाति राष्ट्रीयता, प्रस्थिति आदि के आधार पर) बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करना है। प्रमुख स्वरूप इन बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा तथा सफाई जैसे बुनियादी कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूनिसेफ का गठन 1946 में हुआ जिसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। यह पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए किया गया था। वर्तमान में यूनिसेफ 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है— बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बालश्रम के उन्मूलन, एच.आई.वी. एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) - मानवीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करने वाली, संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) एक विशिष्ट संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WHO मुख्य रूप से नीतिगत आधार पर विश्व के देश में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का कार्य करता है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्था के रूप में इसकी उल्लेखनीय भूमिका है। विशेष रूप से भारत सरकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतियों को अमल में लाने, क्षमता विकास (Capacity building) तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों में परामर्श एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करता है। गन्दी बस्तियों (Slum Area) में संक्रामक बीमारियों के व असंक्रामक बीमारियों के नियन्त्रण, महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा, टीकाकरण, प्रसव संबंधी सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं पोषाहार इत्यादि में सहायक भूमिका

नशाखोरी, मानसिक रोग, निशक्तजन, आपदा प्रभावित लोग, वृद्धों की देखभाल इत्यादि से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी WHO कराता है। SDG लक्ष्य क्रमांक 3 में सभी आयु के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में WHO मानवीय सुरक्षा के कार्य, खाद्य सुरक्षा के साथ दीर्घकालीन पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सजगता से सहयोग प्रदान कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)—श्रम शक्ति में किसी भी देश की वृद्धि एवं विकास को दिशा देने की अमता होती है अतः श्रम की कार्यदशाओं में सुधार, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, जबरन मजदूरी का उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन जैसे नीतिगत मामलों का उचित क्रियान्वयन भी आवश्यक होता है। SDG लक्ष्य क्रमांक 8 में श्रम कानूनों के संरक्षण एवं बेगारी को समाप्त करने जैसे उद्देश्य निहित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उल्लेखनीय है कि भारत 1919 में बने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक निर्माता सदस्य (Founder member) है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पुनः श्रमिकों की कार्यकारी दशाओं में सुधार, श्रमिकों के जीवन स्तर को पर ऊपर उठाना जैसे कार्यों के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने में सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

स्वैच्छिक/गैर शासकीय प्रयास—

“विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट रुचि एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है।”— लार्ड बैवेरिज। सतत् विकास के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत सहयोग के अतिरिक्त, स्वैच्छिक एवं गैर शासकीय प्रयत्नों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए बगैर किसी बाह्य नियन्त्रण के स्वशासी आधार पर गठित संगठन के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है एवं निजी स्रोतों/सरकारी अनुदान के माध्यम से राशि एकत्र करते हैं और वैतनिक और अवैतनिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनकेन्द्रित योजनाओं पर खर्च करते हैं जिनका उद्देश्य समाज के किसी विशेष वर्ग में जीवन को बेहतर बनाने में केन्द्रित होता है। यह कार्य सामाजिक न्याय

को सुनिश्चित करने एवं विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। भारत में पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन, भूख, लिंग असमानता, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम कतिपय गैर-सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों का उल्लेख कर रहे हैं—

UNWOMEN -यू एन वूमेन इंडिया का कार्यालय दिल्ली में स्थित है और चार देशों भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के बीच कार्य करता है। इन देशों में महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं, पुरुषों, नारीवादियों, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करता है। लैंगिक असमानता का सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक 5 को प्राप्त करने में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। महिलाओं को समान अवसर से संबंधित क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक योजना के तहत कार्य कर रहा है। यह क्षेत्र इस प्रकार है —

1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति ।
2. महिला नेतृत्व व सहभागिता को प्रोत्साहित करना ।
3. राष्ट्रीय नियोजन व जेंडर बजट हेतु प्रयास
4. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ।
5. महिलाओं के जीवन में शांति और सुरक्षा हेतु प्रयास
6. महिला और प्रवास (Migration) से जुड़े मुद्दे ।

द हंगर प्रोजेक्ट (The Hunger Project)—यह एक विश्वस्तरीय गैर-सरकारी संगठन है जो दुनिया के 13 देशों में भय, भूख व गरीबी को मिटाने के लिए प्रयासरत है। भारत में 'द हंगर प्रोजेक्ट' महिला नेतृत्व के माध्यम से समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हेतु कृत संकल्पित है। द हंगर प्रोजेक्ट का मानना है कि जब तक महिलाएं नीति एवं कानून निर्माण में मुख्य भूमिका में नहीं आएंगी तब तक विषमतापूर्ण समाज का खात्मा करना मुश्किल है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महिला जन प्रतिनिधियों को संगठित कर जागरूक करने का कार्य यह संस्था करती है। इसका उद्देश्य महिला नेतृत्व को न केवल सक्रिय भागीदारी के

लिए प्रेरित करना है बल्कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव विकास को सुनिश्चित करना है। द हंगर प्रोजेक्ट के विकासजनित कार्यों की प्राथमिकता के क्रम में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, पलायन आदि मुद्दे शामिल हैं।

रेडक्रॉस—रेडक्रॉस एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1863 में युद्ध भूमि पर घायल हुए। सैनिकों एवं पीड़ितों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था जो सतत् रूप से मानवता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तटस्थता, स्वप्रेरित सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता के सिद्धांतों को अमल में ला रहा है। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी भारत में शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति, रोगों के निवारण एवं पीड़ितों की सहायता हेतु कार्य कर रही है। SDG लक्ष्य तीन का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना एवं उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। अतः भारत में इस लक्ष्य की प्राप्ति में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में सहयोगी भूमिका के रूप में रेडक्रॉस सोसायटी का योगदान महत्वपूर्ण है।

भारत में प्रयास—

भारत के ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। CAPART एक प्रमुख स्वयंसेवी संगठन है जो ग्रामीण समुदाय एवं व्यक्तियों के मध्य बदलाव की पहल एवं विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के जरिये कार्य करता है। एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में कपार्ट 1986 में अस्तित्व में आया। यह संस्था दो एजेंसियों (अभिकरणों) को मिलाकर जिनमें काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART) तथा पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट (इंडिया) (पी.ए.डी.आई) सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना है।

प्राकृतिक संसाधनों एवं वातावरण को सुरक्षा प्रदान करना एवं संवर्धन हेतु कार्य करना।

—कमजोर वर्ग को विकास कार्य में भाग लेने योग्य बनाना।

—समुचित ग्रामीण प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रचार—प्रसार करना इत्यादि।

देश के भीतर शासकीय प्रयास—भारत में विकास के नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया आजादी के बाद योजना आयोग (Planning Commission) के माध्यम से संचालित होती रही। जनवरी 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर एक नया संस्थान गठित हुआ जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India) अर्थात् **नीति आयोग** के नाम से जाना जाता है। यह संस्था सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। योजना आयोग के प्रतिस्थापन के द्वारा अस्तित्व में आई संस्था है। यह योजना आयोग से भिन्न है। सहकारी संघवाद पर आधारित अर्थात् योजना निचले स्तर पर स्थित इकाईयों गाँव, जिले, राज्य, केंद्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी।

SDG में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में कार्यनीति तय करना एवं सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल को बढ़ावा देना जैसे कार्यों को निर्देशित करने का कार्य करता है।

भारत सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे Make in India, Digital India, Skill India, Swachhha Bharat Mission, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम • ज्योति योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त सतत् विकास में सहायक परिस्थितियों अनिवार्य रूप से निर्माण करने में कानूनी प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे—मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005), आपदा प्रबंधन कानून 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2009, सूचना का अधिकार 2005 (Right to Information), खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (Corporate Social Responsibility Act), 2013 (लाभ कमाने के साथ समाज के कल्याण के लिए भी कॉर्पोरेट जगत काम करे) इत्यादि

सतत् विकास लक्ष्यों को विकास नीति में शामिल करने के लिए भारत सरकार अनेक स्तरों पर कार्य कर रही है ताकि पर्यावरण के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की परिस्थितियों को निर्मित किया जा सके तथा समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास)

को बढ़ावा दिया जा सके। केन्द्र सरकार ने सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी (Monitoring) रखने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को विकास से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का काम सौंपा है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची के आधार पर संबंधित मंत्रालय उन संकेतकों की पहचान करता है जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के लिए अपनाए जा सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास की रणनीतिक पहल के माध्यम से भारत सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राज्य योजना आयोग—मध्यप्रदेश राज्य में भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास चल रहे हैं। जिसमें शासकीय योजनाओं के माध्यम से सम्बन्धित लक्ष्यों के प्रादेशिक स्तर में सुधार एवं सतत मॉनिटरिंग का कार्य भी निरंतर चल रहा है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की भी प्रतिपूर्ति करते हैं।

सारांश (Summary)

प्रगति और विकास के क्रम में मानव ने अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अंधांधुंध दोहन किया। इससे गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा होने लगे। विकास बनाम विनाश पर बहस छिड़ गई। संपूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट में पड़ने लगा। सभी देशों ने मिलकर सोचा कि ऐसे विकास का क्या मतलब जिससे मानवमात्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाये। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सभी लोगों की आवश्यकता पूर्ति कर सकती लेकिन एक आदमी की लोभ की नहीं सही का था। सारे विश्व ने आगे चलकर माना कि विकास का सही स्वरूप वह जिसमें भावी पीढ़ियों के भविष्य से समझौता न हो। हमारी योजनाएं एवं नीतियां प्रकृति के परस्पर पूरक हैं। जैवविविधता संरक्षित रहे। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग हो कि आज की जरूरतें तो पूरी हो लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं के साथ समझौता न हो। जितना हम प्रकृति से ले उतना ही उसे वापस करे। आधुनिकता की होड में संस्कृति और

मूल्यों की उपेक्षा न करे। मानवीय गरिमा से सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैवकुटुम्बकम् की भावना से समरसता और सौहार्द के वातावरण में अपनेपन और विश्वास के माहौल में जीवन यापन करे। यहीं विकास का सही रूप है। भागीदारी आधारित यही विकास सतत विकास है।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **सतत विकास (Sustainable Development)** :विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यताओं से समझौता किए बिना पूरी की जाती हैं।
- **सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millenium Development Goals)** :संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2000 में सतत विकास की अवधारणा पर आधारित 8 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गये। जिन्हे संक्षेप में एमडीजी कहा जाता है। इन्हें प्राप्त करने की समयसीमा 2015 रखी गई थी।
- **सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals):**2015 में एमडीजी की समीक्षा के बाद तत्कालिन वैश्विक परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 विकास लक्ष्यों के प्राप्ति का उद्घोष किया। जिन्हे एसडीजी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए समयसीमा 2030 निर्धारित की गई है।

स्व-मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न(Long answer type questions)**
 1. सतत विकास के अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट करें।
 2. सतत विकास की आवश्यकता और औचित्य पर प्रकाश डालें।
 3. सतत विकास की विशेषताओं को सविस्तार लिखिए।
 4. सतत विकास के प्रमुख आयाम कौन-कौन से हैं? स्पष्ट करें।
 5. सतत विकास लक्ष्यों को समझाकर लिखिए।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न(Short answer type questions)**

1. ब्रंडलैण्ड आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?
2. सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
3. सतत विकास की आवश्यक शर्तों का लिखिए।
4. समसामयिक संदर्भों में सतत विकास के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न(Very short/ Objective type questions)**

1. सतत लक्ष्यों की संख्या कितनी है?
2. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने समय सीमा क्या है?
3. अवर कॉमन फ्यूचर किस आयोग का प्रतिवेदन है?
4. यूएनडीपी(UNDP)को पूरा लिखिए।
5. सतत विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रकाश में आई?

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. आपने अपने आसपास के क्षेत्र को लगातार बदलते हुए देखा है। बदलाव के इस क्रम में उन संसाधनों और सुविधाओं की सूची बनाइये जो अब नहीं हैं। जैसे गांव के तालाब, कुएं, बावली, पुराने पेड़ आदि।
2. क्या आप मानते हैं कि परिवर्तन, बदलाव और विकास के क्रम में आपके क्षेत्र की बहुत-सी अच्छी बातें अब नहीं रही। इनकी सूची लोगों के साथ मिल बैठकर तैयार कीजिए।
3. संसाधनों और सुविधाओं की दृष्टि से गांव के नफे नुकसान की एक बैलेंस शीट तैयार कीजिए। जिसमें एक कॉलम में समुदाय को मिली सुविधाएं हो और दूसरे कॉलम में उन चीजों का उल्लेख हो जो गांव में नहीं रही।

संदर्भ(References)

मुद्रित संदर्भ :

- हरिकृष्ण रावत : – समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार : – रावत पब्लिकेशन 2011
- K.L.Sharma : - भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन
- बी.सी.सिन्हा, पुष्पा सिन्हा : – आर्थिक संवृद्धि एवं विकास
- डी.एस.बघेल : – परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र
- जी.आर.मदन : – विकास का समाजशास्त्र
- Hob House L.T. : - Social Development : Its nature and conditions

वेब संदर्भ :

- <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/77916/1/Unit-1.pdf>
- <https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/77919>
- <https://www.adda247.com/upsc-exam/sustainable-development-and-the-17-sdgs-part1-hindi/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ChuSVxXdthw>

इकाई— 4 : विकास के मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Issues & Challenges of Development)

उद्देश्य :-

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- विकास के मार्ग की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं?
- विकास की प्रमुख चुनौतियां क्या-क्या हैं?
- चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्त हेतु किन आयामों पर कार्य करना आवश्यक होगा?
- विकास की बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

मुद्दे और चुनौतियां(Issues & Challenges)

जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो समाज के अंदर और बाहर अनेक ऐसी परिस्थितियां, कारक और घटक दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम विकास के अवरोधक, बाधाएं, मुद्दे या चुनौतियों जैसे नामों से सम्बोधित कर सकते हैं। वैसे तो ये चुनौतियां अनेक प्रकार की हैं। पर इनमें साम्य के आधार पर हम पांच भागों में बांटकर देख सकते हैं —

1. सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Social Issues and Challenges)
2. आर्थिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Economic Issues and Challenges)
3. पर्यावरणीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Environment Issues and Challenges)
4. सांस्कृतिक-वैचारिक मुद्दे और चुनौतियां (Cultural-Ideological Issues)
5. अन्य मुद्दे एवं चुनौतियां (Other Issues & Challenges)

इन मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किए बगैर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं। दूसरे शब्दों में सतत विकास लक्ष्य भी इन चुनौतियों को हल करने की पहल का आग्रह करते हैं।

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ग्राम विकास के विविध आयामों को उनकी विशेषताओं के साम्य के आधार पर समस्याओं और चुनौतियों से सहयोजित कर हम आपके सामने इस उद्देश्य से रख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या आयाम को अपनी रुचि क्षमता और आवश्यकता के आधार पर चुनें। उसका सैद्धांतिक ज्ञान माड्यूल के माध्यम और उसकी जमीनी समझ संबन्धित शासकीय विभाग अथवा एनजीओ के साथ काम करके विकसित करें। फील्ड वर्क के माध्यम से अपनी सैद्धांतिक ज्ञान को निखारे और इस प्रकार किसी एक आयाम के विशेषज्ञ बनकर अपने क्षेत्र या गांव के लिए विशेषज्ञ बन जाये। लोगों को लाभान्वित करें और स्वयं के लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर गांव में ही रहकर सृजित करें।

सामाजिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Social Issues and Challenges)

भारत में कमजोर वर्ग की समस्याएँ विकास की बड़ी चुनौती है। भारत में कमजोर वर्ग से तात्पर्य सामान्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, विकलांग आदि से है। सतत् विकास लक्ष्य 5 में लिंग असमानता को कम करने का उद्देश्य निहित है एवं सतत् विकास लक्ष्य 10 में देश के भीतर समाज में सभी तरह की असमानता को कम करने की बात शामिल की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, घरेलू हिंसा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएँ एवं विकलांगों की स्थिति एवं समस्याओं को दूर करना विकास लक्ष्यों को आवश्यक हैं। समस्याओं के विविध पहलुओं को आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए एलएमएस पर उपलब्ध सामग्री से जान सकते हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आप निम्नलिखित दो शैक्षणिक वैकल्पिक अध्ययन धाराओं का चयन कर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं –

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – पंचायती राज एवं ग्रामस्वराज

<p>अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम सभा विकास कार्यों की प्राथमिक किन्तु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ● ग्राम की समस्त योजनाएं ग्राम सभा से ही संचालित होती हैं। अंतः विकास कार्यकर्ता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समझ, विभिन्न स्तरों के अधिकार और कर्तव्यों की समझ तथा व्यवहारिक कार्य प्रणाली का पूरा ज्ञान आवश्यक है। इस अध्ययन धारा में पंचायती राज व्यवस्था के सभी आयामों और ग्रामीण विकास के विविध अवयवों की विस्तृत जानकारी है।
--	--

सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 1—सब जगह गरीबीका इसके सभी रूपों में अंत करना। ● 2—भूखमरी समाप्त करना, खाद्य—सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि का बढ़ावा देना। ● 6—सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना। ● 8—सभी के लिये सतत् समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ● खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ● कृषि विभाग। उद्यानिकी विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ● सांसद आदर्श ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, ● स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री गामीण आवास योजना आदि।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज व्यवस्था का ज्ञान होगा। ● त्रि—स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कार्य विभाजन, दायित्व और शक्तियां पता चलेंगी। ● शिक्षार्थी ग्राम सभा के माध्यम से विकास विषयक अनेक मुद्दों को लोगों के सम्मुख रखने और उन्हें सहमत करने की योग्यता अर्जित करेंगे। ● शिक्षार्थियों में ग्राम स्तर की समस्याओं की समझ और उन्हें हल करने की अभिनव उपायों को क्रियान्वित करने की क्षमता और कौशल विकसित होगा।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – महिला एवं बाल विकास

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आधी आबादी की पूरी सहभागिता जरूरी है। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य है कि नारी सशक्तिकरण की सभी संभावनाओं को प्रस्तुत किया जाये। लैंगिक भेदभाव से रहित क्षमतामूलक समाज की स्थापना प्रयास किया जाये। महिलाओं की अंतर्निहित प्रतिभाओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में किया जाये। ● अध्ययन धारा का एक उद्देश्य यह भी है कि महिलाएं शोषण से मुक्ति के लिये प्रावधानिक विधिक उपायों से परिचित हो सकें और प्रोत्साहक योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ें। समाज और परिवार को उनकी योग्यता, क्षमता और उद्यमितावृत्ति का पूरा-पूरा लाभ मिले।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 5—लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। ● 3—स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिये आजीवन तंदुरुस्ती को

	<p>बढ़ावा देना।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4-समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● महिला एवं बाल विकास विभाग ● स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग ● समाज कल्याण विभाग ● स्कूल शिक्षा विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● लाइली लक्ष्मी योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, समेकित बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मातृ वंदना योजना, उदिता योजना, वन स्टॉप सेंटर, आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, किशोरी बालिका योजना।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● महिलाओं को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिये प्रेरित करने का कौशल विकसित होगा। ● ग्राम और स्थानीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न संरचनाओं, निकायों की जानकारी प्राप्त होगी तथा उनकी कार्यविधि समझने में सहायता मिलेगी। ● शासकीय योजनाओं में महिलाओं के प्रोत्साहन और शोषण से बचाव की योजनाओं के लाभ से महिलाओं को प्रत्यक्षतः अवगत और लाभान्वित करने के लिये आवश्यक पहल करने का कौशल विकसित होगा।

आर्थिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Economic Issues and Challenges)

भारत एक विकासशील देश है। सतत् विकास लक्ष्य (2015 के बाद से 2030) की चुनौती देश में आर्थिक असमानता को कम करना है। गरीबी, बेरोजगारी, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी ऐसी समस्याएँ हैं जो आर्थिक गैर बराबरी का कारण और परिणाम दोनों हैं। सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक 1 में गरीबी को पूरे विश्व से समाज में करने की बात कही है। लक्ष्य क्रमांक 8 में सतत् आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य 16वां में इस बात का उल्लेख है कि सतत् विकास की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सभी के लिये न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने तथा सभी स्तरों पर कारगर बनाने के लिये होना चाहिये। इस लक्ष्य में 16.2 के अंतर्गत बच्चों के प्रति दुराचार और शोषण को समाप्त करने का उद्देश्य निहित है। समस्याओं के विविध पहलुओं को आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए एलएमएस पर उपलब्ध सामग्री से जान सकते हैं ताकि सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जागरूकता में वृद्धि की जा सके।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आप निम्नलिखित दो शैक्षणिक वैकल्पिक अध्ययन धाराओं का चयन कर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं –

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● ऋषि एवं कृषि भारतीय जनजीवन की प्राचीनतम पहचानों में से एक है। बदलते समय और तकनीक के साथ कृषि का परम्परागत स्वरूप भी बदला है। इसे समीक्षा कर अच्छी बातों को अपनाने और बुरी बातों को छोड़ने की जरूरत है। ● कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाकर कृषकों की आय को दुगुना करना और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाकर कृषकों की जोखिमों से रक्षा करना राष्ट्रीय संकल्प हैं। सतत विकास की पृष्ठभूमि में कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह ग्राम जीवन और ग्राम अर्थव्यवस्था दोनों की रीढ़ है। अतः इसे समझकर आगे बढ़ना विकास कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 1—सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना। ● 2—भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। ● 12—सतत उपभाग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● कृषि विभाग ● उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ● कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ● खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● किसान कल्याण योजना, अन्नपूर्णा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मिट्टी परीक्षण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। बीज ग्राम योजना। कृषि बीमा योजना इत्यादि।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक आयामों की जानकारी होगी। ● कृषि संबंधी संरचनाओं के निर्माण और संचालन की योग्यता विकसित होगी। कृषि विपणन के आयामों से परिचित होंगे। ● आसपास के क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं की समीक्षा कर उन्हें प्रचलित और प्रभावी योजनाओं के लाभ से समाप्त करने की योग्यता विकसित होगी। ● व्यावसायिक कृषि और जैविक कृषि के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि की जरूरतों को जान सकेंगे और अपने क्षेत्र में इनके प्रोत्साहन के लिये लोगों से मिलकर ब्यूह रचना तैयार कर सकेंगे।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – आजीविका एवं कौशल

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● आजीविका जीवन मशीन का ईंधन है। इसके बगैर विकास के किसी भी स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आजीविका के लिये केवल सरकार पर निर्भरता ना ही उचित है और ना ही वांछित। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य उद्यमिता वृत्ति के विकास से रोजगार की संभावनाओं को तलाश करना और विकसित करना है। आसपास के जरूरतों के आधार पर रोजगार सृजन के अवसरों की पहचान करना है। आवश्यकता के अनुसार स्वयं में कौशल विकसित करना है जिससे रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हो। ● केन्द्रीय और प्रदेश शासन द्वारा रोजगार कौशल और उद्यमिता को बढ़ाने की अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इस अध्ययन धारा का उद्देश्य उनकी जानकारी से युवाओं को अवगत कराकर रोजगार के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन करना है।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 4-समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना। ● 8-सभी के लिये सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग ● तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ● कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● छात्र-छात्राओं के लिये शिक्षा प्रोत्साहक योजनायें जैसे- गाँवों की बेटा, विवेकानन्द छात्रवृत्ति, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना, रोजगार व्यवसाय प्रशिक्षण योजना इत्यादि।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● कौशल विकास के अनेक आयामों की जानकारी होगी। ● इच्छित विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे या उपलब्ध कौशल का संवर्द्धन कर सकेंगे। ● उद्यमिता वृत्ति का विकास होगा। ● आसपास के वातावरण में रोजगार की संभावनाओं के सृजन और दोहन के विशेषज्ञ बन सकेंगे।

पर्यावरणीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Environmental Issues and Challenges)

पर्यावरण किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। मानवीय स्वास्थ्य व कार्यक्षमता पर्यावरण की स्थिति से प्रभावित होता है। तात्पर्य यह है कि पर्यावरण की अनुकूल दशाएँ विकास की प्रक्रिया से सीधे तौर पर संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए

सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की बात कही गई है। पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याओं के विविध पहलुओं को आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए एलएमएस पर उपलब्ध सामग्री से जान सकते हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आप निम्नलिखित दो शैक्षणिक वैकल्पिक अध्ययन धाराओं का चयन कर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं –

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

<p>अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास समसामयिक संदर्भों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। भावी पीढ़ी की संभावनाओं से बिना समझौता किये वर्तमान की विकास विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं साथ-साथ प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण आज की सबसे जटिल चुनौती है। ● पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर है। अतः विकास के साथ-साथ पर्यावरण की चिंता आवश्यक है। यह केवल एक वैचारिक विषय नहीं अनेक तकनीकी आयाम भी इसमें शामिल हैं। ● इस धारा के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण जैसे आयामों की व्यवहारिक जानकारी देने का प्रयास किया जायेगी।
<p>सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 7-सभी के लिये किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ● 13-जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तात्कालिक कार्रवाई करना। ● 15-स्थलीय परिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना।
<p>शासकीय विभागों से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● पर्यावरण एवं ऊर्जा विभाग। ● वन एवं पर्यावरण विभाग
<p>शासकीय योजनाओं से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उदय योजना, सरल बिजली बिल मुख्यमंत्री योजना, ग्राम स्वराज अभियान।
<p>अध्ययन धारा से कौशल सृजन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रकृति और पर्यावरण की समझ विकसित होगी। इसके दुष्प्रभावों को जानकर ग्राम और आंचलिक स्तर पर सुधार के लिये पहल कर सकने का कौशल विकसित होगा। ● विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पर्यावरण सम्बन्धी घटकों के महत्व की जानकारी से स्वयं परिचित होंगे, औरों को करा सकेंगे।

	<ul style="list-style-type: none"> ● पर्यावरण संरक्षण के तकनीकी उपायों में आवश्यकता, रूचि और योग्यतानुसार विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे।
--	--

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ –स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय मान्यता है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अर्थात् स्वच्छ रहने पर हम बहुत सी बीमारियों से स्वतः बचे रह सकते हैं। अतः स्वच्छता एक पंथ दो काज की भावना को ही अभिव्यक्त करती है। ● जीवन शैली की विसंगतियों से अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। विशेषकर बच्चों और युवाओं में। अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित खानपान बीमारियों की जड़ में है। विदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ उपचार तो कर रहीं हैं लेकिन दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग से आजीवन आरोग्य के संकल्प की सिद्धि है।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 2-भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। ● 3-स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। ● 6-सभी के लिये जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग ● रूरल हेल्थ मिशन ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ● पर्यावरण एवं ऊर्जा विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● आयुष्मान भारत योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, जननी सुरक्षा योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, संजीवनी एंबुलेंस योजना, राष्ट्रीयता स्वच्छता मिशन की योजनाएं।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव विकसित होगा। ● स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे। ● योग इत्यादि प्रक्रियाओं से आरोग्य और व्यक्तित्व दोनों प्राप्त करेंगे। ● स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनेंगे।

सांस्कृतिक-वैचारिक मुद्दे और चुनौतियाँ (Cultural-Ideological Issues)

बदलते समय के साथ सांस्कृतिक-वैचारिक स्तर पर भी अनेक समस्याएं और चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सांस्कृतिक वैचारिक मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के विविध पहलुओं को आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए एलएमएस पर उपलब्ध सामग्री से जान सकते हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आप निम्नलिखित दो शैक्षणिक वैकल्पिक अध्ययन धाराओं का चयन कर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं –

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – संस्कृति, कला एवं देशज ज्ञान

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय परम्परा ज्ञान आधारित रही है। सदैव ज्ञान का सम्मान हुआ है। इतिहास के बीते कालखंड में हमने अपने स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के वैभव को भुला दिया है। आज उसे जागृत कर प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ● विकास, कला और संस्कृति प्रोत्साहक न हो तो लंबे समय तक स्थाई नहीं रह सकता। आज अपेक्षा यह है कि हम आधुनिक से आधुनिक तो बनें लेकिन अपनी परम्पराओं को जीवित रखें। ● इस अध्ययन धारा का उद्देश्य कला संस्कृति और मूल्यों के प्रति युवाओं में आग्रह पैदा करने के साथ इससे प्रेरणा लेने के भाव को विकसित करना है।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● सतत विकास के 1-17 लक्ष्यों में सभी में किसी न किसी रूप में संस्कृति और कला का समावेश है, क्योंकि ये किसी भी मानव समाज की पहचान है। कला और संस्कृति के बगैर एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कला और संस्कृति अपराध निरोधक और रचनात्मकता प्रोत्साहक होती हैं।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्कृति विभाग ● जन-संपर्क विभाग ● उच्च शिक्षा विभाग ● लोक कला एवं आदिवासी संस्कृति के संरक्षण से सम्बन्धित निकाय
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● कलात्मकता को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक मूल्यों के लोकव्यापीकरण के लिये संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। कला और संस्कृति के संरक्षण की योजनाएं। पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण की योजनाएं।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा की जानकारी हो सकेगी। ● देशज ज्ञान के आधार पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण में निष्णात हो सकेंगे। ● कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों को जान सकेंगे।

	<ul style="list-style-type: none"> ● कलात्मक धरोहर के प्रति सजग और सचेष्ट होंगे। ● सांस्कृतिक दृष्टि से अनुकूल व्यवस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कौशल विकसित होगा।
--	---

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – सामाजिक समरसता

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● युगों-युगों से सामाजिक समरसता भारतीय जन-जीवन की विशेषता रही है। वर्तमान में क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिये इसे चुनौती देने वाले व्यक्ति और संस्था बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हिलमिल कर रहने की हमारी कुशलता और सबको आत्मसात कर लेने की हमारी जीवन-शैली को सींचना बहुत आवश्यक है। ● सामाजिक समरसता की धारा विकास की आधार भूमि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। सामाजिक समरसता के बगैर ना तो कोई समाज उन्नति कर सकता है और ना तो विकास से प्राप्त उपलब्धियों को सहेज कर रख सकता है। ● समरसता के अभाव में विखण्डन हिंसा और अलगाव का माहौल बनेगा, जो विकास के लिये किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं होगी। अतः समरसता के प्रोत्साहक तत्वों को प्रश्रय देना और तोड़ने वाली ताकतों को हतोत्साहित करने का भाव परोक्ष रूप से विकास के लिये अनुकूल वातावरण ही सृजित करेगा।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● सामाजिक समरसता के बगैर विकास की कोई भी योजनाएं अपना वांछित फल नहीं दे सकतीं। समरसता के माहौल में ही रचनात्मकता और विकास पनपता है। इसलिए परोक्ष रूप से सभी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समाज के विविध घटकों की समरसता अनिवार्य है।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्कृति विभाग ● धर्मस्व विभाग ● आनंद विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● समरसता प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय, निकाय और संकाय हैं, जिनके माध्यम से शासन की ओर से समरसता प्रोत्साहक उपाय निरंतर किये जाते हैं।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय परिवेश में समरसता की प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। ● समरसता को खण्डित करने वाले तत्वों की पहचान कर सकेंगे। ● अपने परिवेश में समरसता प्रोत्साहक गतिविधियों के आयोजन में नेतृत्व कर सकेंगे। लोगों को सहभागी बना सकेंगे। ● समरसता मूलक समाज के निर्माण के महत्वपूर्ण और प्रशिक्षित घटक बनकर अपने सेवाएं राष्ट्र को दे सकेंगे।

अन्य मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Other Issues & Challenges)

उपरोक्त चार आयामों पर समस्याओं से सम्बन्धित जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अपने तरह के मुद्दें होते हैं जिन्हें उपरोक्त वर्गीकरण में शामिल नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। इन अन्य मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के विविध पहलुओं को आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए एलएमएस पर उपलब्ध सामग्री से जान सकते हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आप निम्नलिखित दो शैक्षणिक वैकल्पिक अध्ययन धाराओं का चयन कर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं –

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – स्वैच्छिकता एवं विकास

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	<ul style="list-style-type: none"> ● समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वेच्छा से समाजहित के कार्य करने हेतु उत्सुक रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित और दक्ष बनाना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है। ऐसा वातावरण विकसित करना जिससे विकास एक जन आंदोलन बने और केवल सरकारी उत्तरदायित्व न रह जाये। यह भी जरूरी है। ● इस अकादमिक धारा में स्वैच्छिकता के आधार पर संचालित व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रोत्साहन, उनके मानकीकरण, उन्हें योजनाओं के संचालन में बराबर का भागीदार बनाकर शासकीय प्रयासों को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने तक की पहल। इस पाठ्यक्रम के मूल में है।
सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● 16—सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। ● 17—कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। ● 10—राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना।
शासकीय विभागों से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● समाज कल्याण विभाग ● योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ● आदिम जाति कल्याण विभाग ● अनुसूचित जाति-जनजाति विकास विभाग
शासकीय योजनाओं से संबद्धता	<ul style="list-style-type: none"> ● विवाहिता पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजनायें, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इत्यादि। स्वयंसेवी संगठनों के प्रोत्साहन की योजनायें, आपदा प्रबंधन के लिये निर्मित योजनायें।
अध्ययन धारा से कौशल	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण और संचालन की दक्षता आयेगी। ● विकास विषयक परियोजनाओं के लिये योजना निर्माण और संचालन

<p>सृजन</p>	<p>क्रियान्वयन की दक्षता आयेगी। स्वैच्छिक प्रयासों से बदलाव के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने की क्षमता विकसित होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आपदा और प्रतिकूल परिस्थिति में राहत और बचाव कार्यों के संचालन का कौशल विकसित होगा। ऐसे समय में लोगों के साथ मिलकर अभावों और प्रतिकूलता में किस प्रकार कार्य हो। इसका कौशल और दक्षता भी विकसित होगी।
-------------	---

चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ – विधिक विशेषज्ञता

<p>अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय संविधान को प्रत्येक भारतीय नागरिक को गरिमा और सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करता है। कई परिस्थितियों में व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में न्याय की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। ● न्यायिक प्रावधानों से ना केवल हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि दूसरे के अधिकारों के प्रति दायित्व बोध भी जाग्रत होता है। ● इस अकादमिक धारा का उद्देश्य उन उपायों और व्यवस्थाओं से परिचित कराना है, जिससे कोई भी व्यक्ति अन्याय का प्रतिकार कर न्याय पा सकता है।
<p>सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-17 तक सभी लक्ष्यों से इस धारा का सम्बन्ध है। प्रावधानों के अनुसार लाभ न मिलने पर विधिक सहायता के लिये विवश होना पड़ता है। अतः सभी लक्ष्यों को केन्द्रित योजनाओं का लाभ ना मिलने पर विधिक सहायता आवश्यक होती है।
<p>शासकीय विभागों से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● विधि विभाग ● मानवाधिकार एवं अन्य संगठन ● राज्य स्तर पर विधिक सहायता तंत्र ● केन्द्र स्तर पर विधिक सहायता तंत्र
<p>शासकीय योजनाओं से संबद्धता</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● नालशा, सालसा, अभिरक्षा में कैदियों के अधिकार, बाल सुधार गृह, जेल सुधार इत्यादि से सम्बन्धित योजनाएँ।
<p>अध्ययन धारा से कौशल सृजन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● विधिक प्रावधानों की जानकारी हो सकेगी। ● विधिक सहायता दिलाने का कौशल विकसित होगा। ● विधिक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के जानकार बनेंगे। ● जनहित के मुद्दों के लिये संघर्ष का भाव विकसित होगा। ● पैरा-लीगल वॉलेटियर के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते हैं। ● ग्रामीण स्तर पर लोक-अदालतों के माध्यम से विवादों के निपटारे में सहयोगी बनकर अपने क्षेत्र और गाँवों को विवाद मुक्त ग्राम बना सकते हैं।

सारांश (Summary)

- यह इकाई विकास के बारे में आपकी सोच-समझ विकसित करने के प्रयासों की श्रृंखला में सिद्धांत और व्यवहार के बीच की कड़ी हैं। पहली तीन इकाईयों में हमने विकास को विस्तार से जाना समझा। सतत विकास पर भी हमारी पकड़ अच्छी हो गई। अब प्रश्न उठता है कि हमें विकास से रोक कौन रहा है। अर्थात् विकास के रास्ते में अड़डा जमाये वो कौन-से घटक है जा स्पीडब्रेकर का काम कर रहे हैं। मंजिल पाने से हमें रोक रहे हैं। इसे इकाई में हमने उन अवरोधों की चर्चा करते हुए इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम जो विकास विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आपको जोड़ने की कोशिश की है। अवरोधों को वर्गीकृत करें तो वे पांच आयामों पर हैं। हमने उन अवरोधों को दूर करने वाले विशेषज्ञ बनने के लिए दो-दो अकादमिक धाराओं के विकल्प दिए हैं। आप अपनी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के आधार पर इनका चयन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में इन विषयों के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **देशज ज्ञान** :सूचना और ज्ञान की विविध धाराओं में भारतवर्ष का अपना अनुभव और शोधजन्य ज्ञान।
- **वैचारिक सहिष्णुता** : दूसरे के विचारों को महत्व देने का आदर भाव।
- **लिंग-भेद** : लिंग के आधार पर भेदभाव करना।

स्व-मूल्यांकन(Self-Assessment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न(Long answer type questions)**
 1. विकास के मार्ग की प्रमुख सामाजिक समस्याओं/चुनौतियों को स्पष्ट करें।
 2. विकास के मार्ग की प्रमुख आर्थिक समस्याओं/चुनौतियों को स्पष्ट करें।
 3. विकास के मार्ग की प्रमुख पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं/चुनौतियों को स्पष्ट करें।
 4. विकास के मार्ग की प्रमुख सांस्कृतिक एवं वैचारिक समस्याओं/चुनौतियों को स्पष्ट करें।

लघु उत्तरीय प्रश्न(Short answer type questions)

1. भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को लिखिए।
2. भारत में विकलांगों की प्रमुख समस्याओं को लिखिए।
3. आर्थिक विषमता को समझाइये।
4. ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं?
5. सामाजिक समरसता से आप क्या समझते हैं?

- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न(Very short/ Objective type questions)**

1. प्रतिव्यक्ति आय से क्या समझते हैं?।
2. राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं?
3. गरीबी रेखा क्या है?
4. विकास दर से क्या समझते हैं?
5. जैविक कृषि क्या है?

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की सूची तैयार कीजिए। जिसमें आर्थिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं और पर्यावरणीय समस्याओं का अलग-अलग उल्लेख हो।
2. आपके क्षेत्र के विकास के रास्ते में प्रमुख अड़चने कौन-कौन सी हैं? उनकी सूची बनाइए और उनके सामने अंकित कीजिए कि आप उनके समाधान के लिए अपने स्तर पर समुदाय को साथ लेकर कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं।
3. अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आप शासन की किन योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं? समस्याओं के सामने सम्बन्धित योजनाओं का नाम लिखकर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए।

संदर्भ(References)

मुद्रित संदर्भ :

- राम आहूजा : सामाजिक समस्याएं (रावत पब्लिकेशन जयपुर)

- विश्वम्भर प्रसाद सती : पर्यावरण और कानून (आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर : 2001)
- सुजीत कुमार शाह : भारत में नगरीकरण तथा संबंधित समस्याएं
- भारतीय अर्थव्यवस्था : प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक 2016

वेब संदर्भ :

- इस पाठ्यक्रम के लर्निंग मैनेजमेंट के सिस्टम पर इस माड्यूल के साथ अतिरिक्त अध्ययन के रूप में विकास के मुद्दे, चुनौतियां समस्याएं, सम्भावनाएं इत्यादि पर एक लगभग 100 पृष्ठों से अधिक की सामग्री अध्ययन हेतु उपलब्ध है। जिस पढ़कर उपरोक्त के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इकाई-5 : विकास योजनाओं का क्रियान्वयन (Implementation of Development Schemes)

उद्देश्य :-

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि—

- सतत विकास लक्ष्यों को हम अपने परिवेश में कैसे समझ सकते हैं?
- पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों का लाभ लेकर हम अपने गांव में विकास की कौन-कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं?
- विकास की विविध थीमों पर हम अपने ग्राम का विकास कैसे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं?
- विकास के मार्ग से प्रत्येक ग्राम में कैसे सुविधा, सम्पन्नता और खुशहाली आ सकती हैं?

हमारा विजन – सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्यों में, हम एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी विज़न देख रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हैं, जिसमें यहाँ पर मौजूद सभी जीवों का फलना-फूलना संभव हो और जो गरीबी, भूख, बीमारी और अभाव से मुक्त हों। हम भय और हिंसा से मुक्त दुनिया की परिकल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया, जहाँ सभी साक्षर हों। जहाँ सभी स्तरों पर पर सामान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हो। सभी के लिए सभी स्तरों पर सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो। एक ऐसी दुनिया, जहाँ हम मूलभूत मानव अधिकार जैसे 'सुरक्षित पेयजल और सभी के लिए स्वच्छता' को लेकर अपने संकल्प की पुष्टि करते हैं। जहाँ सभी और बेहतर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता हो। जहाँ सभी को पर्याप्त, सुरक्षित, और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ आवासीय क्षेत्र और बस्तियां सुरक्षित और टिकाऊ हों। जहाँ सस्ती, भरसेमंद और सतत उर्जा तक सभी की पहुंच हो।

हम ऐसी दुनिया की पारिकल्पना करते हैं जहाँ मानव अधिकारों और मानव की गरिमा, कानून के शासन, न्याय, समानता और गैर-भेदभाव; नस्ल, जातीयता और विभिन्नसंस्कृतियोंकी विविधता का सम्मान, और एक मानव की क्षमता की पूर्ण प्राप्ति हेतु समान अवसर उपलब्ध हों। जहाँ सभी की साझा समृद्धि में योगदान दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जो अपने बच्चों में निवेश करती है। जिसमें हर बच्चा हिंसा और शोषण से मुक्त होकर बड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर महिला और लड़की को पूर्ण लैंगिक समानता हो और इसे प्राप्त करने में सभी कानूनी, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को मिटा दिया गया हो। एक न्यायसंगत, सहिष्णु, मुक्त और सामाजिक रूप से समावेशी दुनिया जिसमें सबसे कमजोर लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। हम एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हैं जिसमें प्रत्येक देशों में सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास हो। सभी के लिए अच्छा और क्षमता अनुरूप काम हों। एक ऐसी दुनिया, जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों के खपत और उत्पादन के पैटर्न और उपयोग – हवा से जमीन तक, नदियों, झीलों, प्राकृतिक जलभण्डार समहासागरों और समुद्रों तक के लिए सातत्य हो। ऐसी दुनिया जिसमें लोकतंत्र, सुशासन, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा वातावरण जो सतत और समावेशी सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए आवश्यक है। जिसमें विकास और प्रौद्योगिकी का प्रयोग जलवायु को ध्यान में रख कर किये जाते हो, जहाँ जैव विविधता का सम्मान हों जिसमें मानवता प्रकृति के साथ सद्भाव से रहती है। जिसमें वन्यजीव और अन्य जीवित प्रजातियों की रक्षा की जाती हो। जैसे इस ग्रह को बचानेका मौका पाने वाली अंतिम पीढ़ी हो सकते हैं। वैसे ही हम गरीबी को समाप्त करने में सफल होने वाली पहली पीढ़ी बन सकते हैं; अगर हम हमारे उद्देश्यों में सफल हुए तो 2030 में दुनिया एक बहुत बेहतर जगह होगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 से शुरू की गई। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित है।

गांव के विकास और बुनियादी सेवाओं के लिये तैयार की जाने वाली ये वार्षिक योजना सरपंच, पंच और ग्रामीण मिलकर बनाते हैं। इस योजना में स्थानीय नागरिकों की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं का उपलब्ध संसाधनों के साथ मेल खाना जरूरी है।

यह योजना पारदर्शी और भागीदारी प्रक्रिया से सभी ग्रामवासियों को शामिल कर के बनाई जाना चाहिये। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह स्थानीय नागरिकों, गरीबों और हाशिए के लोगों को योजना बनाने की प्रक्रिया में जोड़े और सबको बुनियादी सेवायें दिलवायें।

14 वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक रूप से यह अनिवार्यता की गई है कि उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जाएँ। ये विकास योजना व्यापक होनी चाहिए और समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा को शामिल करने वाली भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। हम ठान लें तो ये सब संभव है—

हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के दौरान इस जिम्मेदारी को निभाने का बेहतरीन मौका हमें मिलता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एक ऐसा अवसर है जब हम इन 9 थीम के संदर्भ में अपनी पंचायत के संसाधनों को पहचान सकते हैं और आगामी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों की मांग कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण का उद्देश्य—

1. ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास ।
2. समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।
3. विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों में बढ़ोत्तरी ।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा ।
5. वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता ।
6. नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना ।

संक्षेप में – ग्राम विकास योजना, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का दस्तावेज है ।

ग्राम विकास योजना निर्माण में सामुदायिक भागीदारी जरूरी क्यों हैं?

जन प्रतिनिधियों के साथ—साथ स्थानीय लोगों को भी पंचायत के दायित्वों की सीमा और विस्तार पता होना चाहिए। सबको को जानना चाहिए कि—ग्राम पंचायत में सभी शासकीय विभागों तथा योजनाओं से विभिन्न कार्यों के लिए फंड आते हैं तथा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत में सभी सेवाएं, सुविधाएं तथा योजनाएं क्रियान्वित होती हैं ।

पेयजल, साफ सफाई और स्वच्छता, शिक्षा, नागरिक सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, माता और शिशु से जुड़ी स्वस्थ और पोषण सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, खेल—कूद और पार्क, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, आय और रोजगार और अंत में शमशान और कब्रिस्तान सभी ऐसे मुद्दे हैं जो सबके जीवन को प्रभावित करते हैं और परिवारों की खुशहालियों से गहरे जुड़े हैं ।

लेकिन प्रायः यह देखा गया है की ग्राम विकास योजना बनाने में अधोसंरचना का विकास तो शामिल हो जाता है लेकिन मानव संवेदी विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं ।

इस लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय इन मुद्दों पर अवश्य ध्यान दिया जाए, जिससे कि समग्र विकास की एक योजना बनाई जा सके।

क्षेत्र—1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे—

- पेय जल और स्वच्छता
- सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता
- गाँव में सफाई यानि कूड़े कचरे तथा ठोस और तरल अपशिष्टों का प्रबंधन।
- हर घर में, शाला में और गाँव में सामुदायिक शौचालयकी उपलब्धता।

नागरिक सेवाएं—

- जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण
- भूमि संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका
- आधार कार्ड पंजीकरण

स्वास्थ्य सेवायें—

- एक हजार की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता।
- प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता
- गर्भवती और नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण और दवाइयों
- मौसमी बीमारियों और महामारी की स्थिति में स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार
- एक हजार की आबादी पर वी एच एन डी का नियमित आयोजन

बाल विकास एवं पोषण आहार —

- आंगनवाड़ियों की संख्या और वहाँ उपलब्ध सुविधाएं
- आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा की गतिविधियां
- आंगनवाड़ी में बच्चों का नियमित वजन
- गर्भवती और प्रसूता को परामर्श
- किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण

शिक्षा—

- स्कूलों की संख्या व प्रकार
- शिक्षकों की संख्या और उपलब्धता
- शिक्षा का अधिकार के मानदंड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था और सुविधाएं
- ड्रॉप आउट की स्थिति और कारण
- बाल श्रम, बाल विवाह
- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था
- शाला प्रबन्धन समिति की नियमित बैठकें और विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- विद्यालय विकास योजना का ग्राम पंचायत में प्रस्तुतिकरण

सामाजिक सुरक्षा—

- राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था
- राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या
- निगरानी समिति की सक्रियता
- दुकान से राशन की नियमित आपूर्ति की स्थिति
- दुकान से सभी लोगों को पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलने की स्थिति
- राशन की दुकान पर सिग्नल मिलने की स्थिति
- पात्रता के अनुसार आवास
- वृद्धावस्था, विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन की स्थिति
- योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की स्थिति

खेलकूद की व्यवस्था—

- गांव में पंचायत ने किशोर किशोरियों और युवाओं के लिए खेल कूद की सामग्री की स्थिति।
- खेल के लिए उचित जगह तथा मैदान की स्थिति

क्षेत्र-2 संरचनाओं सहित पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबन्धन के मुद्दे-

- गांव में रोड़ और नालियों का निर्माण और रख रखाव
- बिजली के स्थिति
- सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था
- गांव के घरों में बिजली का कनेक्शन।
- गांव में बिजली की सप्लाई की अवधि
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख रखाव
- पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल
- ग्रामीण हात बाजार
- कूड़ा-कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा

यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो -

- आपदा से पूर्व की तैयारियां
- आपदा के दौरान की तैयारियां
- आपदा के बाद की तैयारियां

शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार-

- गांव में शमशान की स्थिति।
- गांव में कब्रिस्तान की स्थिति।

पार्क का रख-रखाव-

- पार्क की व्यवस्था
- पार्क कितना उपयोगी है?
- पार्क में बच्चों के खेलने के लिए सामान और व्यवस्था।

लाइब्रेरी का रख-रखाव-

- गांव में या गांव के स्कूल में पुस्तकालय।
- सबके लिए उपलब्धता।

- दैनिक समाचार पत्रों की उपलब्धता ।

क्षेत्र-3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दे-

- कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन तथा सहायता की स्थिति
- मनरेगा के वार्षिक प्लान की स्थिति
- मनरेगा में सौ दिन का रोजगार तथा उसका भुगतान
- स्वरोजगार के लिए ग्रामीणों को सहायता की स्थिति
- बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण ।
- फलों की खेती में सहयोग ।
- पशु पालन में सहयोग
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना तथा आजीविका की स्थिति
- ऊसर, असिंचित भूमि की सिंचाई व्यवस्था

क्षेत्र-4 सुशासन एवं समावेशन-

- अनुसूचित जाति और जन जाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों की पात्रता की स्थिति
- सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक, गरीब, दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार में महिला मुखिया हो उन्हें प्राथमिकता देने की स्थिति
- सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना ।
- गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति
- नियमानुसार पंचायत की बैठकें ।

- साल में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन तथा बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन
- पंचायत की सभी समितियों की नियमानुसार बैठक

क्षेत्र-5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दे-

- शौचालय का वियमित उपयोग, साबुन से हाथ दुलाई 6 माह तक सिर्फ स्टैन पान, छरू बाद ऊपरी आहार, आयोडिन के नमक का उपयोग आदि
- बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि सामाजिक विसंगतियों पर कार्य और विचार विमर्श
- नशा खोरी, झगड़ों और विवादों का निपटारा

यदि ढांचागत आवश्यकताएं जरूरी हैं और उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी मांग भी जरूर आएगी लेकिन ढांचागत आवश्यकताओं के साथ मानव विकास से संबंधित मुद्दों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाना ही एक समग्र विकास की योजना का प्रारूप हो सकता है।

आपकी, समुदाय की और पंचायत समितियों की सक्रिय भागीदारी न हो पाने की वजह से, हर विभाग अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाते और क्रियान्वित करते हैं। सभी योजनाओं के बीच समन्वय तथा अभिसरण न होने के कारण पंचायत का विकास प्रभावित/धीमा हो जाता है। परिणाम यह होता है कि न तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है, और न ही योजनाओं तक सबकी पहुंच हो पाती है।

विकास के इस चक्र को गति देने के लिए यह जरूरी है कि विभागीय कर्मचारी एवं पंचायत समितियां अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें और दूसरे विभागों के साथ सहयोग भी करें। परिवार और समुदाय अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी से करें और अपने अधिकारों को पाने के लिए सजग रहे।

ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए पंचायत की सभी समितियों का जागरूक और निरन्तर सक्रिय रहना और सभी विभागों के बीच आपस में समन्वय तथा पूरे समुदाय की भागीदारी जरूरी

थीम—

एसडीजी को उन विषयों के माध्यम से लिया जाना है जो इसे पंचायतों और समुदाय से संबंधित बनाते हैं। एक थीम पर कार्रवाई का विभिन्न एसडीजी पर प्रभाव पड़ता है। पंचायतों के लक्ष्य के लिए 9 विषयों की पहचान की गई है—

- Theme1 Poverty free and enhanced livelihoods village
- Theme2 Healthy village
- Theme3 Child friendly village
- Theme4 Water sufficient village
- Theme5 Clean and Green village
- Theme6 Self-sufficient infrastructure in village
- Theme7 Socially secured village
- Theme8 Village with Good Governance
- Theme9 Engendered Development in village

TARGETS / लक्ष्य—ग्राम पंचायतों के काम करने के लिए प्रत्येक थीम के लिए विजन स्टेटमेंट को स्थानीय लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। अधिकांश लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़े हैं। ग्राम पंचायतों के दृष्टिकोण से उनकी पहचान के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्यों की कुल संख्या 150 से अधिक है और पंचायतों को ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लक्ष्य चुनने की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय, राज्य और उप-राज्य के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायतों के लिए भी काम करने के लिए कुछ लक्ष्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतर इनकी पहचान ग्राम पंचायतों द्वारा स्वतः ही कर ली जाएगी।

संकेतक—

लक्ष्यों को संकेतकों द्वारा मापा जाता है। इन संकेतकों को स्थानीय संकेतक ढांचे का निर्माण करना है। 300 से अधिक संकेतक हैं। एलआईएफ एनआईएफ के अनुरूप है जैसा कि ग्राम पंचायत स्तर पर लागू होगा और कुछ एलआईएफ केवल ग्राम पंचायत स्तर के लिए अद्वितीय हैं।

- लक्ष्य और संकेतकों की सालाना समीक्षा की जानी है। ग्राम पंचायतों द्वारा उठाए गए लक्ष्यों और संकेतकों की संख्या भिन्न हो सकती है, क्योंकि यह उनकी महसूस की गई जरूरतों के अनुसार है। एसडीजी उपलब्धि का आकलन करने के लिए इस समूह को एक साथ रखा जाना है

समय—सीमा—

कुछ लक्ष्य/संकेतक हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, कुछ अल्पावधि में और कुछ लंबी अवधि में। सभी 3 समय-रेखा लक्ष्यों/संकेतकों को लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करना आवश्यक है, न केवल दीर्घकालिक परिणामों के लिए प्रारंभिक वर्षों में आवश्यक कार्रवाई करना, बल्कि मामलों/मुद्दों पर तत्काल ध्यान आकर्षित करना भी आवश्यक है।

- संकेतकों की टोकरी से संकेतकों की एक न्यूनतम संख्या पर ग्राम पंचायतों द्वारा काम किया जाना चाहिए, जिसका सुझाव वर्ष में 50 से कम नहीं है। 50 के भीतर कुछ अनिवार्य संकेतक, लगभग 10, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तय किए जा सकते हैं, जो एसडीजी के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता के हैं। शेष ग्राम पंचायतों में एसडीजी उपलब्धियों के लिए ग्राम पंचायत की पसंद के अनुसार है।

- अंतर-पंचायत तुलना के लिए संकेतकों का एक पूरा सेट पंचायत विकास सूचकांक बनाना है। यह सेट मंत्रालयों और राज्यों और नीति आयोग के परामर्श से तय किया जाना है।

- सभी संकेतकों पर आधारभूत डेटा वर्ष 2021-22 में या जल्द से जल्द एकत्र किए जाने की आवश्यकता है। इससे चुने गए संकेतकों पर डेटा निश्चित रूप से डेटा स्रोत के आधार पर

वार्षिक रूप से एकत्र और अद्यतन किया जाना है ताकि परिवर्तन/प्रगति का आकलन किया जा सके।

- पंचायतें विशिष्ट लक्ष्यों, उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकती हैं जैसे— शून्य भूख – पंचायत में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और पंचायत में समग्रता में एक विषय को प्राप्त करने के लिए चुनने के लिए उच्च स्तर पर जाना चाहिए। एक थीम हासिल करना असाधारण है लेकिन आवश्यक है, और असल में एसडीजी हासिल करना है।
- एलआईएफ में कुछ संकेतकों के लिए लक्ष्य मूल्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क होगा, जो पहले से ही राज्य द्वारा और नीति आयोग के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है। डीआईएफ, बीआईएफ और एलआईएफ के बीच संबंध स्वचालित रूप से होंगे, जबकि प्रत्येक में कुछ ऐसे हैं जो केवल उस स्तर पर अर्थ रखते हैं। इन्हें विकसित होते ही देखा जाना चाहिए।

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण –

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से आशय है कि हम अपनी ग्राम सभाओं में योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं जिनका प्रभाव इन बड़े लक्ष्यों पर सकारात्मक रूप से दिखे।

पंचायत विकास के लिए नौ थीम—

केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामवासियों को सरलता से समझाने और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को सरल करने के उद्देश्य से 17 लक्ष्यों को निम्नलिखित 9 थीम में समाहित किया—

थीम-1 गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत

विज़न— गरीबी मुक्त पंचायत जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस न जाये। ऐसा गाँव जहाँ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।

थीम-2 स्वस्थ पंचायत

विज़न- पंचायत में निवास करने वाले हर उम्र के हर व्यक्ति के लिये स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।

थीम-3 बाल मित्र पंचायत

विज़न- यह सुनिश्चित करना कि पूर्ण विकसित होने तक बच्चे अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।

थीम-4 प्रचुर जल संसाधन तथा उपलब्धता वाली पंचायत

विज़न- सभी के लिए क्रियाशील पाइप पेयजल कनेक्शन वाला गांव, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण

थीम-5 स्वच्छ और हरित पंचायत

विज़न- हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृतिकी उदारता से हरा-भरा हो, अक्षय ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा हो

थीम-6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत

विज़न- आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।

थीम-7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

विज़न- गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए। जैसे- खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, रोज़गार, आधारभूत संरचना तथा सुरक्षा।

थीम-8 सुशासन वाली पंचायत

विज़न- ग्राम पंचायत में सुशासन के द्वारा ग्राम के निवासियों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लाभों को उत्तरदायी सेवा एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करना।

थीम-9 लैंगिक समता और समानता वाली पंचायत

विज़न- लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

देखने और पढ़ने में ये एक मुश्किल काम लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम सभा के जिम्मेदार नागरिक के नजरिए से ये एक सरल काम है।

ग्राम पंचायत के पास क्या-क्या है?

मध्य प्रदेश और देश की अनेक कहानियाँ हमने सुनी हैं और देखी हैं जहाँ के जन प्रतिनिधियों ने अपनी लगन और जुझारूपन ने गाँव को आदर्श रूप दे दिया। गाँव की तस्वीर बदलने का ये काम उन्हीं सब संसाधनों और कार्य बल के साथ मिल कर किया जो बाकी गाँव में भी मौजूद हैं। किसी जन प्रतिनिधि ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया तो किसी ने ग्राम विकास पर, किसी ने जल संसाधन और खेती पर ध्यान केन्द्रित किया तो किसी ने स्वास्थ्य पर। किसी ने आजीविका को अपना लक्ष्य बनाया तो किसी ने रोजगार को। सबकी कोशिशों में एक बात समान थी और वह थी पूरे समुदाय को साथ जोड़ने की इच्छा शक्ति और क्षमता।

&ujflagiqj ftys dh cèkqokj xzke iapk;r&

पंच-सरपंच और स्थानीय नागरिकों ने मिल कर यहाँ की तस्वीर बदल दी है। हर घर, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, शाला भवन और सोसाइटी कार्यालयों के सामने बड़े बड़े पेड़ों की हरियाली ने पूरे गाँव को उपवन बना दिया है। यहाँ के स्कूल में शिक्षक न कभी नागा करते हैं और न कभी स्कूल पहुँचने में लेट होते हैं। नतीजतन सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट भी 80 प्रतिशत से नीचे नहीं जाता। और पढ़ाई का स्तर शहरी पब्लिक स्कूलों को टक्कर देता है। यहाँ की साक्षरता दर शत प्रतिशत है। स्वच्छता के प्रति सब इतने जागरूक कि गाँव के सम्पूर्ण सेनेटरी सिस्टम को अंडर ग्राउंड करने में जब शासकीय मदद कम पड़ी तो लोगों ने चंदा करके इस काम को पूरा कर दिया। बुराइयों के खिलाफ लड़ने की सबकी एक राय के चलते पूरे गाँव में कोई भी दुकानदार सिगरेट-बीड़ी, पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचता।

शराब और अन्य नशे से दूरी के चलते गाँव में यदा कदा ही झगड़े होते हैं और उन्हें भी मिल बैठ कर सुलझा लिया जाता है। ये शिकायतें पुलिस तक नहीं पहुंचतीं।

&èkkj ftys dh uokniqjk iapk;r&

एक आदिवासी ग्रामपंचायत नवादपुरा। इस पंचायत की प्रगति का सूत्र वाक्य है— गाय आधारित कृषि, कृषि आधारित उध्योग और उध्योग आधारित ग्राम। यहाँ लोगों ने गाय को केंद्र में रख कर आओने गाँव की अर्थव्यवस्था और प्रगति का ताना-बाना बुना। और एक जुट हो कर गाय आधारित खेती और रोजगार में कई नवाचार किए। गोशाला के लिए प्राप्त शासकीय मदद की राशि कम पड़ने पर स्थानीय लोगों ने पैसे की कमी नहीं पड़ने दी और एक नायाब गोशाला अस्तित्व में आई। स्प्रिकलर से सिचाई व्यवस्था सहित एक विशाल चरागाह का विकसित किया। गोशाला में साफ-सफाई, गायों के पीने के लिए पानी और हवा के लिए पंखे लगाए, मौसम को ठंडा रखने के लिए फलदार पौधों का सघन वृक्षारोपण किया गया। खेती और रोजगार को गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों से जोड़ा और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों पर शोध के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। गोबर और गौमूत्र आधारित कीटनाशक तथा खाद बनाने का प्रशिक्षण लेने आस पास के किसान यहाँ आते हैं। इस गाँव को पर्यटन स्थल की तरह विकसित करने के प्रयास के संदर्भ में यहाँ गोबर और मिट्टी के मिश्रण से "मड कॉटेज" का निर्माण किया गया है। ये कॉटेज बाहर से आए लोगों के रुकने के काम आते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे प्रदेश और पूरे देश में हैं।

लोगों को साथ लाने के लिए जरूरी बात—

लोगों को साथ जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे जुड़ाव में अपने हितों को देख और समझ पाएँ। पूरी पंचायत को प्रगति की राह पर ले जाना आपकी जिम्मेदार है। और प्रगति के मुद्दे भी 9 थीम के रूप में आपके सामने हैं। और समय सीमा है वर्ष 2030। यानि लगभग 8 वर्ष। यह समय पर्याप्त है क्योंकि ऊपर दिये गए उदाहरण भी लगभग 10 सालों की यात्रा है।

सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनें—

मुद्दों की 9 थीम में से कोई एक चुनें। चुनते समय अपने संसाधन, और क्षमताओं का ध्यान रखें। साथ ही ये देखें कि समुदाय की रुचि किन मुद्दों में है और वह जल्दी आपके पक्ष और समर्थन में आ जाएगा। चुनी गई थीम को छोटे छोटे चरणों में बाँट लें। जैसे अगर आप बाल मित्र पंचायत की थीम को चुनते हैं तो इसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि मुख्य मुद्दे हैं। इस थीम पर गाँव के सभी लोग सरलता से आपके समर्थन में एकजुट हो जाएंगे। अब उपलब्ध संसाधन और परिस्थितियों पर सबके साथ विचार करें। आगे की योजना बनाएँ और क्रियान्वयन शुरू करें। हर महीने प्रगति की समूहिक निगरानी करें और आगे की योजना बनाएँ और उनपर अमल करें। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास और साथ आए लोगों के पास सही सूचनाएँ और जानकारियाँ हों। इन जानकारियों से आप सबको को अपनी ज़िम्मेदारी भी पता होगी, सीमाएं भी मालूम होंगी और अधिकार भी। इन परिस्थितियों में आप लोगों का नेतृत्व करके आप ग्रामीण परिस्थितियों को बदलने के प्रभावी कार्य सकते हैं। लोगों को जागरूक नागरिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं—

जागरूकता गतिविधियां —

सभी के सहयोग से वह थीम चुनें जिसे आप सबसे पहले अपने गाँव में शुरू करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सभी सहमत हैं और काम करने की पक्की मंशा है। इसके बारे में यदि कुछ जानकारियों का अभाव है तो इकट्ठी करें। लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी बैठकों में विचार विमर्श करें। इन मुद्दों को गंभीरता से ग्राम सभा में रखें, और सर्व सम्मति बनाएँ। इन जानकारियों के प्रचार प्रसार की योजना बनाएँ। सभी के साथ मिल कर प्रगति की नियमित समीक्षा करें और प्रगति से सभी को नियमित और निरंतर अध्ययन करें।

काम को कैसे करेंगे —

ज्यादा नहीं एक दो लक्ष्य तय कीजिये, उसको पूरा करने में मददगार लोगों को पहचानिए और उनके साथ रणनीति और गतिविधियां निर्धारित कीजिये और समय सीमा निर्धारित करें, और उन्हें हासिल करने में जुट जाइए। आपके साथी और संसाधन विभिन्न विभागों का अमला।

आधारभूत संरचनाएं (ग्राम से लेकर जिले तक)–

1. स्थानीय सरकार चलाने की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की वैधानिक शक्तियाँ
2. राज्य और केंद्र सहायित कल्याणकारी योजनायें तथा कानून
3. केंद्र और राज्य से मिलने वाले अनुदान तथा आवंटन
4. कर निर्धारण तथा बाहरी स्रोतों से आर्थिक मदद जुटाने की व्यवस्था
5. विधायक और संसद निधि
6. पंचायत की स्थायी समितियाँ तथा अन्य समितियां
7. विभिन्न विभागों द्वारा गठित और विकसित समितियां।
8. पंचायत में रहने वाले नागरिक यानि ग्राम सभा के सदस्य।

बच्चों के मुद्दे –

- पोषण
- स्वस्थ शिशु जन्म
- कन्या भ्रूण हत्या
- शिशु और बाल मृत्यु
- सम्पूर्ण टीकाकरण।
- जन्म पंजीकरण
- बच्चों की शिक्षा
- बाल सुरक्षा और संरक्षण

महिलाओं के मुद्दे–

- किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया
- गर्भवती की सम्पूर्ण एएनसी/पीएनसी जाँचें
- मातृ मृत्यु कम करना
- चिकित्सकीय देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता
- आजीविका के साधनों की उपलब्धता

- लैंगिक समता और समानता

मॉडल—गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत

विज़न—एक गरीबी मुक्त पंचायत, जो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि कोई भी गरीबी में वापस न जाये। ऐसा गाँव जहाँ सभी के लिये आजीविका के साथ विकास और समृद्धि हो।

स्थानीय लक्ष्य और टारगेट—

- पीडीएस,
- आईसीडीएस सहित आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन
- व्यक्तिगत / सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन
 - गरीब और कमज़ोर लोगों को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन की उपलब्धता
 - कृषि में लगे किसानों की आय में वृद्धि
 - आवास, जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक सभी की सुनिश्चित पहुँच
 - मनरेगा के अन्तर्गत रोज़गार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना

ग्राम पंचायतों की भूमिका—

क्या करना है	कौन करेगा
जनगणना / मिशन अन्त्योदय डाटा के अनुसार वंचितों के साथ रहने वाले लोगों की पहचान करना।	गैर—सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्थानीय विशेषज्ञ
जॉब कार्डों का प्रभावी वितरण।	ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां
पीडीएस में पंजीकरण की सुविधा।	पीडीएस शॉप की निगरानी समिति
कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और रोज़गार	ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

के माध्यम से आय सृजन।	सीआरपी, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आय सृजन योजनायें।
कृषि आधारित प्रौद्योगिकियों की पहचान	कृषि से संबंधित पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र
प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना और मितव्ययी ऋण गतिविधियों को प्रारम्भ करना और बैंक लिंकेज तक पहुंच बनाना।	ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सीआरपी निजी क्षेत्र, बैंकर्स, ऋण सखी
जीपीडीपी निधियों और कार्यक्रमों का योजना के स्तर पर अभिसरण	ग्राम पंचायत की स्थायी समिति तथा अन्य समितियां

कमलागत—बिनालागत गतिविधियाँ—

- स्वयं सहायता समूह का गठन
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर एसएचजी फेडरेशन
- विभिन्न मुद्दों में स्वयं सहायता समूह आंदोलन को समर्थन
- प्रशिक्षकों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये योजना आधारित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण स्थान का निर्माण करना।

विभिन्न माध्यमों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना—

- ऋण के लिये बैंक लिंकेज
- उद्यमिता विकास
- व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केन्द्रित करना
- उत्पादों के सर्वोत्तम प्रतिफल के लिये बाजार से जुड़ाव

- विशेष
आर्थिकगतिविधियोंकोसुगमबनानाऔरग्रामपंचायतस्तरपरउनकानिधिऔरपदाधिकारियोंकेसाथ
अभिसरण

पंचायतस्तरीयसंसाधन—

- महात्मागांधीराष्ट्रीयग्रामीणरोज़गारगारंटीअधिनियम (मनरेगा)
- दीनदयालअंत्योदययोजना (डीएवाई)—राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन (एनआरएलएम)
प्रधानमंत्रीआवासयोजना—ग्रामीण
- राष्ट्रीयसामाजिकसहायताकार्यक्रम (एनएसएपी)
- बाज़ारहस्तक्षेपयोजनाऔरमूल्यसमर्थनयोजना (एमआईएस—पीएसएस)
- कौशलविकास (छातायोजना) पंचायतस्तरीयसंसाधन
- कौशलविकास (छातायोजना)
- प्रधानमंत्रीरोज़गारसृजनकार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- प्रधानमंत्रीरोज़गारप्रोत्साहनयोजना
- रोज़गारप्रोत्साहनयोजना
- प्रधानमंत्रीमुद्रायोजना
- प्रधानमंत्रीजनधनयोजना

पंचायतस्तरीयसंसाधन—

- जनजातीयउप—योजनाको विशेषकेन्द्रीयसहायता (एससीएसेटीएसएस)
- दिव्यांगव्यक्तियोंकोफिटिंगउपकरण (एडीआईपी) कीखरीदकेलियेसहायता
- नयेकिसानउत्पादकसंगठनों (एफपीओ) कागठनऔरक्षमतासंवर्धन
- कृषि,बागवानी,मत्स्यपालन, पशुपालनऔरखाद्यप्रसंस्करणविभागकेतहतआयसृजनयोजनायें।
- ई—श्रम

- प्रधानमंत्रीकृषिसम्पदायोजना

मॉडल—स्वस्थ गाँव

विज्ञान—पंचायत में निवास करने वाले हर उम्र के हर व्यक्ति के लिये स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना।

स्थानीय लक्ष्य—

- बच्चों में उम्र के सापेक्ष कद कम होने को दूर करना।
- किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया को दूर करना।
- कम लागत के पौष्टिक और स्थानीय स्तर पर प्राप्त अनाज, सब्जियाँ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा देना।
- संचारी रोगों हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय खोजना।
- मातृ मृत्यु, 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना।
- सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान कराना।

स्वस्थ गाँव की आवश्यकतायें—

- स्वच्छ पेयजल
- आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं हेतु पूरकपोषण आहार
- स्वास्थ्य अधोसंरचना
- चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच
- स्वस्थ जीवन की ओर ले जाने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा
- ताजे फल और सब्जियों हेतु किचन गार्डनिंग
- प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- स्वच्छता/अपषिष्ट जल और ठोस अपषिष्ट प्रबंधन

- बेहतर सम्पर्क मार्ग

ग्राम पंचायत की भूमिका—

क्या करना है	कौन करेगा
विवाह एवं गर्भावस्था की उचित उम्र के बारे में जागरूकता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एएनएम, शिक्षक, आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी,
किशोर स्वास्थ्य (पोषण, परामर्श, सेनेटरी नैपकिन का उपयोग और सुरक्षित निपटान) माताओं और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, शिक्षिका, आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी,
टीबी, एचआईवी, मौसमी बीमारियों आदिसंचारी रोगों की रोकथाम और उपचार	एएनएम, शिक्षिका, रोगी कल्याण समिति आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा
मधुमेह, कैंसर आदि गैर-संचारी रोगों रोकथाम और उपचार	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, शिक्षिका, रोगी कल्याण समिति आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी,
वृद्धावस्था देखभाल तथा बच्चों और महिलाओं को पोषण।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, शिक्षिका, रोगी कल्याण समिति आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी,
मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, शिक्षिका, रोगी कल्याण समिति आजीविका मिशन की एसएचजी, डॉक्टर, वीएचएसएनसी,
कम लागत के पौष्टिक और स्थानीय स्तर पर	आजीविका मिशन की एच एच जी द्वारा ताजे

प्राप्त अनाज, सब्जियाँ, फल, अंडे आदि के सेवन को बढ़ावा देना।	फल और सब्जियों हेतु किचन गार्डनिंग तथा पोषण वाटिका का विकास
स्वच्छ पेयजल	जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा)का मैदानी अमला
स्वच्छता/अपषिष्ट जल और ठोस अपषिष्ट प्रबंधन	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मैदानी अमला
प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली	पीडीएस शॉप की निगरानी समिति
पंचायतों में हेल्पलाइन।	युवा, एनजीओ-सीबीओ
आयुषका प्रचार और उपयोग।	युवा, एनजीओ-सीबीओ

कम लागत बिना लागत की गतिविधियाँ—

• विभिन्न सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा नियमानुसार निगरानी तथा शिकायत निवारण —

- स्वास्थ्य कैंप का आयोजन
- शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान और समय पर उपचार।
- जन्म लेने वाले बच्चों के नाम पर पौधा रोपण तथा उसकी देखभाल
- जागरूकता गतिविधियों का आयोजन
- समुदाय में स्वच्छता बनाये रखना
- सामाजिक मानचित्रण के माध्यम से कमजोर आबादी की पहचान करना
- ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन।
- स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन
- किशोर स्वास्थ्य पर टॉक शो/कार्यशाला का आयोजन
- निवारक उपायों पर दीवार लेखन

पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधन—

- राष्ट्रीयस्वास्थ्य मिशन
- सघन मिशन इन्द्रधनुष
- राष्ट्रीयआयुष मिशन
- समेकित आईसीडीएस
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
- पोषण अभियान
- राष्ट्रीयएड्स नियंत्रण कार्यक्रम
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
- राष्ट्रीयस्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत)
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पोषाहार रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

मॉडल—बाल मित्र पंचायत

बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि वे उनके आस पास का परिवेश उनके अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षाके अनुकूल हो। सभी वयस्कों के जुड़ाव से यह परिवेश विकसित हो सकता है और हमारी पंचायत बाल मित्र पंचायत बन सकती है।

दोस्तों, वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र में बैठक में पाया गया कि बच्चे नासमझ होते हैं और न तो अपने अधिकारों को जानते हैं और न ही उन्हें मांग सकते हैं। इस लिए उनके बुनियादी अधिकारों की पहचान की गई और बाल अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत भी उन देशों में शामिल है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं—

1. हर बच्चे को अस्तित्व यानि जीने का अधिकार है।
2. हर बच्चे को समग्र विकास और शिक्षा का अधिकार है।
3. हर बच्चे को पूरे संरक्षण और सुरक्षाका अधिकार है।
4. हर बच्चे को भागीदारी का अधिकार है।

बच्चों के अस्तित्व यानि जीने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हमें ध्यान देना है कि—बच्चे के जीने का अधिकार का मतलब है बच्चा पूरी तरह सेहत मंद हो। और कोई नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा सेहत मंद न रहे और बीमारियों से काल के गाल में समा जाए। बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभा कर आप गाँव के सभी मासूमों को उनका जीने का अधिकार दे सकते हैं। बच्चे के जीने के अधिकार के लिए सबसे पहली शर्त है— स्वस्थ शिशु का जन्म। लेकिन हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या से बच्चियों का ये अधिकार भी छीन लिया जाता है।

इस अधिकार का दूसरा चरण है— बालक और बालिका पूरी तरह सेहत मंद हो। गर्भवती की सभी जाँचें, जन्म पंजीयन, सम्पूर्ण टीकाकरण, कुपोषण और कन्या भ्रूण हत्याकी रोकथाम

जैसी जिम्मेदारियाँ निभा कर आप गाँव के सभी मासूमों के लिए उनके जीने के अधिकार को पक्का कर सकते हैं।

बच्चों का समग्र विकास और शिक्षा का अधिकार—

हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। हर माता पिता अगर छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभा ले तो सबके सपने पूरे हो सकते हैं। शाला की आकर्षक आधारभूत संरचना, समवेशी और गतिविधि आधारित शिक्षा, हर बच्चे का नामांकन, शिक्षकों की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल, लड़के लड़कियों के लिए जल सुविधा युक्त अलग शौचालय की उपलब्धता, लाइब्रेरी और खेल का मैदान जैसी सुविधाएं जुटा कर बच्चों के समग्र विकास और शिक्षा के अधिकार को पक्का कर सकते हैं।

- कोई बच्चा कुपोषित न हो।
- शिशु और बाल मृत्यु दर को सीमित किया जाए।
- बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण हो।
- हर बच्चे का जन्म पंजीकरण हो।
- हर गर्भवती की सम्पूर्ण एएनसी/पीएनसी जाँचें हों।

बच्चों का समग्र विकास और शिक्षा—

हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। हर माता पिता अगर छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभा ले तो सबके सपने पूरे हो सकते हैं। बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए हमें ध्यान देना है कि—

- सारे बच्चों का स्कूल में दाखिला हो।
- दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा के समान मौके हैं।
- शिक्षा समावेशी हो।
- शाला में शिक्षक की उपलब्धता हो।

- शाला में खेल का मैदान, सुरक्षित पेयजल और पानी की व्यवस्था के साथलड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हों।
- पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंध समितियां शिक्षाकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी लें।

बाल संरक्षण—

माता पिता के लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। पंचायत के हर नागरिक द्वारा छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभा कर सबकी चिंता को दूर किया जा सकता है। बच्चों के संरक्षण के लिए हमें ध्यान देना है कि—

- विस्थापित बच्चों का पुनर्स्थापन हो
- बाल श्रम और बाल उत्पीड़न न हो
- बाल विवाह का समापन
- बच्चे जोखिम वाले कामों में न लगे हों।
- बाल तस्करी न हो, और गुमशुदा/बाल तस्करी से मुक्त कराये गए बच्चों का पुनर्स्थापन हो।

बच्चों की भागीदारी —

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें भागीदारी के उपयुक्त अवसर मिलें। स्कूल में शिक्षक, पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंधन समिति, आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत भवन में सरपंच और पंच, वी एच एन डी दिवस पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण समिति आदि, बड़ी सरलता से बच्चों के लिए ऐसे मौके निकाल भी सकते हैं और विशेष रूप से बना भी सकते हैं। बच्चों की भागीदारी के लिए हमें ध्यान देना है कि—

- विभिन्न विकास गतिविधियों में बच्चों को भागीदारी के अवसर मिलें।
- बाल सभाओं का नियमित आयोजन हों।
- सामुदायिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी हो।

ग्राम पंचायत की भूमिका—

इन सारी जिम्मेदारियों के लिए ग्राम पंचायत कि स्थायी समितियां भी हैं, पंचायत समितियां भी हैं और विभागों द्वारा गठित समितियां भी हैं। हो सकता है कि आप भी एक या ज्यादा समितियों के अध्यक्ष या सदस्य हों। अगर समिति के सदस्य उदासीन हैं तो उन्हें जगाइये और अगर समुदाय निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कीजिये, फिर देखिये बदलाव की बयार शुरू हो जाएगी।

क्या करना है	कौन करेगा
पाँच साल से कम उम्र के सभीबच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिकभोजन की उपलब्धता सुनिश्चितकरना।	पीडीएस की निगरानी समिति
आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य केन्द्रों कीसेवाओं का अनुश्रवण करना।	VHSNC, आशा, ए एन एम
आंगनवाड़ी केन्द्रों एवंस्कूलों में पोषण वाटिकाका निर्माण	एनआरएलएम की एसएचजी
स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से बच्चोंमें विकास के स्तर की निगरानी और नियमित टीकाकरण कोसुनिश्चित करना।	VHSNC
समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।	पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंध समिति
स्कूल में सुरक्षित पेयजल और हाथ धोने की इकाई सुनिश्चित करना।	पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंध समिति
मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की निगरानी	पीडीएस की निगरानी समिति
सभी प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहारों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।	आईसीडीएस पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस, बाल संरक्षण अधिकारी

बाल विवाह और तस्करी की घटनाओं को रोकना ।	आईसीडीएस पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, पुलिस, बाल संरक्षण अधिकारी
सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना ।	पुलिस, बाल संरक्षण अधिकारी तथा ग्राम बाल संरक्षण समिति, खेल अधिकारी और संघ
बाल श्रम के मामलों को कम करना और पलायन की निगरान करना ।	बाल संरक्षण अधिकारी, रोज़गार सेवक, एनआरएलएम सीआरपी
विकास की गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न समुदायिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के अवसर पैदा करना ।	पालक शिक्षक संघ तथा शाला प्रबंध समिति, खेल अधिकारी और संघ

कम लागत/बिना लागत वाली गतिविधियाँ—

- बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों पर स्वस्थ बेबी शो/टॉक शो का आयोजन/किशोर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला
- बाल विवाह/तस्करी/हिंसा और दुर्व्यवहार/बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान पर जागरूकता के लिए अभियान/रैली/ दीवार लेखन ।
- बाल श्रम को कम करने के लिए प्रवासी परिवारों को चिन्हित करना ।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण ।
- बाल सभा का आयोजन ।
- समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को शैक्षिक सहायता/प्रशिक्षण सहायता प्रदान करवाना ।

पंचायत स्तरीय संसाधन/ योजनायें—

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- सघन मिशन इन्द्रधनुष
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- चाइल्ड हेल्पलाइन
- मध्याह्न भोजन योजना
- आयुष्मान भारत (राष्ट्रीयस्वास्थ्य सुरक्षा मिशन)
- एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) योजना
- समेकित बाल संरक्षण योजना
- 15वाँ वित्त आयोग अनुदान
- राज्य वित्त आयोग अनुदान
- एमजीएनआरईजीएस
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- मिशन वात्सल्य
- सुकन्या समृद्धि योजना

मॉडल—स्वच्छ और हरित पंचायत

विज्ञान—हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा गाँव बनाना, जो प्रकृतिकी उदारतासे हरा—भरा हो, अक्षय ऊर्जाके उपयोग, स्वच्छ, पर्यावरण और जलवायुकी रक्षा के लिए लचीला हो।

हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे मौसम तेजी से बदल रहे हैं। हर साल मौसमों के बदलाव से सूखा, बाढ़, अकाल, ओला वृष्टि, शीत लहर और लू जैसी परिस्थितियां पूरे साल पूरे देश को प्रभावित करती हैं। जरा सोचिए कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को कैसा पर्यावरण और जलवायु दे जाएंगे।

इन परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होने में अब देर की तो बहुत देर हो जाएगी। हम अपनी पंचायत में कुछ छोटे छोटे प्रयासों से अपना योगदान कर सकते हैं। आइये कुछ लक्ष्य तय करें—

स्थानीयलक्ष्य—

- गैर-अक्षयऊर्जाका100%उपयोग
- 100%खुलेमेंशौचमुक्त
- पौधरोपणएवंनर्सरीबैडद्वाराहरियालीसुनिश्चितकरना
- ईंधनमें लकड़ीकाकम प्रयोग।
- प्रकाश, घरेलूउपकरणों, खानापकाने, सिंचाईकेलिएसभीतकऊर्जाकीपहुंचसुनिश्चितकरना
- जैव-विविधताऔरपरिस्थितिकीतंत्रकासंरक्षणऔररखरखावसुनिश्चितकरना।

पंचायतकीभूमिका—

क्या करना है	कौन करेगा
सौरऊर्जाकेउपयोगकोबढ़ावादेना	बिजली विभाग, नवीकरणीयऊर्जा, ग्रामीणविकास विभाग तथा नागरिकआपूर्तिनिगम जैसेविभाग
बिजलीकाकुशलवितरण	बिजली विभाग, नवीकरणीयऊर्जा, ग्रामीणविकास विभाग तथा नागरिकआपूर्तिनिगम जैसेविभाग
प्रभावीतरलऔरठोसअपशिष्टप्रबंधन	स्वास्थ्यऔरस्वच्छताकार्यकर्ता, स्वच्छतादूत, पर्यावरणकेप्रतिसचेतव्यक्ति
स्थानीयजलसंसाधनोंकाप्रयोग	जलापूर्तियोजनासंचालक
वनों, जलनिकायोंऔरपवित्रउपवनोंमेंप्राकृतिकसंसाधनोंकासमुदायआधारितप्रबंधन	तकनीकीऔरशैक्षणिकसंस्थानजैसेआईटीआई, पॉलिटेक्निकऔरअनुसंधानसंस्थानप्रदूषणनियंत्रणबोर्ड
उच्चढलानवालेक्षेत्रों, बंजरऔरअन्यसामान्यभूमिऔरसड़कोंकेकिनारे प्राकृतिकवनस्पति कारोपण	कृषिविभाग, कृषिविज्ञानकेंद्र, पर्यटनविभाग, फलोद्यान विभाग, मनरेगाकेकुलसचिव/रजिस्ट्रार
मछलीपालन कोबढ़ावा मत्स्यपालनकेलिएसामुदायिकतालाबोंको प्रोत्साहन।	मत्स्य पालन विभाग
जैविकखेतीको प्रोत्साहन।	फलोद्यान विभाग,
प्रकृतिसंरक्षणकेलिएगठितस्थायीसमिति / कार्यसमिति	तकनीकीऔरशैक्षणिकसंस्थानजैसेआईटीआई, पॉलिटेक्निकऔरअनुसंधानसंस्थानप्रदूषणनियंत्रणबोर्ड

ति का सशक्तिकरण, सिंगलयूजप्लास्टिककेउपयोगपररोक	र्ड
---	-----

कमलागत— बिनालागतकीगतिविधियां —

- ग्रामपंचायतोंकेअन्तर्गतनर्सरीयोजना
- परिवारोंसेकचरेकासंग्रह
- श्रमदानकेलिएजलविभाजनप्रबंधन
- नदियोंकोआपसमेंजोड़ना
- जागरूकताअभियान

पंचायत के लिए संसाधन —

- राष्ट्रीयनदीसंरक्षणकार्यक्रम(नेशनलरिवरकन्जर्वेशन प्रोग्राम)
- प्रधानमंत्रीकृषिसिंचाईयोजना (पीएमकेएसवाई)
- राष्ट्रीयजलमिशन
- महात्मागांधीराष्ट्रीयग्रामीणरोजगारगारंटीयोजना (मनरेगा)
- दीनदयालउपाध्यायग्रामज्योतियोजना
- स्वच्छभारतमिशन
- राष्ट्रीयवनरोपण कार्यक्रम
- एकीकृतवाटरशेडप्रबंधनकार्यक्रम
- राष्ट्रीयग्रामीणपेयजलकार्यक्रम
- ग्रिडकनेक्टेडसोलररूफटॉपप्रोग्राम
- सौरपार्कोकाविकास
- पीएम—कुसुमराष्ट्रीयबायोगैसऔरखादप्रबंधनकार्यक्रम (एनबीएमएमपी)
- ग्रीनइंडियामिशन

- 15वां वित्त आयोग अनुदान
- राज्य वित्त आयोग अनुदान

मॉडल—सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

विज़न—गांवके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए और सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ मिलना चाहिए। विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, रोज़गार और उपयुक्त आधारभूत संरचना।

स्थानीय लक्ष्य और टारगेट—

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चा और गर्भवती महिलाओं का नामांकन।
- लाभकारी रोज़गार प्रदान करना।
- उपयुक्त बुनियादी ढांचा।
- असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका—

क्या करना है	कौन करेगा
पीडीएस में पंजीकरण की सुविधा	पी डी एस शॉप की निगरानी समिति
गरीबों, बेसहारा और कमज़ोर लोगों की पहचान के लिये मानदंड विकसित करना।	स्थानीय विशेषज्ञ, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, सामाजिक कार्यकर्ता,
गरीब और कमज़ोर समूहों के लिये विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी को बढ़ा	आजीविका मिशन के

वादेना।सेवाओंकीनिगरानीकरना।	सीआरपी तथा योजनासेजुडेविभिन्नविभा गएवंएजेंसियों, शिक्षक, ग्राम पंचायत समितियां, कोटवार
नागरिकोंतकसेवाओंतकसमयसेपहुंचसुनिश्चितकरना।	ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां,
ग्रामसभाका इस प्रकार सुदृढीकरणकि वे उत्तरदायी, समावेशी औरसहभागिता आधारित सुशासन में भागीदार बनें।	स्थानीयविशेषज्ञ, आजीविकामिशनके सीआरपी तथा योजनासेजुडेविभिन्नविभा गएवंएजेंसियों
निःशक्तजनोंकेलियेपुनर्वासयोजना।	सामाजिकन्यायविभाग, स्थानीयविशेषज्ञ
महिलाओंऔरबच्चियोंकेलिएसुरक्षितऔरनिर्भयवातावरणप्रदानकरना।	आजीविकामिशनके सीआरपी तथा योजनासेजुडेविभिन्नविभा गएवंएजेंसियों
पीड़ितोंकेपुनर्वासमेंसहयोगप्रदानकरनाऔरआवश्यक कार्यवाहीसुनिश्चित करना।	सामाजिकन्यायविभाग, पुलिसएवंगृहविभाग
समावेशीऔरगुणवत्तापूर्णशिक्षासुनिश्चित करना।	शाला प्रबंधनसमिति / पालकशिक्ष कसंघ, संकुल प्राचार्य,

	शिक्षक, जल एवं स्वच्छता समिति
स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना।	शाला प्रबंधन समिति / पालक शिक्षक संघ, संकुल प्राचार्य, शिक्षक, वीएचएसएनसी, आशा, जल एवं स्वच्छता समिति
प्रत्येक जन्म का पंजीकरण सुनिश्चित करना।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, कोटवार
महिला और पुरुष के लिए काम के समान अवसर सुनिश्चित करना।	स्थायी समितियाँ, मनरेगा रोजगार सृजन रोजगार सेवक, आजीविका मिशन के सीआरपी तथा योजना से जुड़े विभिन्न विभाग एवं एजेंसियाँ

कम लागत एवं बिना लागत वाली गतिविधियाँ –

- पारदर्शिता हेतु सूचनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जागरूकता अभियान का संचालन
- ग्रामीण शासन के प्रभावी विकेंद्रीकरण हेतु ग्राम सभा का आयोजन और उसमें शामिल होने के लिए जागरूकता अभियान का संचालन
- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर सामुदायिक जागरूकता अभियान / रैलियों का आयोजन
- दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना
- स्वयं सहायता समूह का गठन और आजीविका के लिए उद्यमी कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना

संसाधनजिनपरपंचायतेध्यानदेसकतीहैं—

- राष्ट्रीयसामाजिकसहायताकार्यक्रम (एनएसएपी)
- दीनदयालअंत्योदययोजना
- राष्ट्रीयग्रामीणआजीविकामिशन (डीएवाई—एनआरएलएम)
- प्रधानमंत्रीरोजगारप्रोत्साहनयोजना
- रोजगारप्रोत्साहनयोजना
- राष्ट्रीयकैरियरसेवाएँ
- प्रधानमंत्रीरोजगारसृजनकार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- प्रधानमंत्रीमुद्रायोजना (पीएमएमवाई)
- चाइल्डहेल्पलाइन1098
- समेकितबालविकासयोजना
- समेकितबालसंरक्षणयोजना
- पोषणअभियान
- बेटाबचाओ—बेटीपढ़ाओ
- अनुसूचितजातिऔरअन्यपिछड़ावर्गकेलियेकोचिंग, मार्गदर्शनऔरछात्रवृत्ति
- विमुक्तघुमंतूजनजातियोंकेशैक्षिकऔरआर्थिकविकासहेतुयोजना।

मॉडल— ग्राम पंचायत में लैंगिक समता और समानता के परिवेश का विकास

विज़न —लैंगिकसमानताकोप्राप्तकरना,

समानअवसरप्रदानकरतेहुएमहिलाओंएंबालिकाओंकोसुरक्षितवातावरणप्रदानकरना।

स्थानीय लक्ष्य एवं टारगेट—

- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध को कम करना।
- सरकारी एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

- सामाजिक—राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियां एवं समुदाय आधारित गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना।
- महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना।
- पांच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा।
- मातृ मृत्यु दर में कमी।
- विद्यालयों में लड़कियों के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना।

ग्राम पंचायत की भूमिका—

क्या करना है	कौन करेगा
ग्रामसभामेंमहिलासभाकाआयोजन	पंचायत की समितियां, आई. सी.डी. एसपर्यवेक्षक, डब्ल्यू.सी.डी
ग्रामसभामेंमहिलाओंकीभागीदारी	गैरसरकारीसंगठनऔरअन्यसंस्थान
	महिला समूह, महिला पंच, सरपंच, आंगनबाड़ीकार्यकर्ता, आजीविका मिशन के सी आर पी, शिक्षामित्र, साक्षरताकार्यकर्ता

विकासकार्यक्रमोंकेक्रियान्वयनमेंमहिलाओंकीसमानपहुंच	गैरसरकारीसंगठन, महिला समूह, महिला पंच, सरपंच, आंगनबाड़ीकार्यकर्ता, आजीविका मिशन के सी आर पी,
गर्भवतीमहिलाओं, पांचसालसेकमउम्रकीबालिकाओंऔरकिशोरियोंकोगुणवत्तापूर्णपौष्टिकभोजन	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता, आई.सी.डी.एसपर्यवेक्षक, डब्ल्यू.सी.डीविभागकेअधिकारी
सभीलड़कियोंकेलिएमुफ्त, समानऔरगुणवत्तापूर्णप्राथमिकऔरमाध्यमिकशिक्षा	संकुल प्राचार्य, शिक्षक, महिला शिक्षक ग्रामशिक्षासमिति शाला प्रबंधनसमिति, पालक शिक्षक संघ, शिक्षामित्र, साक्षरताकार्यकर्ता
महिलाओंऔर लड़कियों के लिए सुरक्षितवातावरण	आई.सी.डी.

	एसपर्यवेक्षक, डब्ल्यू.सी. डीविभागकेअधि कारी, पुलिस और गृह विभाग
सभीमहिलाओंतकसस्तीऔरगुणवत्तापूर्णतकनीकी, व्यावसायिकऔरउच्चशिक्षाकीसमानपहुंच	ग्राम पंचायत और उसकी स्थायी समितियां
गरीबमहिलाओंका स्वयंसहायतासमूहोंमेंनामांकन और आर्थिकविकासकेअवसर	आजीविका मिशन के सी आर पी, बैंक, माइक्रोफाइनेंस कंपनी,
महिलाओं के समग्र विकासकेलिएबजटमेंपर्याप्तधनराशि	ग्राम पंचायत और उसकी स्थायी समितियां
महिलाओंको समानकार्यकेलिएसमानवेतन।	ग्राम पंचायत और उसकी स्थायी समितियां, मानरेगा, आजीविका मिशन के सी आर पी,
महिलाओंऔरबालिकाओंकोबेहतरस्वास्थ्यदेखभालसुविधाएंप्रदानकरनाएवंइससम्ब धमेंजागरूकता।	एएनएम, आशा, वी.एच.एस.एन.

	सी, डॉक्टर
--	------------

कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियाँ—

- निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
- एस.एच.जी. को बैंकरो से छोटे ऋण दिलाने के लिए का अभियान
- बच्चों को निशुल्क पठन सामग्री वितरण
- महिला एवं बालविकास के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता शिविर का आयोजन।
- आदिवासी बच्चों में पोषक तत्व मिक्स आहार वितरण।
- महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान पर जागरूकता शिविर
- सामाजिक संदेश पर दीवार लेखन
- महिला सभा का आयोजन

ग्राम पंचायत हेतु उपयोगी संसाधन—

- मनरेगा
- मिशन वात्सल्य
- मिशन शक्ति
- किशोरी शक्ति योजना
- मिशन पोषण 2.0
- राष्ट्रीय ग्रामीणआजीविका मिशन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- समग्र शिक्षा

- प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (पी.एम.एम.एस.के.)
- उज्जवला वन स्टॉप सेंटर
- निर्भया फंड

ग्राम पंचायत हेतु उपयोगी संसाधन—

- महिलाहेल्पलाइन
- स्वाधार गृह
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)
- आई.सी.डी.एस. (अम्ब्रेला स्कीम)
- प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता
- माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना (एन.एस.आईजी.एस.ई.)
- तकनीकी शिक्षा पहल में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना

सारांश (Summary)

- इसके पूर्व की चार इकाईयां विकास के सैद्धांतिक आयामों से सम्बन्धित थीं। इस इकाई में विस्तार से विकास के आधुनिक दर्शन और शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई योजनाओं और सुविधाओं के माध्यम से हम अपने ग्राम को कैसे उन्नत और खुशहाल बनाते हैं। इनका व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। विकास के लिये दो ही जादुई मंत्र हैं। उपलब्ध संसाधन और सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग करना और विकास के काम में सभी लोगों को साझेदार बनाना। इस इकाई में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने योग्य कुछ मॉडल दिये गये हैं। जिन्हें आप अपने परिवेश की विशेषताओं के आधार पर लागू कर सकते हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से हम अपनी सभी समस्याओं से मिलजुल कर निपट सकते हैं। अपने आसपास खुशहाली ला सकते हैं।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **पंचायत समिति** : प्रायः देखा गया है कि पंचायत अलग-अलग प्रकार के विचार और मत रखने वाले लोग होते हैं। जिससे किसी एक मददे पर निर्बाध गति से कार्य करना कठिन होता है। इसलिए ऐसे लोगों का समूह बना दिया जाता है। जो उसे कार्य विशेष को करने में निपुण हो। इस प्रकार के समूहों को पंचायत समिति कहा जाता है।
- **समितियों की प्रकृति** : पंचायत की कुछ समितियां स्थायी होती हैं और कुछ तदर्थ या स्थायी। स्थायी समितियां निरंतर कार्यरत रहती हैं और अस्थायी समितियां किसी आकस्मिक मुद्दे के उत्पन्न होने पर गठित और समाप्त होने पर भंग कर दी जाती हैं।

स्व-मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न(Long answer type questions)**
 1. अपने गांव/क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति से सम्बन्धित बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कीजिए।
 2. अपने ग्राम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाकर प्रस्तुत कीजिए। आपकी दृष्टि में इन में से कौन-से संसाधन प्रचुर और कौन-से न्यून मात्रा में उपलब्ध हैं?
 3. गांव/क्षेत्र के विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप क्या-क्या उपाय अपनायेंगे। अपने कार्य की संपूर्ण योजना का प्रतिवेदन लिखिए।
 4. आपके ग्राम में ग्राम सभा की बैठकों में लिये गये निणयों और उनके क्रियान्वयन पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कीजिए।

5. आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत की कौन-कौन सी स्थायी और अस्थायी समितियाँ गठित एवं क्रियाशील हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न(Short answer type questions)

1. अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पांच सुझाव दीजिए।
2. अपने क्षेत्र के जल संसाधनों के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे।
3. अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पांच सुझाव दीजिए।
4. अपने क्षेत्र के कृषि कार्यों की पांच विशेषताओं और पांच कमियों को लिखिए।
5. अपने क्षेत्र में शासकीय स्थिति पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।

● अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न(Very short/ Objective type questions)

1. सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है?
2. सतत विकास लक्ष्यों के साथ कितने टारगेट निर्धारित किए गए हैं?
3. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है?
4. पीडीएस क्या है?
5. आंगनबाड़ी/बालबाड़ी क्या है?

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. अपने क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय, गैर-शासकीय, स्वयंसेवी रूप से उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की सूची तैयार कीजिए।
2. अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकाय की बैठक में इस पाठ्यक्रम की पूरी रूपरेखा रखते हुए जनसहयोग का आग्रह कीजिए। इस कार्य को आप किस रूप में संपन्न करेंगे। इसका एक योजना दस्तावेज तैयार कीजिए।

3. अपने क्षेत्र के संसाधनों और सुविधाओं के आधार पर एक मॉडल पंचायत स्वरूप लोगों के सहयोग से अंगीकार करे और उसे समयसीमा पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करे। उपलब्धियों की समीक्षा के लिए नियमित अंतराल में समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करें। चिन्हित करे कि तय लक्ष्यों में से कितने लक्ष्य और किस सीमा प्राप्त किए गये हैं?

संदर्भ(References)

मुद्रित संदर्भ :

- स्थानीय या ग्राम स्तर पर कार्य करने के लिए सबसे उपयोगी संदर्भ सामाग्री होती हैं। अलग-अलग शासकीय योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी, प्रचार साहित्य(IEC Material) और विभिन्न विभागों के शासकीय प्रतिवेदन। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप अपने स्थानीय स्तर के शासकीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इन दस्तावेजों की निःशुल्क प्रति अथवा आवश्यक सामाग्री की छायाप्रति ले सकते हैं।

वेब संदर्भ :

- मध्यप्रदेश शासन और केन्द्रस्तरीय मंत्रालयों से सम्बन्धित सभी जानकारियां आज कल सम्बन्धित मंत्रालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं। आप इन वेबसाइट्स पर जाकर सम्बन्धित जानकारी अपने स्मार्ट फोन पर सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन की जानकारियों के लिए mpinfo.org, mp.gov.in और अलग-अलग विभागों की वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं।